बृहस्पतिवार,
२४ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

गडियाहाता औद्योगिक ट्रेनिंग स्कूल कलकत्ता

९. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गडियाहाता औद्योगिक ट्रेनिंग स्कूल, कलकत्ता को बन्द किया जाने वाला है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जिस ज़मीन पर स्कूल के मुख्य वर्कशाप की तीन इमारतें खड़ी हैं उसे मैसर्ज़ बालीगंज लैंड एंड लोन एजंसी लिमिटिड से अधिग्रहीत किया गया था।

(ग) इस स्कूल में इस समय कुल कितने छात्र व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि उक्त इमारत जिन में कि वर्कशाप है सरकारी है तथा पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से इन्हें डी० ए० डी० लैंडस हायरिंग एंड डिस्पोजल्ज़ से खरीदा था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुझाव दिया है कि उस ज़मीन का जिस पर कि ट्रेनिंग स्कूल स्थित है कुछ भाग उद्ग्रहीत करके मालिकों को वापस दे दिया जाना चाहिये। इस मामले के सम्बन्ध में इस समय पत्रव्यवहार हो रहा है। यदि इस ज़मीन का कब्ज़ा छोड़ा गया तो सीटों की संख्या को ५९३ से कम कर के ३७७ करना आवश्यक होगा।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय इस इन्स्टीट्यूट में ५९३ छात्रों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। ३० नवम्बर, १९५३ को इस में वास्तव में २१० छात्र ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे। संख्या में यह अन्तर टैक्नीकल शिक्षा के प्रारम्भिक १८ महीने के कोर्स के समाप्त हो जाने के कारण हुआ है।

(घ) युद्ध के दौरान में सरकार ने अधिग्रहीत ज़मीन पर यह इमारतें बनवाई थीं तथा बाद में इन को स्थायी रूप से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था।

श्री टी० क० चौधरी : क्या यह सत्य है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये लगभग १०० शरणार्थी छात्र इस स्कूल में व्यवसायिक ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां।

श्री टी० के० चौधरी : पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस ज़मीन को, जिस पर कि यह

इमारतें बनाई गई हैं, वापस कर देने का फैसला किन कारणों से किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : ज़मीन के मालिक इस के लिए मांग कर रहे थे तथा पश्चिमी बंगाल सरकार की यह नीति है कि उस ज़मीन को जो अधिग्रहीत की गई हों, वापस कर दिया जाये ।

श्री टी० क० चौधरी : क्या पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि यदि वह उक्त ज़मीन मालिकों को वापस करने पर आग्रह करेगी तो सीटों की संख्या कम करनी पड़ेगी, इसलिये उस समय तक जब तक कि इस वर्कशाप के खोलने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो इसे वापस न किया जाये ।

श्री वी० वी० गिरि : इस प्रकार की प्रार्थना की गई है तथा में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहा हूं ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि वापस की जाने वाली ज़मीन का मूल्य क्या है तथा इस पर बनी इमारतों की लागत क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस ज़मीन पर कुछ इमारतें हैं तथा मेरे विचार से इन का मूल्य लगभग दो लाख रुपये है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने किसी वैकल्पिक स्थान के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से बातचीत की है अथवा क्या किसी वैकल्पिक स्थान का सुझाव दिया गया है, तथा क्या इन वर्कशापों को दूसरे स्थानों पर ले जाने की लागत को भी ध्यान में रखा गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : उन्हों ने कल्याणी में वैकल्पिक स्थान का सुझाव दिया । परन्तु हमारे विचार से यह प्रशिक्षार्थियों के लिए सुविधापूर्ण नहींहोगा । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहा हूं कि क्या इस दिनांक को उपस्थगित नहीं किया जा सकता है ।

प्रस्थापित लोहा तथा इस्पात संयंत्र की जगह

१०. श्री टी० के० चौधरी : (क) क्या माननीय **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित उन के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि प्रस्थापित लोहा तथा इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किया जायगा ?

(ख) क्या वित्त मंत्री जी का वक्तव्य उत्पादन मंत्रालय की इस विज्ञप्ति का खंडन नहीं करता है कि स्थान का फैसला जर्मन विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न स्थानों का पर्यवेक्षण करने के बाद केवल आर्थिक आधार पर ही किया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) मेरा ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें मेरा यह कथित बयान छपा है कि मैं ने यह आशा प्रकट की है कि भारत सरकार का एक विशालतम औद्योगिक कारखाना शायद उड़ीसा में स्थापित किया जाये और इस से मैं ने उस ७० करोड़ रुपये की लागत वाले संयम का निर्देश किया था जिस के लिए स्थान की खोज की जा रही है। यह न ही सही है और न ही पूर्ण है। ऐसी कोई आशा प्रकट नहीं की गई थी; केवल इस संभावना की ओर संकेत मात्र किया था, क्योंकि उन दो राज्यों में से एक है—दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है—जहां कि जर्मन विशेषज्ञ दल इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करेगा । दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री टी० के० चौधरी : जर्मन विशेषज्ञों के दल ने इस सिलसिले में किन राज्यों का भ्रमण किया तथा इस संयंत्र को स्थापित किये जाने के कौन से सम्भावित स्थान हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : उन्हें उड़ीसा में एक स्थान, मध्य प्रदेश में भीलायी पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर तथा बिहार में सिन्दरी का पर्यवेक्षण करने के लिए कहा गया था । मुझे मालूम है कि वह हिराकुड भी गये । मुझे यह ज्ञात नहीं कि उन्हों ने दूसरी जगहें भी देखीं अथवा नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या हम जान सकते हैं कि यह विशेषज्ञ कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तथा सरकार तदनुसार कब तक अपना निश्चय करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस विषय का सम्बन्ध उत्पादन मंत्रालय से है । मेरे सहयोगी कहते हैं कि इस रिपोर्ट के जनवरी तक प्राप्त होने की आशा है ।

डा० सुरेश चन्द्र : जगह चुने में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पंडित एस० सी० मिश्र : क्या राजनीतिक बातों को भी ध्यान में रखा जायगा अथवा क्या इस दल को आदेश दिया गया है कि केवल औद्योगिक सुविधा की बात को ही ध्यान में रखा जाना चाहिय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इस संयंत्र के लिए स्थान राजनीतिक बातों को ध्यान में रख कर चुना जायेगा अथवा क्या यह केवल आर्थिक दृष्टिकोण से चुना जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं । कई वाणिज्य मंडलों ने शिकायत की है कि उड़ीसा के औद्योगीकरण पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया गया है । मैं ने उन्हें बताया है कि किसी भी प्रकार के औद्योगीकरण के लिए विद्युत उत्पादन एक परमावश्यक चीज़ है और यदि हीराकुड में विद्युत-शक्ति का जनन नहीं किया गया होता तो इस संयंत्र को वहां स्थापित करने के प्रश्न पर विचार भी नहीं किया जा सकता था । इसी प्रसंग में मैं ने वह वक्तव्य किया था ।

श्री बी० दास : आप ने बिल्कुल ठीक कहा ।

प्रश्नों के लिखित उतर

टिड्डी-विरोधी कार्यवाही

*१३७१. **श्री सी० डी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सरकार द्वारा टिड्डी विरोधी कार्यवाही पर प्रतिवर्ष व्यय की जाने वाली धन राशि को बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : टिड्डी विरोधी कार्यवाही पर सरकार का वार्षिक व्यय १९ लाख रुपये होता है ।

कृषि-विस्तार ट्रेनिंग केन्द्र

*१३७२. **श्री सी० डी० शर्मा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री कृषि-विस्तार ट्रेनिंग केन्द्रों में इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन के सेवायुक्त किये जाने की सम्भावनाएं क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ३१ अक्तूबर, १९५३ को १८९९ प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग पा रहे थे ।

(ख) इन्हें सामुदायिक परियोजनाओं में तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में ग्राम-सेवकों के रूप में काम पर लगाया जायगा ।

ग्रामों में बेकारी

*१३७३. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण-बेकारी के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर रही है ?

(ख) यदि हां तो यह कार्य किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं पर छोड़ा गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). भारत सरकार की राष्ट्रीय न्यादर्श परिमाप टुकड़ी ने हाल ही में ग्रामीण-बेकारी के सम्बन्ध में एक न्यादर्श परिमाप जिस से इस के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी, प्रारम्भ किया है ।

तारघर

*१३७४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ तथा १९५३ में ज़िला, सब-डिवीज़नल तथा पुलिस थाना सदरथानों में तारघर खोले जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

खोले गये तारघरों की संख्या

	१९५२ में	१९५३ में
ज़िला कस्बे	५	३
सब-डिवीज़नल कस्बे	५	५
तहसीलें तथा थाने	२९	३१

पशु-पालन

*१३७५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि तथा पशु-पालन बोर्ड की पशुपालन शाखा के पूना सम्मेलन द्वारा चारा उत्पादन तथा रिंडरपेस्ट (खुरपका) नामक रोग के उन्मूलन के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गई थी सरकार द्वारा उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : चारा उत्पादन के सम्बन्ध में क्या कुछ कार्यवाही की गई है, यह दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]**

रिंडरपेस्ट रोग का उन्मूलन करने से सम्बन्धित स्कीम भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को हस्तांतरित कर दी गई है ।

इस कार्य का श्री गणेश आदि करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद एक केन्द्रीय रिंडरपेस्ट कंट्रोल समिति नियुक्त कर रही है ।

बम्बई में राष्ट्रीय राजमार्ग

*१३७६. **श्री दाभी** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई राज्य में सन् १९५२-५३ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय की गयी राशि;

(ख) सन् १९५३-५४ के लिए निर्धारित राशि;

(ग) क्या सरकार को बम्बई सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५०.३५ लाख रुपए ।

(ख) ८५.९८ लाख रुपए अब तक आवंटित किए गए हैं ।

(ग) और (घ). चालू वित्तीय वर्ष में अब तक १००.७० लाख रुपए की प्राक्कलित लागत के २१ विकास प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इन में से ७९.५० लाख की प्राक्कालित लागत के १७ प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा शेष विचाराधीन है ।

फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन

*१३७७ **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन की साइडिंग पर, अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए कुछ प्लौट लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो काम कब प्रारम्भ होने की आशा है; और

(ग) इस निर्माण कार्य में सरकार का कितना रुपया खर्च करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फोर्ड फाउन्डेशन समझौता

*१३७८. **श्री बो० के दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फोर्ड फाउन्डेशन समझौते के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मंत्रालय कुल कितनी राशि खर्च करेगा;

(ख) यह राशि किन किन मदों पर व्यय की जाएगी और प्रत्येक मद पर व्यय की जाने वाली मात्रा; और

(ग) प्रस्तावित कार्य को पूरा करने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) २१,४०,७०० रु०

(ख) (१) गांव के किसानों के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन—१,२०,५०० रु०

(२) पांच कृषि कॉलेजों में विकास विभागों की स्थापना—२०,२०,२०० रु०

(ग) (१) मासिक पत्रिका 'धरती के लाल' जो गांवों में हाल ही में साक्षर हुए विशेष कर सामूहिक योजनाओं के क्षेत्रों में स्थित गांवों में, व्यक्तियों के लिए बहुत सरल भाषा में एक सचित्र समाचार पत्रिका है, उस का प्रकाशन प्रारम्भ हो चुका है तथा अक्टूबर और नवम्बर, १९५३ के दो अंक प्रकाशित हो चुके हैं ।

(२) नागपुर, तोलीगांव तथा पूना के कृषि कॉलेजों के साथ सम्बद्ध किए जाने वाले विकास विभागों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है जब कि मद्रास और हैदराबाद के कृषि कॉलेजों के साथ इन विभागों को सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में वहां की सरकारों से बातचीत चल रही है ।

पूर्वी रलवे में आउट एजेंसियां

*१३७९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी रेलवे में कितनी आउट-एजेंसियां हैं;

(ख) १ अक्टूबर, १९५३ को इन आउट-एजेंसियों के पास कितनी बसें थीं; और

(ग) आउट-एजेंसियां देने में क्या किसी एकरूप नीति का अनुसरण किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १०.

(ख) १० में से केवल ४ आउट-एजेंसियां मुसाफिरों को ले जाती हैं; इन चार आउट-एजेंसियों के पास १ अक्टूबर, १९५३ को २७ बसें थीं ।

(ग) जी हां ।

नल-कूप

*१३८०. **श्री ऐ० के० गोपालन** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में खोदे जाने वाले उन नल-कूपों की संख्या जिन के संविदे (१) मेसर्स एसोशिएटेड टुयूब वैल्स लिमिटेड, तथा (२) मेसर्स हेराल्ड टी० स्मिथ को दिए

गए हैं और इन में से प्रत्येक को प्रति कुंआ कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

(ख) नल-कूपों को खोदने में अब तक भारत सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मेसर्स एसोशिएटेड ट्यूब वैल्स को १२१५ नल-कूपों का और मेसर्स हेरोल्ड स्मिथ को ७५५ नल-कूपों का।

टेकनीकल सहकार कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों संविदेकारों द्वारा २९,००० प्रति नल-कूप की दर से १००५ नल कूप निर्मित किए जायेंगे जो पम्प-सेटों तथा ट्रान्सफारमरों सहित पूर्ण होंगे। मेसर्स एसोशिएटेड ट्यूब वैल्स लिमिटेड को सन् १९५० में दिए गए संविदे के अंतर्गत प्रति कुंआ लागत २७,००० रु० आई थी।

(ख) इन परियोजनाओं पर भारत सरकार स्वयं कुछ खर्च नहीं करती है वरन जो राज्य यह काम हाथ में ले रहे हैं उन्हें ऋण देती है। अब तक सम्बन्धित राज्यों को इस कार्य के लिए दिए गए ऋण की राशि ४३४.७५ लाख रुपए है।

एयर लाइन्स आफ इंडिया का कर्मचारी वर्ग

***१३८१. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अगस्त, १९५३ में गैर-अनुसूचित एयर लाइन्स आफ़ इंडिया के कर्मचारियों ने भारत सरकार को एक स्मृति-पत्र भेजा था;

(ख) स्मृति-पत्र में किन-किन बातों के लिए प्रार्थना की गई थी; और

(ग) क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो क्या ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों ने प्रतिनिधान किया था कि एक राज्य-अधिकृत संगठन के साथ प्रतियोगिता तथा अनुसूचित वायु सेवाओं का उन नए स्थानों पर भी जारी करना जहां कि अब तक केवल गैर-अनुसूचित वायु सेवा ही चालू थी, कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध बैठेगा तथा उन्होंने प्रार्थना की थी कि या तो सभी स्थानों को गैर-अनुसूचित वायु सेवाओं के लिए भी खोल दिया जाए अथवा उन्हें चालू समवायों के रूप में ले लिया जाए तथा कर्मचारियों को वायु कॉरपोरेशनों द्वारा ले ली गई कम्पनियों के कर्मचारियों की भांति ही व्यवहृत किया जाए।

(ग) सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है; सरकार नहीं समझती कि अनुसूचित वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिए जाने से गैर-अनुसूचित वायु यातायात पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि उस के लिए जारी रहना कठिन हो।

चलता औषधालय

***१३८२. श्री एस० एन० दास** : क्या **स्वास्थ** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य सरकारों ने चलते औषधालय बनाने की इच्छा व्यक्त की है जिन के लिए कि केन्द्रीय सरकार ने चालू आयव्ययक में ५ लाख रुपए का उपबन्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने; और

(ग) इस कार्य के लिए इन में से प्रत्येक राज्य को दी जाने को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

स्वास्थ मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) त्रिपुरा को छोड़ भाग 'ग' के राज्यों के अतिरिक्त मद्रास और उड़ीसा ने चलते औषधालय की स्थापना की इच्छा व्यक्त की है। चालू आयव्ययक में चलते औषधालय

की स्थापना के लिए जो राशि उपबन्धित की गई है वह अविकसित तथा पिछड़े हुए प्रदेशों के लिए है ।

(ग) अभी तक किसी राज्य सरकार को कोई राशि नहीं दी गई है ।

भारत का मलेरिया इंस्डीट्यूट

*१३८३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या भारत के मलेरिया इंस्टीट्यूट का विस्तार योजना के अनुसार हुआ है;

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यवाहियों पर इस का किस प्रकार का पथ-प्रदर्शन तथा नियंत्रण रहा है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में लगे हुए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कोई उपबन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है अथवा दिया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी हां ।

(ख) मलेरिया इंस्टीट्यूट का काम राज्यों को दी जाने वाली सामग्री के समुचित तथा मितव्यय प्रयोग करने, मान्य टेकनीकों के अपनाने को प्रोत्साहित करने तथा प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करना है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यकरण की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो आवश्यकता होने पर उचित परामर्श देते हैं। समस्त राज्यों तथा मलेरिया नियंत्रक एककों को "आपरेशन गाइड" नामक पत्रिका परिचारित कर दी गई है जिस में कि कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य का विस्तृत उल्लेख है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सन् १९५३ के दौरान में निम्नलिखित श्रेणियों के कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए गए हैं :

मेडीकल आफीसर्स	२२
मलेरिया इंस्पेक्टर्स	१३३
इंजीनियर्स	१०

डेहरी रोहतास लाईट रलवे

*१३८४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि डेहरी रोहतास लाइट रेलवे लाइन की मेनेजिंग एजेंसी फिर से मेसर्स डालमिया एण्ड कम्पनी को दिए जाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

सुल्तानगंज-वैद्यनाथ धाम लाइट रेलवे

*१३८५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सुल्तानपुर वैद्यनाथ– धाम लाइट रेलवे को चालू करने के लिए एक कम्पनी पंजीबद्ध कराई गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) उक्त कम्पनी ने अब तक प्रस्तावित लाइन का परिमाप-कार्य भी शरू नहीं किया है।

वातावस्थापित दरजा

*१३८६. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह रेल लाइनें कौन सी हैं जिन पर एयरकंडीशंड डिब्बे लगाये गये हैं ?

(ख) क्या प्रथम श्रेणी के वह पदाधिकारी, जिन को पहले दरजे में यात्रा करने

का अधिकार था, इस एयरकंडीशंड दरजे में यात्रा करने के अधिकारी होंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) एक विवरण, जिस में उन ट्रेनों के नाम जिन में एयरकंडीशंड डिब्बों वाली गाड़ियां इस समय लगाई गई हैं, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३]**.

(ख) जी नहीं, पहले दरजे के हटाये जाने के फलस्वरूप पास सम्बन्धी नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । प्रथम श्रेणी के केवल वही पदाधिकारी जो प्रशासनिक पदों पर या उन से अधिक उच्च पदों पर हैं, पहले की भांति ड्यूटी पर जाते समय एयर-कंडीशंड दरजे में निःशुल्क यात्रा करने के अधिकारी हैं ।

बलीबाडे का फ्लग स्टेशन

*१३८७. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गांधीनगर (कोल्हापुर) बस्ती के निवासियों की ओर से सरकार को वेलीवाडे के वर्तमान फ्लैग स्टेशन के एक नियमित स्टेशन बना दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ? जाए, क्यों कि इस स्टेशन का लाभ उठाने वाले आस-पास के गांवों के अलावा उपनगर की ही आबादी ८००० स अधिक है,

(ख) यदि प्राप्त हुआ है, तो सरकार इस मांग को कब स्वीकार करने की प्रस्थापन करती है ?

रेल तथा यतायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को दक्षिण रेलवे के वेलीवाडे स्टेशन को माल तथा सवारियों के बुकिंग की सुविधा वाली नियमित स्टेशन में बदल दिये जाने के सम्बन्ध में प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह बात विचाराधीन है ।

चितबडागांव में वैगनोंका सम्भरण

*१३८८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के चितबड़ागांव स्टेशन में १-५-१९५३ तक कितने वैगनों के लिये वहां के महाजनों ने रजिस्ट्रेशन किया था;

(ख) क्या इस रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिये रेलवे विभाग के अधिकारियों ने ६५ वैगनों की एक पूरी की पूरी गाड़ी दी थी ;

(ग) इन में से कितने वैगन लादे गये और कितने का रजिस्ट्रेशन प्रतिसंहृत (कैन्सिल) करांया गया ;

(घ) क्या प्रतिसंहृत बैगनों की ज़मानत का रुपया लौटाना भी पड़ा; तथा

(ङ) यदि हां, तो कितना और क्यों ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चितबड़ागांव में ६०२ डिब्बे ।

(ख) आसाम जाने वाले माल को ले जाने के लिए ९ मई, १९५२ को उपलब्ध ६५ डिब्बों में से ६ स्टेशन पर पहले ही थे और ५९ उस दिन एक गाड़ी में आये थे ।

(ग) २३ डिब्बे लादे गये थे और आसाम के ५७४ रजिस्ट्रेशनों को प्रतिसंहृत समाझा गया ।

(घ) जी हां, केवल ५७२ डिब्बों के ही रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में ।

(ङ) १४,२२५ रुपयों की वापसी का प्रबन्ध किया जा चुका है और शेष ७५ रुपये न्यायालय में सन्तोषजनक याचिका के प्रस्तुत कर दिये जाने पर लौटा दिये जायेंगे । व्यापारियों द्वारा इस विषय में बताये गये इन आधारों को कि डब्बे उन की मांग के सम्बन्ध में आवंटित नहीं किये गये थे और क्योंकि उन्हों ने अपनी मांग वापस नही ली है,

इसलिये पंजीयन शुल्क जब्त न किया जाये, स्वीकार किया गया। अतः जमानत वापस लौटा दी गई।

गाड़ियों में भीड़

*१३८९ **श्री पी० रामास्वामी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रेलों के तीसरे दरजे में होने वाली भारी भीड़ के सम्बन्ध में कोई परिमाप कार्य किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस परिमाप का परिणाम क्या निकला है ?

(ग) मुख्य लाइन की किन-किन सीधी (थ्रू) गाड़ियों में भारी भीड़ पाई गई है ?

(घ) भीड़ कम करने के लिये क्या कुछ, यदि कोई, कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की प्रस्थापना है।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जी हां।

(ख) नवीन परिमाप से ज्ञात होता है कि साधारणतः मुख्य लाइन की सभी सीधी (थ्रू) गाड़ियां भरी रहती हैं और कभी कभी कुछ शाखाओं और वर्ष के कुछ विशेष काल में भारी भीड़ हो जाती है।

(ग) जिन गाड़ियों में साधारणतः भारी भीड़ रहती है, उन का ब्यौरा सदन पटल पर रखे गये एक विवरण में दिखाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४]**

(घ) भारी भीड़ न होने देने के लिये की गई कार्यवाही में यह बातें सम्मिलित हैं :

(१) अतिरिक्त गाड़ियों का चलाया जाना;

(२) कुछ विद्यमान गाड़ियों की यात्रा दूरी का बढ़ाया जाना ;

(३) गाड़ियों में विभिन्न दरजों के स्थान के अनुपात का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना।

छपाई का कागज

* १३९० **श्री विश्वनाथ राय:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बांस की लुगदी से छपाई का कागज बनाने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) बांस से अखबारी कागज जैसे सस्ते छपाई के कागज के बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रयोगशाला तथा अग्रिम संयंत्र सम्बन्धी प्रयोग किये गये हैं। किसी कागज मिल में व्यापारिक आधार पर परीक्षण करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

डाक तथा तार कर्मचारियों को खराब जलवायु सम्बन्धी भत्ते

* १३९१. **श्री टी० बी० विट्ठलराव :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को खराब जलवायु का भत्ता देने के प्रयोजन से कुछ स्थानों का वर्गीकरण करने के लिए जो परिमाप किया जा रहा था, वह पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उस के कारण; तथा

(ग) परिमाप कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) वर्गीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, परन्तु कुछ स्थानों के विषय में भत्ते के पुनरीक्षण का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। सभी स्थानों के विषय में भत्ते का एक साथ पुनरीक्षण करना संभव नहीं है।

(ग) सन् १९४९ में।

मंड्या में विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र

*१३९२. **श्री शिवलिंगप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंड्या, मैसूर राज्य के विश्वेश्वरैया फार्म में एक विस्तार-प्रशिक्षण केन्द्र है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इन प्रशिक्षणार्थियों ने गत मास भख हड़ताल की थी ; तथा

(घ) यदि हां, तो उस के कारण ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) ६६ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भारत-पाकिस्तान रेलवे सम्मेलन

*१३९३ { **श्री मुनिस्वामी** : **श्री जी० पी० सिन्हा** : **डा० राम सुभग सिंह** : **श्री संगण्णा** : **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत-पाकिस्तान रेलवे सम्मेलन हाल ही में कराची में हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में कोई निर्णय किये गये थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नवम्बर, १९५३ में कराची में निम्नांकित बैठकें हुई थीं :

(१) भंडार उपसमिति (रेलवे), इंजिन-डिब्बों की शेष मदों के विभाजन का निश्चय करने के लिए (१६ से १८ नवम्बर, १९५३ तक) ।

(२) रेलवे स्थायी समिति की पाकिस्तान के साथ आवागमन और स्टाक के आने-जाने से सम्बन्ध रखने वाली नवीनतम बातों का निर्णय करने के लिए (१९ नवम्बर, १९५३) ।

(३) भारत तथा पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य यात्री यातायात के फिर से चालू किये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन (१९ नवम्बर, १९५३) ।

(ख) भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य यात्रियों के यातायात के फिर से चालू किये जाने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ, पर इंजिन-डिब्बों की बाकी मदों के तथा भंडारों और ठेकों तथा कर्मचारियों के दावों विषयक अन्य बातों के विभाजन तथा आदान-प्रदान के विषय में निर्णय किये गये थे । सम्मेलन के विवरण अभी तक दोनों सरकार के अनुसमर्थनापेक्ष हैं ।

विस्थापित क्षय रोगी

* १३९४. **श्री भागवत झा** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या पुनर्वास मंत्रालय ने विस्थापित स्थानीय क्षयरोगियों की चिकित्सा के लिए सन् १९५३-५४ में कुछ धनराशि स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदान की है ?

(ख) अब तक इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए स्वीकृत की गई कुल धन राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को सन् १९४९-५० के बाद से अब तक दी गई राशि कुल १७,४६,००० रुपये है ।

दक्षिण बिहार शुगर वर्क्स, बिहटा

*१३९५. **ठाकुर जुगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड, बिहटा को बम्बई राज्य में चले जाने की अनुमति देने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में बिहार सरकार से परामर्श किया गया था; तथा

(ग) इस फ़ैक्टरी को वहां ले जाने का निर्णय किन कारणों से किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) फ़ैक्टरी के क्षेत्र में गन्ने की कमी के कारण बिहटा में फ़ैक्टरी को चलाना लाभदायक नहीं है । नये स्थान पर इस के सम्पूर्ण सामर्थ्य से चल सकने की अधिक आशा है ।

रलवे कुशल कर्मचारी

*१३९६. **श्री एम० एन० सिंह** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊंचे दर्जे के प्रवीण तथा उस्ताद दस्तकारों के सम्बन्ध में सह-परामर्शदायी समिति की सिफ़ारिशें क्या हैं ?

(ख) क्या इन सिफ़ारिशों को, विशेषकर गोरखपुर स्थित रेलवे वर्कशाप में, कार्यान्वित किया जा चुका है ?

(ग) यदि उपर्युक्त खण्ड (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उस के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सिफ़ारिश यह की गई थी कि ऊंचे दर्जे के प्रवीण कर्मचारियों की दो श्रेणियां बनाई जायें—प्रथम श्रेणी के ऊंचे दर्जे कि प्रवीण कर्मचारी १२५–१८५ रुपये के वेतन पर तथा द्वितीय श्रेणी के ऊंचे दर्जे के प्रवीण कर्मचारी ८०–१६० रुपये के वेतन पर । उस्ताद दस्तकार प्रथम श्रेणी के ऊंचे दर्जे के प्रवीण कर्मचारी माने जायेंगे ।

(ख) तथा (ग) अधिकांश रेलों में यह सिफ़ारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं । गोरखपुर स्थित रेलवे वर्कशाप सम्बन्धी सुझाव तय्यार होने वाले हैं ।

तम्बाकू वर्गीकरण निरीक्षण कार्यालय

*१३९७ **श्री एस० बो०एम० नरसिंहम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तम्बाकू वर्गीकरण निरीक्षण कार्यालय के पदों के वेतन क्रम के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का पालन किया जा चुका है ?

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख), भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के तम्बाकू वर्गीकरण निरीक्षण कार्यालय के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग ने कोई सिफ़ारिश नहीं की । सरकार ने १ मार्च १९५३ से इस जांच कार्यालय को अपने हाथ में लिया है ।

रेलवेज़ कान्फ्रेंस एसोसिएशन

*१३९८. **श्री वल्लाथरास** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंडियन रेलवेज़ कान्फ्रेंस ऐसोसिएशन एक वैधानिक सभा है तथा यदि हां तो यह सभा किस विधान के अन्तर्गत बनाई गई थी ?

(ख) भारतीय रेलों के संविलियन के पश्चात् क्या इस एसोसिएशन का पुनर्संगठन

किया गया है अथवा क्या सरकार का ऐसा करने का कोई विचार है ?

(ग) क्या इस एसोसिएशन को भंग करने सम्बन्धी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ?

(घ) क्या इस एसोसिएशन का व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है ?

(ङ) इस की लेखाओं का परीक्षण कौन करता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इंडियन रेलवेज़ कान्फ्रेंस एसोसिएशन भारत की सभी रेलों का (सरकारी तथा ग़ैरसरकारी) का एक एच्छिक संगठन है तथा यह कोई वैधानिक सभा नहीं है। फिर भी यह सरकारी नियंत्रण के आधीन है ।

(ख) और कोई पुनर्संगठन नहीं हुआ है सिवाये इस के कि वैगनों के नियंत्रण तथा नियमन का अधिकार जिस का प्रयोग आई० आर० सी० ए० के प्रधान सचिव, अभी तक वैगन विनिमय संचालक के रूप में किया करते थे, अब रेलवे बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

(ग) नहीं ।

(घ) यह खर्चा इस एसोसिएशन की सदस्य रेलों द्वारा बर्दाश्त किया जाता है ।

(ङ) उत्तर रेलवे के लेखा विभाग ।

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण परियोजना

*१३९९. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण परियोजना में, टेकनिकल सहयोग प्रशासन की सहायता से, तथा भारत सरकार के तत्वावधान में, आन्ध्र राज्य, विशाखापत्तनम्, श्रीकाकुलम् तथा पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी ज़िलों के मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों के लिये, किसी योजना पर विचार किया गया है ?

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड (क) का उत्तर हां हो तो उड़ीसा तथा आन्ध्र राज्य के एजेंसी प्रदेशों में फैले हुए मलेरिया पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने की दृष्टि से क्या उक्त राज्यों के समीपवर्ती मलेरिया क्षेत्रों में काम करने वाले मलेरिया नाशक दलों के बीच कोई समन्वय होगा ?

स्वास्थ्यमंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) हां ।

(ख) भारत के मलेरिया संस्थान के संचालक की देखरेख में जो सारे देश के राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का समन्वय स्थापित करने वाला अधिकारी है, मलेरिया नाशक दलों में परस्पर समन्वय कायम रखा जायगा ।

टैंकर बेड़ा

*१४००. **डा० रामसुभगसिंह** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारत के लिये टैंकर बेड़े का मूल केन्द्र निर्मित करने का विचार करती है ?

(ख) यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तय्यार की गई है ?

(ग) यदि उपर्युक्त खण्ड (ख) का उत्तर 'हां' हो तो इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) से (ग) तक : सरकार द्वारा वाणिज्य कार्यों के लिये कुछ टैंकर प्राप्त किये जाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । अभी यह बताना संभव नहीं है कि योजना का विवरण क्या है या कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है ।

मद्रास को छोटी छोटी सिंचाई परियोजनायें

*१४००. (क) **श्री वीरस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५३ में छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास राज्य को कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

(ख) इस प्रकार कितनी छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं को सहायता पहुंचाई गई ?

(ग) इन परियोजनाओं के द्वारा लगभग कितने एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) से (ग) तक : सदनपटल पर एक विवरण रखा जा रहा है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है [**देखिये परिशिष्ट, अनुबन्ध संख्या २५**]

राजस्थान में नये डाकखाने

*१४०१. **श्री भोखाभाई** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा ज़िलों में कितने नये डाकखाने खोले गये हैं या खोले जाने वाले हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम):

उदयपुर—खोले गये		शून्य
	खोले जाने वाले	१

चित्तौड़गढ़ (रियासत प्रतापगढ़, ज़िला चित्तौड़गढ़ में संविलीन कर दी गई है)—

खोले गये	३
खोले जाने वाले	१
बांसवाड़ा—खोले गये	शून्य
खोले जाने वाले	६

जामनगर में टेलीफून एक्सचेंज्ज

*१४०२, **श्री जेठालाल जोशी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जामनगर में अभी तक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधाएं नहीं हैं ?

(ख) सरकार कब तक इन सुविधाओं का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

संचरण मंत्री (श्रीजगजीवन राम) : (क) तथा (ख) जामनगर में एक टेलीफ़ोन एक्सचेंज मौजूद है । उस के पुनर्वास की तथा ट्रंक नेटवर्क से उस का सम्बन्ध स्थापित करने की एक योजना को परीक्षा की जा रही है ।

रेल के बहुत पुराने डब्बे

*१४०३ **श्री जेठालाल जोशी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वीरमगांव तथा सुरेन्द्रनगर जैसे बड़े बड़े जंकशनों में भी अतिरिक्त डब्बे नहीं रखे जाते हैं तथा इस कारण बहुधा नीचे दर्जे के डब्बों को ऊंचे दर्जे के डब्बों में तथा ऊंचे दर्जे के डब्बों को नीचे दर्जे के डब्बों में बदलना पड़ता है ?

(ख) यदि हां तो क्या सरकार बहुत पुराने डब्बों के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर विचार करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) डब्बों की अत्यन्तस्वलपता के कारण, बड़े बड़े जंकशनों पर उचित प्रकार के अतिरिक्त डब्बों का प्रबन्ध करना संभव नहीं है। इस लिये कभी कभी रोज़ की गाड़ियों में कम पड़ने वाले डब्बों के स्थान पर उसी प्रकार के डब्बे आदिष्ट करना संभव नहीं हो पाता है ।

(ख) हां जैसे जैसे तथा जब क्रमशः प्राप्त होने वाले डब्बों से ऐसा करना संभव होता जायेगा ।

रलवे ज्येष्ठता समितियां

*१४०४ **श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सब रेलों में कितनी ज्येष्ठता समितियां कार्य कर रही हैं ?

(ख) अब तक इन ज्येष्ठता समितियों पर कुल कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

(ग) क्या इन समितियों के काम के समाप्त होने की तिथियां लगातार बढ़ाई जाती रही हैं ?

(घ) इन समितियों के काम के कब पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

(ङ) क्या यह सच है कि अनेक ज्येष्ठ रेलवे कर्मचारी इसी बीच अपनी ज्येष्ठता प्राप्त किये बिना ही रिटायर हो चुके हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक भी नहीं । अप्रैल १९५३ में सभी ज्येष्ठता समितियां समाप्त कर दी गई थीं ।

(ख) सब मिला कर लगभग छै लाख रुपया ।

(ग) से (ङ) तक । भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । संविलियन की तिथि पर जो कर्मचारी नौकर थे तथा रिटायर हो चुके हैं उन की ज्येष्ठता पुष्टिकरण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार फिर से निर्धारित की जावेगी ।

दक्षिण रेल में पटरियों का पुनः बिछना

*१४०५. **श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण रेल के इंजीनियरिंग विभाग ने बढ़ाये गये क्षेत्रों में पटरियों के पुनः बिछाने का कार्य आरम्भ करने के लिये अनुमति मांगी है क्योंकि उस से आने-जाने वाली जनता को काफी खतरा रहता है ;

(ख) क्या रेल मण्डल ने उन निवेदनों को ठुकरा दिया है ;

(ग) क्या मार्ग की खतरनाक दशा के कारण दक्षिण रेल के बहुत से क्षेत्रों में गति प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ; तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि इन गति प्रतिबन्धों के रहते हुए भी ड्राइवर इन मार्गों पर खड़खड़ाहट तथा इधर-उधर हिलने-डुलने की शिकायत करते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) अभी तक किसी ऐसे मामले का पता नहीं चला है ।

रेल सेवा आयोग

*१४०६. **श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेल प्रशासन को चुनाव मण्डलों द्वारा पूछे गए अनेक निरर्थक प्रश्नों से कर्मचारियों में असन्तोष की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो यह देखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि चुनाव मण्डलों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निदेश कर्मचारियों के कार्य तथा कर्तव्यपरायणता में उन की कुशलता की जांच का पता लगाने के लिये किया गया है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यद्यपि माननीय मंत्री ने पहले कुछ साधारण दोषारोपण किये हैं किन्तु कोई विशेष शिकायतें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) चुनावों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को कितना महत्व दिया

जाये यह बताने वाले अनुदेश रेलों को जारी कर दिए गए हैं ।

शोलापुर भू-संरक्षण अन्वेषण केन्द्र

*१४०७. **श्री कानावडे पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शोलापुर भू-संरक्षण अन्वेषण केन्द्र इस बात की जांच करने के लिये कोई प्रयोग कर रहा है कि बम्बई राज्य के शोलापुर जिले में कितने प्रतिशत भूमि-कटाव हो रहा है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ कितना भूमि कटाव होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६]**

मेरीन इन्जीनियरिंग कालेज बेहाला

*१४०८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हाल ही में कलकत्ता में बेहाला नामक स्थान पर एक मेरीन इन्जीनियरिंग कालेज खोला गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस कालेज में, पढ़ाये जान वाले विषय क्या हैं ?

(ग) क्या यह कालेज अधिकारियों को प्रशिक्षा देने के लिये ही बना है अथवा इस कालेज में गैरसरकारी लोगों को भी प्रशिक्षा दी जा सकती है ?

(घ) क्या इस कालेज में कोई विदेशी विशेषज्ञ भी कार्य कर रहे हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ग) कालेज में १५½ वर्ष से १९ वर्ष की आयु के बीच वाले वांछित शैक्षित-योग्यता प्राप्त सभी लड़कों का प्रवेश कराया जा सकता है ।

(घ) इस कालेज में सेवा नियोजित विदेशी केवल प्रिंसिपल ही है ।

रेल की भूमि

*१४०९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप-लाइनों की भांति ही मुख्य लाइन पर आसनसोल से ले कर गया तक उस के दोनों ओर की भूमि प्रति वर्ष भावी उच्चतम बोली लगाने वाले कृषकों को दे-दी जाती है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इस वर्ष धान की खेती से पूर्व सभी भूमियों का सौदा तय हो गया था, और यदि नहीं तो क्यों ?

(ग) क्या इस वर्ष कुछ भूमियों का मसला तय नहीं हुआ था और यदि एसा है तो किन स्थानों पर तथा क्यों ?

(घ) १९५१, १९५२ तथा १९५३ में बोली में प्राप्त हुई राशि क्या थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नीति यह है कि सभी कृषियोग्य अतिरिक्त रेल भूमि को कृषकों को पट्टों पर देने के लिये राज्य सरकारों को दे दी जाती है और भावी कृषकों को भूमि उठा देने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उन पर रहता है ।

(ख) तथा (ग) पश्चिमी बंगाल में अतिरिक्त रेल भूमि राज्य सरकार को दे दी गई है । झरिया कोयले की खानों के क्षेत्र की भूमि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध

में कुछ अनिवार्य विलम्ब हो गया है क्योंकि बिहार सरकार समय के अन्दर सब अतिरिक्त भूमि नहीं ले सकी है ।

(घ) १९५१—१७,१४० रु०
१९५२—२६,२९८ रु० ८ आ
१९५३—११,६६१ रु ८ आ

गन्ने का मोम

*१४१०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह जानने के लिये कोई अन्वेषण किया गया है कि गन्ने के मोम का उपयोग अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां तो क्या पता चला तथा

(ग) भारतीय गन्ने से प्राप्त होने वाले मोम का प्रतिशत ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) वांछित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८]**

सिसिवा चीनी कारखाना

*१४११. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० नवम्बर, १९५३ को पूछे गए आरांकित प्रश्न संख्या २३१ के उत्तर का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ के मई मास में सिसिवा चीनी कारखाने की वसूली में एकाएक कमी के क्या कारण हैं ; तथा

(ख) सिसिवा कारखाने में १९५२-५३ की फसल का कुल उत्पादन क्या था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) वांछित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९]**

टिड्डियां

*१४१२. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० नवम्बर, १९५३ को तामिलनाद के कुछ जिलों में टिड्डियों के फसल पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के दिये गए उत्तर से उत्पन्न होने वाले सहायक प्रश्न के उत्तर का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उस का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) पिछले ४ वर्षों से सम्पूर्ण मद्रास राज्य में टिड्डियों का कोई भी आक्रमण नहीं हुआ है ।

मालगाड़ी के डब्बे

*१४१३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय रेलों के लिये माल के डिब्बों की कुल समस्त वार्षिक आवश्यकता; तथा

(ख) क्या सरकार माल गाड़ी के डिब्बों के निर्माण के लिये अपना कारखाना खोलने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अगले छः वर्षों के लिये मालगाड़ी के डिब्बों की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान लगभग १२००० लगाया गया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान, इन डिब्बों के लिये भारत में गैरसरकारी फर्मों को आर्डर देने का प्रस्ताव रखा गया है ।

पुल

*१४१४. **श्री हेम राज** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में राज मार्गों पर पुलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि दी है ?

(ख) क्या पंजाब सरकार ने व्यास नदी पर देहरा गोपीपुर नामक स्थान पर पुल बनवाने के लिये अनुदान प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है, और यदि ऐसा है, तो कितनी राशि के लिये ?

(ग) क्या अभाव वाले क्षेत्रों में ऐसे पुलों के निर्माण करने पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है ?

रल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वांछित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है।

(ख) हां। पंजाब सरकार ने प्रस्तावित पुल की लागत के २।३ भग, के लिये २० लख रुपये हाल ही में केन्द्रीय मार्ग रक्षित निधि (साधारण) से अनुदान के रूप में मांगे हैं। उस प्रार्थना पर विचार हो रहा है। पुल राजमार्ग पर नहीं पड़ता है।

(ग) किसी भी राज्य सरकार ने कमी बाले क्षेत्रों की आवशयकता के लिये राज मार्ग पर पुल बनवाने के लिय अब तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। राजमार्गों के विकास हेतु आवश्यक पुलों को बनवाने के लिये पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है

विवरण

पंजाब सरकार को वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में उस राज्य में राजमार्गों पर पुल बनवाने के लिये दी गई धनराशि।

वर्ष	राशि (लाखों में)
१९५१-५२	५.२६
१९५२-५३	९.०१
१९५३-५४	११.७७

अरगाट

*१४१५. **डा० रामा राव** : (क) स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृप करेंगी कि क्या मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास ने भारत में 'अरगेट' के तैयार करने और प्रमाणीकृत करने का काम शरू किया था ?

(ख) क्या उसे सरकारी स्टोरों और अस्पतालों में बांटा गया था ?

(ग) क्या यह काम अभी हो रहा है; यदि नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०]

हवाई दुर्घटना में मारे गये लोगों को क्षतिपूर्ति

*१४१६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ८ मई १९५३ को पालम पर एयर इंडिया डकोटा की जो दुर्घटना हुई थी उस में मारे गये एयर इंडिया कर्मचारियों के आश्रितों को कुल कितनी क्षतिपूर्ति, उपदान तथा भविष्य निधि दी गई ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१]. दुर्घटना ९ मई, १९५३ को बहुत सवेरे १ बज कर १३ मिनट पर हुई थी।

इंजिनियरिंग निरीक्षक

१४१७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग में इंजीनियरिंग निरीक्षकों की भरती के लिये २६ जनवरी १९५० से पहले जारी किये गये नियम अनुविहित हैं या नहीं ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त नियम किस प्राधिकार के अन्तर्गत, किन अधिकारों का प्रयोग करते हुए और किस के द्वारा जारी किये गये थे;

(ग) क्या इंजीनियरिंग निरीक्षकों के लिये १९५३ में जारी किये गये नियम राष्ट्रपति द्वारा भारत-संविधान के अनच्छेद ३०९ के अन्तर्गत बनाये गये थे ; तथा

(घ) यदि इंजीनियरिंग निरीक्षकों की भरती के लिये १९५० के पहले वाले नियम अनुविहित नहीं हैं तो क्या कर्मचारियों की दोनों श्रेणियों को एक ही पदाली में रखा जा सकता है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) २६-१-५० से यानी संविधान की उद्घाटन-तिथि से पहले भरती के जो नियम जारी किये गये थे वे कार्यपालिका अनुदेशों के रूप में थे ।

(ख) ये नियम सरकार में निहित सामान्य कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत जारी किये गये थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

झूम की खेती

*१४१८. **श्री रिशांग किशिंग :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने हाल में आसाम के पहाड़ी इलाक़ों में झूम की खेती से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये वन महा-निरीक्षक के नेतृत्व में दो विशेषज्ञों को भेजा था ?

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने किन किन जगहों का दौरा किया ?

(ग) उन्हों ने क्या सिफ़ारिशें की हैं ?

(घ) उन की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने में कितना खर्चा होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषी मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२**]। रिपोर्ट की प्रतियां भी पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ङ) लगभग १२ लाख रुपए ।

सहरसा में टेलीफ़ोन एक्सचेंज

*१४१९. **श्री एल० एन० मिश्र :** **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सहरसा (बिहार) में एक टेलीफ़ोन एक्सचेंज खोलने के लिये सरकार से अभ्यावेदन किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सहरसा में टेलीफ़ोन संबंधी सुविधायें देने का विचार रखती है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कलकत्ते के लिए चावल

*१४२०. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चावल देने

का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का प्रबन्ध करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि उस क्षेत्र में राशन की दुकानों द्वारा अच्छा चावल बेचा जाय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, और यह आशा है कि पश्चिमी बंगाल सरकार राज्य में ही खरीदे गए चावल से इस काम के लिए १ लाख टन चावल देगी।

(ख) जी हां, यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जहां भी आवश्यकता हो उड़ीसा के चावल को और साफ़ किया जाए जिससेकि पश्चिमी बंगाल के लोग उसे स्वीकार करें और पश्चिमी बंगाल के कोटे का एक भाग धान के रूप में उसे दिया जाय जिसे पश्चिमी बंगाल वाले स्वयं ही कूट सकें।

कागज़ बनाने का यंत्र

*१४२१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९४९ में देहरादून गवेषणा संस्था के लिए २० लाख रुपये का एक कागज़ बनाने का यंत्र विदेश से मंगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत सी मशीनों की पैकिंग भी अभी तक खोली नहीं गई ;

(ग) क्या यंत्र अभी तक लगाया नहीं गया है;

(घ) इस यंत्र की देख रेख तथा संरक्षण के निमित १९४९ से अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है; और

(ङ) क्या सरकार इस यंत्र का उपयोग न करने की दशा में इसे इस उद्देश्य से बेच देना चाहती है कि यह देश के उत्पादन कार्य में कहीं काम आ जाय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी, हां। परन्तु इस यंत्र पर साढ़े तेरह लाख रुपये खर्च हुआ था।

(ख) मशीनें खोल ली गई हैं, उनकी पड़ताल की गई है और उन में से कुछ लगा दी गई हैं।

(ग) इस यंत्र को लगाने में देरी इस लिए हुई है कि :

(१) संयुक्त राज्य अमरीका से नक्शे आदि आने और ;

(२) इसकी अनुपूरक मशीनों के लिए टेकनिकल सहयोग व्यवस्थान से लाभ उठाने में, देरी हुई है।

(घ) बिल्कुल नहीं।

(ङ) नहीं।

गैर सरकारी रेलवे लाइनें

*१४२२. **श्री गोपाल राव** :(क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अराह–ससाराम लाइट रेलवे और फतुआ इस्लामपुर लाइट रेलवे—जो मार्टिन एण्ड कम्पनी के प्रबन्ध में हैं—के मज़दूरों ने कम्पनी को यह नोटिस दिया था कि वे ३ दिसम्बर १९५३ से हड़ताल कर देंगे ?

(ख) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ?

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि):(क) बिहार लाइट रेल-कर्मचारी संघ, अराह ने ४ नवम्बर १९५३ को मार्टिन लाइट रेलवेज़ के महाप्रबन्धक को यह नोटिस दिया कि मजदूरों की मांगें न मानी गईं तो वे २६ नवम्बर १९५३ से हड़ताल कर देंगे। उसके बाद इस संघ ने मुख्य श्रम आयुक्त को सूचना दी कि हड़ताल ३ दिसम्बर १९५३ तक के लिए

स्थगित कर दी गई है। पता चला है कि संघ ने हड़ताल स्थगित कर दी है।

(ख) एक विवरण, जिसमें इस संघ की मांगें दी हुई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३]

(ग) समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) पटना मज़दूरों तथा कम्पनी के बीच समझौता कराने की चष्टा कर रहा है। उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आवश्यकतानसार आगे कार्यवाही की जायगी।

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध कार्यक्रम

*१४२३. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार टेक्निकल सहयोग व्यवस्थान कार्यक्रम के अधीन एक राष्ट्रीय जल प्रबन्ध कार्यक्रम पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस अवस्था में है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग के साथ इस योजना के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जा रहा है।

कानपुर में रेल दूर्घटना

*१४२४. **श्री एम० डी० जोशी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कानपुर में रेलवे लाइन पर बैठे १४ ऊंट डाक गाड़ी के नीचे आकर कुचले गए, जैसा कि ३० नवम्बर, १९५३ के "टाइम्स आफ़ इण्डिया" के अग्रलेख "कानपुर में कत्ले आम" में उल्लेख किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना के कारणों की जांच की है ?

(ग) इस जांच का फल क्या हुआ ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) २५ नवम्बर, १९५३ को प्रातः लगभग पौने छै बजे, नम्बर ११२ अप लखनऊ बांदा मुसाफिर गाड़ी, जबकि वह कानपुर पुल के बाहर के सिग्नल के पास थी, के नीचे कई ऊंट कुचले गए, जिनमें से १४ मारे गए। इस के फलस्वरूप इस गाड़ी के इजन का कुछ भाग पटरी से नीचे उतर गया।

(ख) जी, हां। रेलवे के कनिष्ट अधिकारियों की एक समिति ने संयुक्त जांच की थी।

(ग) वायुमण्डल में धुंध सी होने के कारण गाड़ी का ड्राइवर यह नहीं देख सका कि पटड़ी रुकी हुई ह और समय पर गाड़ी नहीं रोक सका जिस से कि ऊंट कुचले न जाये।

नागरिक उड्डययन

*१४२५. **श्रीमती कमलन्दुमति शाह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि क्या सरकार की यह नीति है कि राज्यों की राजधानियों के बीच वायुयानों के आने जाने की व्यवस्था की जाय ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य वाही की जा रही है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। भारत सरकार की नीति यह है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी तक और वहां से वायुयानों के जाने और आने की व्यवस्था की जाय परन्तु शर्त यह है कि वाययानों में आने जाने वालों की पर्याप्त संख्या हो और राजधानी के पास ही हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त स्थान हो।

(ख) मैं जो विवरण सदन पटल पर रख रहा हूं, उसके अनसार, भारत के २७ राज्यों में से २० की राजधानियों में हवाई अड्डे हैं [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]

जल्दी ही चण्डीगढ़ में हवाई अड्डा बनाने का विचार है। शिलांग के पास भी हवाई अड्डा बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

रेलवे कर्मचारियों की फिर से नियुक्ति

***१४२६. { श्रीमती सुचेता कृपलानी :
श्री बी० एस० मूर्ति :**

क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९३१ में जब अलीपुर सैण्ट्रल जेल में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर आक्रमण किया गया था तो ईस्टर्न रेलवे की लल्लोह वर्कशाप के मजदूरों ने वर्कशाप के अन्दर प्रदर्शन किया था जिस के फलस्वरूप भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७ के अधीन उन पर मुकद्दमा चला था और उन्हें दण्ड दिया गया था;

(ख) क्या भारत सरकार के १३ सितम्बर १९५१ के आदेश के अधीन, उन मजदूरों की पुन: नियुक्ति के लिए सरकार से अपीलें की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बैंक कर्मचारियों को बोनस

***१४२७. श्रीमती सुचेता कृपलानी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया, पंजाब नैशनल बैंक और यूनाइटिड कमर्शल बैंक के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों को १९५२-५३ के लिए जो बोनस देना था, उसकी मात्रा कम कर दी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार है कि इन कर्मचारियों को जो बोनस मिलना चाहिए उसके दिलवाने के लिए कोई कार्यवाही की जाय, यदि हां तो क्या?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख). यूनाइटिड कमर्शल बैंक के कर्मचारियों को १९५०, १९५१ तथा १९५२ —इन तीन वर्षों के बोनस के सम्बन्ध में जो झगड़ा है वह औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है और उसके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

जहां तक सैन्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया और पंजाब नैशनल बैंक के कर्मचारियों के बोनस की मात्रा सम्बन्धी झगड़े का सम्बन्ध है, मुख्य श्रम आयुक्त ने समझौता कराने की चेष्टा करने के बाद जो रिपोर्ट दी है सरकार उस पर विचार कर रही है।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड

***१४२८. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन बनाया गया केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड अभी तक है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड में बीड़ी उद्योग के कितने प्रतिनिधि हैं;

(ग) इस की पिछली बैठक किस तिथि को हुई थी और उसमें बड़ी बड़ी क्या सिफारिशें की गईं, और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो तो यह बोर्ड कब और कितने समय के लिए बनाया गया था?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी, हां।

(ख) दो; एक मालिकों का और एक मजदूरों का।

(ग) २० और २१ जुलाई, १९५० को बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखदिया गया।[देखिये पुस्तकालय देशनांक संख्या एस० २४३।५३]

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जहाज़ कम्पनियों को सहायता

*१४२६. **श्री के० सी० मोधिया :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३ में गैर सरकारी जहाज़ कम्पनियों को तटीय यातायात के लिए जहाज़ खरीदने के लिए कुल कितना ऋण दिया गया और प्रत्येक कम्पनी को कितनी राशि दी गई ?

(ख) उस ऋण से कितने टन वजन के पुराने और नए जहाज़ किन देशों से खरीदे गए हैं।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण' जिसमें यह जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ३५]।

राष्ट्र मंडल दूर संचार बोर्ड

*१४३०. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२–५३ में राष्ट्रमंडल दूर संचार बोर्ड को कुल कितनी धनराशि का अंशदान दिया गया है ?

(ख) इस बोर्ड में भारत के कितने प्रतिनिधि हैं तथा उसका मुख्यालय कहां है ?

(ग) क्या इस कार्यालय की नौकरी में कोई भारतीय भी हैं, यदि हां तो कितने ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ६०,०००।

(ख) अन्य राष्ट्र मंडलीय देशों की भांति भारतवर्ष का भी इस बोर्ड में एक प्रतिनिधि है। बोर्ड का कार्यालय लन्दन में है।

(ग) जी हां, एक।

महाबीर जी रेलबे स्टेशन

*१४३१. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पश्चिम रेलवे के श्री महाबीरजी स्टेशन को प्रतिवर्ष लगभग एक लाख व्यक्ति जाते हैं ?

(ख) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि वहां रेलों के आगमन तथा जाने का समय बड़ा असुविधाजनक है और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को अभ्यावेदन भी किये जा चुके हैं ?

(ग) क्या इस स्टेशन पर कोई फास्ट तथा मेल गाड़ियां भी रुकती हैं ?

(घ) यदि नहीं तो क्या इन गाड़ियों में से किसी गाड़ी को वहां रुकवाने का विचार सरकार रखती है ?

(ङ) क्या शटिल गाड़ी को सवाई माधोपुर तक बढ़ाने अथवा ३३ डाऊन और ३४ अप गाड़ी में इस स्टेशन से आने जाने के लिए विशेष डिब्बे लगाने के बारे में सरकार ने विचार किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) औसतन लगभग ब्यासी हज़ार यात्री प्रतिवर्ष श्री महाबीरजी जाते हैं।

(ख) इस स्टेशन पर होकर दो एक्सप्रेस गाड़ियां जिनमें फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी भी सम्मिलित है, इधर उधर से जाती हैं, एक्सप्रेस गाड़ियां जो यहां होकर जाती हैं, वे बहुत

रात में गुज़रती हैं, अतएव वे सुविधाजनक नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ग) तथा (घ) जी हां, ३३ डाऊन तथा ३४ अप देहरादून एक्सप्रेस गाड़ियां।

(ङ) ब्याना तथा सवाई माधोपुर के बीच शटिल गाड़ी को बढ़ाने के लिए काफ़ी यातायात नहीं है। इसके लिए बड़ी लाइन के इंजिन को छोटी लाइन के इंजिन में बदलने की भी सुविधा करनी होगी जो कि अन्यथा आवश्यक नहीं है। न सवाई माधोपुर से श्री महाबीर जी के लिए सीधे डिब्बे जारी करने के लिए काफ़ी यातायात है; और इसके लिए श्री महाबीरजी स्टेशन पर उचित समय में उन डिब्बों को लगाने तथा अलग करने के लिए काफ़ी विशेष खर्चा करना होगा।

रेल के उपर के पुल

*१४३२. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह तथ्य है कि अनन्तपुर शहर की नगर पालिका ने उपमंत्री के गुन्ताकल के दौरे के समय बंगलौर तथा अनन्तपुर के बीच रेलवे लाइन के ऊपर एक पुल बनाने के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें एक ज्ञापन दिया था; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रार्थना पर विचार करने का इरादा रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) विचाराधीन फाटक को मद्रास सरकार द्वारा उन फाटकों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है; जिनके स्थान पर ऊपर के पुल बनाने की सिफारिश की गई है, तथा प्राथमिकता के हिसाब से उन्होंने इसे २९ वां स्थान दिया है। अतएव सम्बन्धित सड़क अधिकारियों को इसके खर्चे के लिए धन मिलते ही इसका काम शुरू होगा।

हुबली विमान क्षेत्र

*१४३३. **श्री नेसवी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हुबली में विमान-क्षेत्र बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

(ख) स्थान चयन समिति के क्या निर्णय हैं तथा उन निर्णयों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). नये विमान-क्षेत्र बनाने के चालू कार्यक्रम में हुबली को सम्मिलित कर लिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन से ३ मील दूर, हुबली अमेनगिरि सड़क पर एक स्थान को चुन लिया गया है, यदि पर्याप्त निधि हुई तो आगामी तीन वर्षों में कार्य प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

रेलवे भूमि

*१४३४. **पंडित एस० सी० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अधीन पट्टे पर दी गई भूमि रेलवे सम्पत्ति नहीं रहती;

(ख) यदि हां, तो फिर इस प्रकार की भूमि किसकी सम्पत्ति बन जाती है; तथा

(ग) क्या इस प्रकार की भूमि को पट्टे पर देने के लिए सरकार ने कोई विशेष नियम बनाये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। कृषि योग्य फालतू रेलवे भूमि राज्य सरकारों को दे दी गई थी ताकि वे व्यक्तिगत कृषकों को इस शर्त पर उठा दें

कि उस भूमि पर किसी के भोगाधिकार या कृषक के अधिकार नहीं हो सकेंगे।

रेलवे भूमि

***१४३५. पंडित एस० सी० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पूर्व रेलवे में बुरही स्टेशन के निकट एक सौ बीघा रेलवे भूमि केवल एक ही व्यक्ति को पट्टे पर उठायी गई हैं;

(ख) क्या भूमिहीन अनुसूचित जातियों की ओर से इस भूमि को उन्हें दिये जाने के लिए सरकार को कोई अभिवेदन मिला है; तथा

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्व रेलवे में बुरपाया कोई रेलवे स्टेशन नहीं हैं, सम्भवत: माननीय सदस्य बुरही रेलवे स्टेशन के बारे में कह रहे हैं। लगभग ३९ एकड़ कृषि योग्य फालतू रेलवे भूमि किसानों को देने के लिए राज्य सरकार को दे दी गई है; और इस प्रकार की भूमि का बटवारा करने का सम्पूर्ण दायित्व उन्हीं के ऊपर है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने यह भूमि एक ही व्यक्ति को दी है।

(ख) रेलवे मंत्रालय को कोई अभिवेदन नहीं मिला है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मुंगेर-मुंगेरघाट स्टीमर सर्विस

***१४३६. पंडित एस० सी० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मुंगेर तथा मुंगेर घाट के बीच 'स्टीमर सर्विस' किसी समय 'रेलवे सर्विस' की सहयोगी थी जो कि भूतपूर्व ई० आई० आर० कम्पनी द्वारा चलाई जाती थी; तथा

(ख) यदि हां, तो यह 'सर्विस' कब समाप्त हो गई तथा किन परिस्थितियों में ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। १९२० से ३१ मई १९४३ तक।

(ख) १ जून १९४३ से स्टीमरों के सैनिक कार्यों के हेतु अधिग्रहण के कारण मुंगेर तथा मुंगेर घाट के बीच की पार उतारने की सर्विस बन्द कर दी गई थी।

गोरखपुर श्रमबल संगठन

***१४३७. श्री मोहन राव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गोरखपुर श्रम बल संगठन ने १९५२ तथा १९५३ में १ दिसम्बर १९५३ तक कुल कितने श्रमिकों की भर्ती की है;

(ख) विभिन्न राज्यों को (उद्योगों के अनुसार) कितने कितने श्रमिक भेज गये हैं; तथा

(ग) क्या इस संगठन को बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी०वी० गिरि): (क) १९५२ में गोरखपुर श्रम बल संगठन ने कुल १८,०२४ श्रमिकों की भर्ती की थी तथा १९५३ में १ दिसम्बर १९५३ तक १७,१३९ श्रमिक भर्ती किये गये हैं।

(ख) विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६]।

(ग) जनवरी १९५४ में होने वाली भारतीय श्रम सम्मेलन की अगली बैठक में इस संगठन के भविष्य के बारे में चर्चा की जायगी।

औद्योगिक न्यायाधिकरण

***१४३८. श्री मोहन राव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लोक सभा के चतुर्थ सत्र में सर-

कार ने कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों की मजूरी, महंगाई भत्ता, छुट्टी की सुविधाओं आदि के प्रश्न की जांच करने के लिए जिस औद्योगिक न्यायाधिकरण को बनाने का आश्वासन दिया था, वह कब बनाया जायेगा; तथा

(ख) उस न्यायाधिकरण की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि : (क) तथा (ख) सरकार इस प्रश्न पर फिर से विचार कर रही है और शीघ्र ही वह अपना निर्णय घोषित करने की आशा करती है।

पश्चिमी तट की सड़क

***१४३९. श्री एन० पी० दामोदरन**: (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य के मलाबार जिले के चिराक्कल ताल्लुक से होकर जाने वाली पश्चिमी तट की सड़क (बम्बई—कुमारी अन्तरीप) के मार्ग क्रम में परिवर्तन करने का कोई विचार है ?

(ख) क्या सरकार को मूल मार्ग क्रम में परिवर्तन न करने के लिये कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

(ग) यदि मार्ग क्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार है, तो वह परिवर्तन किन कारणों से किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां; पश्चिमी तट की सड़क के चिराक्कल ताल्लुक में ताली पारम्बा से होकर जाने वाले वर्तमान मार्ग क्रम को बदल कर कन्नापुरम और मादायी से घुमाकर ले जाने के लिये भारत सरकार के सामने एक सुझाव रखा गया है।

(ख) तथा (ग) मार्ग क्रम में प्रस्तावित परिवर्तन के पक्ष और विपक्ष, दोनों ही में, अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले में, जिस पर मद्रास की राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है, भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है।

मीन-क्षेत्र

६५१. श्री बी० पी० नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य तथा मलाबार के तट के निकट के और मद्रास के दक्षिण में कारोमण्डल तट के निकट के दक्षिणी समुद्र से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिये आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के काम में मीन क्षेत्र विभाग व्यवस्थित रूप से कोई कार्य कर रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : तटवर्ती एवं नदी के मुहाने के मीन क्षेत्रों के लिये आवश्यक आंकड़े एकत्रित करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है।

केन्द्रीय सरकार केवल गहरे समुद्र के मीन क्षेत्रों के विकास के लिये जिम्मेवार है, और इस दिशा में बम्बई और सौराष्ट्र के तटों के पास आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने का काम बम्बई में आरम्भ कर दिया गया है।

अभ्रक की खानों के मज़दूरों की कल्याण समिति, गुडूर

६५२. श्री नानादास : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुडूर में अभ्रक की खानों के मजदूरों की कल्याण समिति किस प्रकार बनाई गई थी ?

(ख) उसके वर्तमान सदस्य कौन हैं ?

(ग) उनकी पदावधि कब समाप्त होगी?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अभ्रक की खानों के मज़दूरों की कल्याण निधि मंत्रणा समिति, नेल्लोर, को अभ्रक की खानों के मज़दूरों के कल्याण निधि अधिनियम, १९४६ की धारा ४ को अभ्रक की

खानों के मज़दूरों के कल्याण निधि नियमों, १९४८, के नियम ३ के उप-नियम (२) के साथ रख कर बनाया गया था।

(१) श्री बासवराजू, नेल्लोर के जिलाधीश—सभापति ।

(२) नेल्लोर के जिला बोर्ड का अध्यक्ष (यह स्थान रिक्त हो गया है क्योंकि इस बोर्ड का अवक्रमण हो गया है)

(३) श्री के० शानमुगम, राज्य विधान मण्डल के सदस्य ।

(४) श्री ओ० वेंकटाचलम, प्रादेशिक श्रम आयुक्त, मद्रास } केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

(५) श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी (उप-सभापति)
(६) श्री टी० रामी रेड्डी } अभ्रक की खानों के मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

(७) श्री वेदागिरि सुब्रामैया
(८) श्री एस० वी० रामन सर्मा } अभ्रक खान उद्योग में काम पर लगे हुए मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले।

(९) श्रीमती टी० मुनम्मा } महिला प्रतिनिधि ।

(ग) २७ अप्रैल, १९५४ को।

खानपुर रेलवे स्टेशन

६५३. श्री जोकीम आल्वा : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि बम्बई राज्य के बेलगांव जिले में स्थित खानपुर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की बहुत भीड़ रहती है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उन विद्यार्थियों को कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं जो खानपुर से बेलगांव को जाते हैं और जिन्हें या तो बहुत रात गये अथवा बहुत सुबह, स्कूल अथवा कालेज के खुलने से पूर्व, खानपुर लौटने वाली ट्रेन पकड़ने के लिये वापस लौटना पड़ता है ?

(ग) क्या मास भर के लिये अथवा अवधि विशेष के लिये (सीज़नल) पासों के रूप में खानपुर की जनता को रियायती टिकट दिये जाते हैं ?

(घ) खानपुर पर ९०३ अप एक्सप्रेस ट्रेन क्यों नहीं रुकती ?

(ङ) खानपुर पर रेल गाड़ियां केवल दो मिनट क्यों रुकती हैं ?

(च) क्या देसूर और खानपुर के बीच ईदलहोंड पर एक छोटा स्टेशन बनाने का सरकार का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खानपुर एक साधारण महत्व का स्टेशन है और लोंदा तथा बेलगांव के बीच में स्थित है। इस वर्ष अप्रैल से सितम्बर के काल में इस स्टेशन से प्रतिदिन औसतन ४७७ यात्री बाहर जाते थे। यहां आने वाले यात्रियों की संख्या भी लगभग उतनी ही है।

(ख) विद्यार्थियों को खानपुर वापस लौटने के लिये निम्नलिखित रेलगाड़ियां मिल सकती हैं :—

	संख्या ९२०	संख्या ९०६
	मीराज-दावंग्रे पैसेंजर	पूना-लोंदा पैसेंजर
समय		
पहुंचने का	१४.२०	२१.१८
बेलगांव से छुटने का	१४.३८	२१.४१
खानपुर पहुंचने का	१५.१८	

(ग) हां; ५० मील की दूरी के अन्दर के स्थानों के लिये सीज़न (अवधि विशेष के लिये) टिकटों के रूप में।

(घ) संख्या ९०३ अप एक्सप्रेस एक तेज रफ्तार की ट्रेन है जो कि मुख्य रूप से लम्बे सफर वाले यात्रियों के लिये है और यदि उसके रुकने के स्थानों में वृद्धि कर दी जायेगी, तो उसकी सम्पूर्ण यात्रा में समय अधिक लगेगा और इससे एक ऐसा पूर्व दृष्टान्त बन जायेगा जिसके आधार पर सम्भवत: ऐसे अन्य स्टेशनों पर गाड़ी को रोकने की व्यवस्था करने की मांगें की जायें।

(ङ) आम तौर पर छोटे छोटे स्टेशनों पर जहां यात्री अधिक नहीं होते, गाड़ी के दो या तीन मिनट तक रुकने की व्यवस्था है और इससे वहां की आवश्यकताऐं भली प्रकार पूरी हो जाती हैं।

(च) ईदलहोंड पर एक फ्लैग स्टेशन खोलने की सम्भावना की सरकार जांच पड़ताल कर रही है।

'जिरात्रा' काश्तकार

६५४. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा सरकार 'जिरात्रा' काश्तकारों को उनकी त्रिपुरा के सोनामूरा, डिवीज़न के बाक्स नगर, कालमचूरा आदि क्षेत्रों में फसलें काटने से रोक रही है जब तक कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति सरकार को दो रुपये नहीं दे देता।

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि इसके अतिरिक्त प्रति कानिस छै मन धान गल्ला वसूली विभाग द्वारा लिया जा रहा है;

(ग) फसलों को काटने की अनुज्ञा देने के लिये प्रति काश्तकार दो रुपये क्यों लिये जाते हैं; तथा

(घ) उस प्रदेश में प्रति कानिस औसतन कितना धान पैदा होता है और सरकार को प्रति कानिस छै मन देने के बाद काश्तकारों के पास कम से कम कितना धान बाकी बच रहेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बीज, तथा फसल की कटाई के समय काम करने वाले मज़दूरों की निम्नलिखित आवश्यकताओं को छोड़ कर, जिरातियों को अपनी सारी पैदावार सरकार के हाथ बेचनी पड़ती है, जिसको राज्य में किसी स्थान पर रखना पड़ता है :

(१) बीज के लिये आवश्यकता प्रति एकड़ ३० सेर की दर से।

(२) कृषि श्रमिकों के भोजन के लिये प्रति एकड़ प्रति वर्ष ३ मन की दर से।

'आपका अपना टेलीफोन' योजना

६५५. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन स्थानों में आजकल 'आपका अपना टेलीफोन' योजना लागू है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (१) अहमदाबाद (२) अमृतसर (३) बंगलौर (४) बरनाला (५) बम्बई (६) कलकत्ता (७) दिल्ली (८) हैदराबाद (९) कानपुर (१०) मद्रास (११) नागपुर (१२) वेरावल।

चीनी की मिलें

६५६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में (राज्यानुसार) भारत में कितनी चीनी की मिलें थीं;

(ख) ऐसे कितने चीनी के कारखाने थे (राज्यानुसार) जो १९५२-५३ के मौसम में गन्ना पेरत थे ; तथा

(ग) ऐसे कितने कारखाने हैं (राज्यानुसार) जिनकी चालू मौसम में काम करने की आशा की जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७]**

ऊन अनुसन्धान

६५७. **श्री भक्त दर्शन** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५३ के दिये गय उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तम प्रकार की ऊन के उत्पादन के लिये हिमालय क्षेत्र में जो दो अनुसंधान केन्द्र खोले गये हैं उनमें से प्रत्येक में अब तक क्या अनुसन्धान किये गये हैं।

(ख) अब तक उन अनुसंधानों को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है और उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण, जिसमें किये गये अनुसंधानों का उल्लेख है, सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ख) **पीपल कमेटी (उत्तर प्रदेश)** : योजना के कार्यान्वित होने से थोड़े समय में परिणामों की आशा नहीं करनी चाहिये।

बनिहल (काश्मीर) : जम्मू तथा काश्मीर के ज़िलों में स्थानीय भेड़ों के विकास के लिये चुने हुये गांवों में विदेशों से मंगाये गये भेड बांटे जा रहे हैं।

डाक तथा तार घर

६५८. **श्री भक्त दर्शन** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ के आय व्ययक में अधिक डाकघरों, तार घरों, टेलीफोन विनिमयों तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों के खोलने के लिये कुल कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

(ख) इस कार्य के हेतु प्रत्येक क्षेत्र के लिये कुल कितना धन नियत किया गया है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रखी जायेगी।

रिवाड़ी-देहली रेल का देर से चलना

६५९. **श्री बैलायुधन** : (क) **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि छोटी लाइन की रेल संख्या २ बी० डी० आर० जो रिवाड़ी तथा देहली के बीच चलती है, इसके क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र (ज़ोन) में सम्मिलित होने के पश्चात् देर से चल रही है ?

(ख) क्या यह सच है कि २४ नवम्बर १९५३ को देहली के स्टेशन-मास्टर से शिकायत की गई थी ?

(ग) यदि हां, तो रेल अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पुनः वर्गीकरण के पहिले रेल संख्या २ बी० डी० आर० के चलने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। इन स्थितियों में, पुनः वर्गीकरणोतर काल में इसकी नियमितता की तुलना पुनः वर्गीकरण के पहिले के काल की नियमितता से नहीं की जा सकती है। फिर भी यह सच है कि इस रेल की नियमितता में, इंजीनियरिंग रुकावटों के कारण, कुछ गड़बड़ रही है।

(ख) हां।

(ग) जिन बातों की शिकायत की गई है उनकी जांच पड़ताल हो रही है। इस बीच में, यह प्रबन्ध किया गया है कि १ जनवरी १९५४ से रेल रिवाड़ी से १५ मिनट पहिले चला करेगी ताकि इंजीनियरिंग रुकावटों के

कारण समय नष्ट होने पर भी, यह अपने वर्त्तमान निश्चित समय पर देहली पहुंच सकें।

रेलों का रोकना

६६०. **श्री वैलायुधन** : (क) **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेल दण्डाधीश तथा विशेष जांच कर्मचारीवर्ग प्राय: यात्री तथा डाक रेलों को रोक लेते हैं ?

(ख) जब रेलें जंगल में रोकी जाती हैं उस समय यात्रियों की सुरक्षा तथा उन यात्रियों के लिये, जिन्हें दूसरी रेल पकड़नी होती है, रेलों के समय पर आने के लिये रेल अधिकारियों ने क्या व्यवस्था की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कभी कभी रेलों को स्टेशनों के बीच टिकटों की अचानक जांच के लिये रोका जाता है।

(ख) अचानक जांच करने के लिये रेलों के रोकने के लिये चुना गया स्थान किसी बस्ती में होता है जो भयप्रद नहीं होती। इसके अतिरिक्त, जांच करने वाले दल में लगभग एक दर्जन सिपाही (पुलिस मेन) तथा इतने ही चौकीदार व टिकट जांच कर्ता कर्मचारी होते हैं, और इनसे पर्याप्त सुरक्षा मिलती है।

इन जांचों के लिये साधारणत: केवल उन रेलों को रोका जाता है जो देर से नहीं चल रही होतीं हैं, या अन्य रेलों के निकल जाने की शंका न हो।

बी० सी० जी० टीका केन्द्र

६६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि आजकल देश में कितने बी० सी० जी० टीका केन्द्र खुले हुये हैं ?

(ख) इन केन्द्रों पर क्या वार्षिक व्यय होता है ?

(ग) इस व्यय का कितना भाग केन्द्रीय सरकार देती है और कितना भाग राज्य सरकारें देती हैं ?

(घ) औसत रूप में प्रति मास कितने व्यक्तियों को टीका लगाया जाता है ?

(ङ) अब तक कितने व्यक्तियों को टीका लग चुका है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) प्राय: बी० सी० जी० के टीके के कोई निश्चित केन्द्र नहीं हैं। केवल बी० सी० जी० दल हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को एक निश्चित परियोजना के अनुसार जाते रहते हैं। ३० सितम्बर १९५३ को १०७ बी० सी० जी० दल भारत के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे थे, जिनमें से ७३ टेकनिशियनों के दल थे (प्रत्येक में १ डाक्टर तथा ६ टेकनिशियन थे) और ३४ साधारण दल थे (प्रत्येक में १ डाक्टर तथा १ या २ परिचारिकायें थीं)। इन दलों के अतिरिक्त तीन स्थिर बी० सी० जी० केन्द्र हैं जो दिल्ली, पटना तथा त्रिवेन्द्रम में क्षय रोग नाश केन्द्रों में से प्रत्येक में स्थित है।

(ख) एक विवरण, जिसमें १९५२–५३ में बी० सी० जी० दलों पर राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में व्यय किये गये धन का उल्लेख है, सदन पटल पर रखा जाता है, [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ग) बी० सी० जी० दलों पर सारा व्यय संबिधत राज्य सरकारें करती हैं।

(घ) ३,०४,५०० (१९५३–५४ का यह मासिक औसत है)।

(ङ) ७२,२४,५८४ (३१ अक्टूबर १९५३ तक) :

नैलोर की अभ्रक श्रमिक कल्याण समिति

६६२. **श्री नानादास** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैलोर की अभ्रक श्रमिक कल्याण समिति कैसे बनाई गई थी ?

(ख) इस के वर्तमान सदस्य कौन हैं ?

(ग) क्या समिति में कोई 'गुदूर-क्षेत्र अभ्रक मज़दूर संघ' का प्रतिनिधि है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) नैलोर की अभ्रक खदान श्रमिक कल्याण निधि परामर्शदात्री समिति का संस्थापन अभ्रक खदान श्रमिक कल्याण निधि, अधिनियम, १९४६, की धारा ४ तथा अभ्रक खदान श्रमिक कल्याण निधि नियम, १९४८, के नियम ३ के उप-नियम (२) के अन्तर्गत हुआ था।

(ख) (१) श्री डी० बसावरुज, नैलोर के ज़िलाधीश,—सभापति ।

(२) नैलोर के ज़िला बोर्ड के अध्यक्ष, (स्थान रिक्त है क्योंकि बोर्ड स्थगित कर दिया गया है)

(३) राज्य विधान मण्डल के सदस्य, श्री के० शम्भुराम ।

(४) मद्रास के प्रादेशिक श्रम आयुक्त, श्री ओ० वेंकटाचलम (केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि) ।

(५) श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी— उपाध्यक्ष (अभ्रक खदान मालिकों के प्रतिनिधि)

(६) श्री टी० रामी रेड्डी (अभ्रक खदान मालिकों के प्रतिनिधि)

(७) श्री वेदगिरि सुब्रम्मया; तथा

(८) श्री एस० वी० रमन सर्मा (अभ्रक खदान उद्योग के मज़दूरों के प्रतिनिधि) ।

(९) टी० मुनमा (महिला प्रतिनिधि) ।

(ग) नहीं ।

गन्ना मूल्यों का भुगतान

६६३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) ज़िला देवरिया (उत्तर प्रदेश) की विभिन्न चीनी मिलों को, १९५०–५१, १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में उन्हें दिये गये गन्ने के लिये पृथक पृथक, कितना धन गन्ना उत्पादकों को देना है; तथा

(ख) मूल्य के भुगतान के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०**].

(ख) बकायों के यथाशीघ्र भुगतान के लिये राज्य सरकार समस्त सम्भाव्य कार्य-वाहियां कर रही है।

डाक वितरण क्षेत्रों के मानचित्र

६६४. **श्री हेडा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कितने नगरों के डाक वितरण क्षेत्रों के मानचित्र छप चुके हैं;

(ख) किन किन नगरों के सम्बन्ध में ऐसे मानचित्र बनाने का प्रश्न विचाराधीन है; और

(ग) इस कार्य में विलम्ब के यदि कोई कारण हैं, तो क्या ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) हैदराबाद
सिकन्दराबाद
दिल्ली और नई दिल्ली
नागपुर ।

(ख) पटना
भागलपुर
जमशेदपुर
बम्बई
कलकत्ता ।

(ग) जहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानचित्र छापने आवश्यक समझे जाते हैं, वहां छाप दिये जाते हैं।

कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग

६६५. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये उड़ीसा के सांबलपुर जिले के देवगढ़ सब-डिवीजन में पुलिस थाना बारकोट के गांव कोला से लगभग २०० एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो

(१) अधिग्रहण की तिथि क्या थी,

(२) कितना प्रतिकर दिया गया,

(३) किन किन तिथियों को प्रतिकर दिया गया, और

(४) कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया; और

(ग) क्या यह सत्य है कि यद्यपि यह भूमि तीन वर्ष पूर्व अधिगृहीत की गई थी, फिर भी रैयतों को अधिगृहीत भूमि का कर देना पड़ा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जैसा कि नीचे दिखाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा केवल ४२·५२ एकड़ का अधिग्रहण किया गया

	क्षेत्रफल	अधिग्रहण की तिथि	देय प्रतिकर की राशि	दी गई राशि और जिन व्यक्तियों को दी गई उन की संख्या	जिस तिथि को भुगतान किया गया
	(एकड़)		रुपये	रुपये	
स्थायी प से अधिगृहीत भूमि	२४·११	९-२-५१	७,५००	–	–
अस्थायी रूप से अधिगृहीत भूमि	१८·४१	२५-५-५३	६,१२०	६,०८३ (८४ व्यक्तियों को	२४-५-५३ से १२-६-५३ के बीच

(ग) यह ज्ञात हुआ है कि स्थानीय राजस्व अधिकारी स्थायी रूप से अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर शीघ्रता से देने और काश्तकारों द्वारा भूमि के स्थायी रूप से अधिग्रहण के पश्चात यदि कोई कर दिया गया हो तो उसे वापस लौटाने के लिय कार्यवाही कर रहे हैं। यह विषय पूर्णतया राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

प्रथम श्रेणी के डिब्बे

६६६. **श्री श्रीआभाई :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी और कौन कौन सी रेलवे लाइनों में अब भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे चलते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक विवरण, जिस में उन गाड़ियों की सूची दी हुई है जिन में अब भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगते हैं, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१]**

यात्री सहायक

६६७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सहायकों (गाइड) के भिन्न भिन्न वेतन स्तर हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों (जैसे कि गाड़ी में टिकट जांचने वालों और सहायक स्टेशन मास्टरों इत्यादि) को और यात्री सहायकों को वर्दी देने में कोई भेद है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) यात्री सहायकों और अन्य कर्मचारियों को जो वर्दियां दी जाती हैं उन के स्तर और प्रकार में उन के कर्तव्यों के अनुसार अन्तर होता है ।

रेलवे जलपानगृह

६६८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जलपानगृहों का प्रबन्ध रेल विभाग करता है क्या वे घाटे में चल रहे हैं या लाभ में ?

(ख) रेल विभाग उन में से कितनों का प्रबन्ध करता है ?

(ग) निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली दुकानों से रेलों को कुल कितनी वार्षिक आय होती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विभाग द्वारा चलाये जाने वाले जलपानगृहों में रेलवे को कुल मिला कर हानि ही हो रही है ।

(ख) ४३ ।

(ग) निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली खाने-पीने की दुकानों से, जिन में जलपानगृह और बेचने के स्टाल भी सम्मिलित हैं, रेलवे को लगभग २५ लाख रुपये की वार्षिक आय होती है । केवल स्टालों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, क्यों कि कुछ मामलों में जलपानगृहों और स्टालों के लिये संयुक्त रूप से ठेके दिये जाते हैं ।

रेलवे चिकित्सालय, विल्लुपुरम

६६९. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दक्षिण रेलवे पर विल्लुपुरम् में एक नया रेलवे चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो इस के भवन की अनुमानित लागत कितनी है ?

(ग) काम कब आरम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कुडलूर एन० टी० रेलवे स्टेशन

६७०. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिण रेलवे के कुडलूर एन० टी० रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का काम हाल में पूरा हो गया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां जो रेल के ऊपर पुल बनाया गया है उसे दूसरी ओर नहीं बढ़ाया गया जिस से कि मंजकुप्पम् और पुडुपलयम् की ओर से आने वाले लोग

रेल फाटक के कारण विलम्ब के बिना सरलता से प्लेटफार्म पर पहुंच सकें; और

(ग) यदि हां, तो ऊपर के पुल को बढ़ाने का काम कब तक आरम्भ किया जायेगा और पूरा होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, सिवाय सफाई व्यवस्था के, और यह भी पूरी होने वाली है। द्वीप के प्लेटफार्म पर विल्लुपुरम् की ओर छत्ते वाला मार्ग बनाने का भी विचार है और यह काम १९५-४५५ में आरम्भ करने का विचार है।

(ख) जो योजना पूरी हुई है उस में केवल द्वीप के प्लेटफार्म को स्टेशन के भवन से मिलाने के लिये ऊपरी पदातियों के पुल की व्यवस्था थी।

(ग) कुडलूर एन० टी० स्टेशन के दूसरी ओर स्थित नगर के भाग से फाटक पार किये बिना लोगों के स्टेशन पर पहुंच सकने के लिये ऊपर के पदातियों के पुल को बढ़ाने का काम अतिरिक्त सुविधा के रूप में स्वीकार हुआ है और इस का निर्माण १९५४-५५ में आरम्भ करने और १९५५-५६ में समाप्त करने का विचार है।

श्रेणी ४ के कर्मचारियों की भर्ती

६७१. श्री संगण्णा : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) खड़गपुर के विद्युत अधीक्षक ने १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में विभिन्न ईजन और डिब्बों के शेडों में कितने श्रेणी ४ के कर्मचारी नियुक्त किये; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक सेवा में कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के उम्मीदवार नियुक्त किये गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये **परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२**]

राजकोड-गोंडाल रेलवे लाइन

६७२. श्री जेठालाल जोशी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार का राजकोटगोंडाल रेलवे लाइन की वर्तमान लाइन के स्थान पर नई रेलवे लाइन बनाने का काम कब तक आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) इस की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य राजकोट नगर में से हो कर जाने वाली वर्तमान लाइन को पुनः मिलाने का उल्लेख कर रहे हैं, इस काम के शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की आशा है।

(ख) इस काम पर १८,४२,००० रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है जिस में से मिली हुई सामग्री की लागत, जिस में मिली हुई भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है—१६,५०,००० रुपये खाते में डाल दिये जायेंगे, जिस से कुल लागत १,९२,००० रुपये रह जायेगी।

तम्बाकू

६७३. श्री एस० वी० एल० नरसिंहम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९५३ के अन्त तक विभिन्न प्रकार के तम्बाकू की कितनी मात्रा न बिकी हुई बाकी थी;

(ख) उस के इकट्ठा होने के क्या कारण हैं; तथा

(ग) सरकार ने इस भांडार को समाप्त करने के लिए क्या पग उठाए हैं अथवा क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) अक्तूबर १९५३ के अन्त तक न बिके

हुए बाकी तम्बाकू की विभिन्न श्रेणियों की मात्रा के ठीक आंकड़े बताना संभव नहीं है। लगभग अनमान के अनुसार ४७०.३ लाख पौंड है।

(ख) तम्बाकू के इंकट्ठा हो जाने के और विशेषत: घटिया प्रकार के तम्बाकू के इकट्ठा होने के जो कि इसका अधिक भाग है विशेष कारण निम्नलिखित हैं

(१) ऋतु सम्बन्धी विरोधी परिस्थितियां ;

(२) इग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों द्वारा केवल बढ़िया श्रेणी के तम्बाक की खरीद; तथा

(३) घटिया तम्बाकू के लिए देश में बाज़ार का अभाव।

(ग) तम्बाकू के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की अथवा करने का विचार रखती है :

(१) लंडन में भारत के उच्च आयुक्त के वाणिज्य विभाग में एक उच्च कार्यपालिका पदाधिकारी के पद का निर्मान किया गया है और उस पद के लिए चुना गया पदाधिकारी शीघ्र पद संभालेगा;

(२) एंटवर्प में एक उप-मत्रणाकार का पद बनाया जा रहा है;

(३) पूर्वी देशों में से एक में एक तम्बाकू बेचने वाले पदाधिकारी को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है;

(४) बाहर के देशों में भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों को तम्बाकू की विभिन्न अगमार्क श्रेणियों के प्रमाणित नमूने और उपयुक्त साहित्य तथा शो केस इत्यादि भेजे गये हैं ताकि तम्बाकू की अगमार्क श्रेणियों का प्रचार और भारतीय तम्बाकू को लोक प्रिय बनाने में सहायता मिले; तथा

(५) बाहर के देशों के साथ व्यापार करारों में यथा संभव तम्बाकू समाविष्ट किया जाता है।

विकास परिषद

६७५. **सरदार लाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री कृपया ३० नवम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ३० के उत्तर की ओर ध्यान देंगे और बतायेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के लिए स्थापित की जाने वाली विकास परिषद् में गन्ने की कृषि करने वालों के कोई प्रतिनिधि होंगे;

(ख) यदि ऐसा है तो कितने; और

(ग) यदि नहीं तो गन्ने के कृषकों के हितों की रक्षा के लिये क्या विचार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). चीनी उद्योग की स्थापित होने वाली परिषद में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति का एक प्रतिनिधि होगा। इस के अतिरिक्त समिति और परिषद का एक सभापति होगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चारा

६७६. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चारी के लिए उपयुक्त घास इत्यादि की खोज में अनुसन्धान संस्था द्वारा किये गये अनुसधानों का क्या परिणाम निकला ?

(ख) विभिन्न राज्यों की विभिन्न प्रकार की मिट्टी में कितनी उपपत्तियों का प्रयोग किया गया है ?

(ग) कौन सी घासें विभिन्न राज्यों में सुगमता से उगाई जा सकती हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) चारे की फसलों के प्रयोग के लिए कतिपय घासों और फलियों के प्रयोग और परीक्षण पर भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था, बंगलौर और भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली ने अनुसंधान किये हैं। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपयोगी सिद्ध हुए हैं :

(१) घासें—गिनी घास; नपिया घास; रोहड़स घास; सुडान घास; वूली फिंगर घास; मारीशस अथवा पारा घास; वैन्जयूवेला घास; जायंट स्टार घास; पतली नेपियर घास और ब्लयू बफेल घास ।

(२) फलियां—ल्यूकरण, बरसीम कौदिया, कुड़जूवीन ।

(ख) तथा (ग). ऊपर वर्णित बहुत सी घासों और फलियों का प्रयोग राज्य सरकारों ने भी किया है और अच्छे परिणाम निकले हैं। विभिन्न राज्यों की विभिन्न परिस्थितियों में इन घासों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

व्यवसायिक तथा टेकनिकल प्रशिक्षण केन्द्र

६७७. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के व्यवसायिक तथा टेक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने लोग विभिन्न व्यवसायों सम्बन्धी प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और प्रत्येक व्यवसाय में कितने हरिजन हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : अक्तूबर १९५३ के अन्त में पंजाब राज्य के विभिन्न व्यवसायिक तथा शिल्पिक प्रशिक्षण केन्द्रों में १०१४ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या बताने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ४३**].

विन्ध्य प्रदेश में सड़कें

६७८. **श्री रणदमन सिंह** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने विन्ध्य प्रदेश को सड़कें बनाने के निमित्त १९५१–५२ से अब तक कितनी राशि के अनुदान दिये हैं;

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है; तथा

(ग) अब तक बनाई गई सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २१.६० लाख रुपये।

(ख) सितम्बर १९५३ के अन्त तक लगभग १६.२३ लाख रुपये ।

(ग) लगभग १३ मील ।

विभागातिरिक्त कर्मचारिवृन्द

६७९. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उस विभागातिरिक्त कर्मचारिवृन्द की ओर से सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं जिन्हों ने मैट्रिक पास कर लिया है कि डाक विभाग के क्लर्कों की भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाए; और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इन अभ्यावदनों पर विचार किया है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) हां एक ज्ञापन अभी हाल में मिला है।

(ख) नियमों के अधीन क्लर्कों की भर्ती के समय विभागातिरिक्त कर्मचारिवृन्द की ओर पहले ही ध्यान दिया जाता है यदि

सब शर्तें को पूरा करें। ३० वर्ष की आयु तक आयु सम्बन्धी सीमा को ढीला कर दिया जाता है और डाक कार्य के विशेष ज्ञान पर अतिरिक्त नम्बर दिये जाते हैं।

रेलवे लोक स्वास्थ्य विभाग

६८०. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री कृपया २८ अप्रैल १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १६५९ के उत्तर की ओर ध्यान देंगे और यह बतायेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलों पर एक लोक स्वास्थ्य विभाग के बनाने के सम्बन्ध में १९४७ में प्रथम श्रेणी की रेलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा पारित आई० आर० सी० ए० संकल्प पर विचार किया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या परिणाम है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जुलाई १९४८ में पूना में हुई मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों के अधीन एक सफाई विभाग बनाने के प्रश्न पर चर्चा की गई और उन्हों ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक सरकारी रेलवे में एक सम्पूर्ण स्वास्थ्य संघटन स्थापित किया जाये। भारतीय रेलवे में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के पुनर्संघठन के भाग स्वरूप सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

रेलवे बस्तियों

६८१. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण रेलवे में बड़ी रेलवे बस्तियों में हस्पतालों और औषधालयों में दाइयां लगाई गई हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो कितनी बस्तियों में दाइयां लगाई गई हैं ?

(ग) क्या ऐसी रेलवे बस्तियों में जहां इस समय कोई दाई नहीं है दाइयां नियुक्त करने की कोई प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) १६।

(ग) भारतीय रेलवे में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के अंश स्वरूप सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

रेलवे में मातृका तथा शिशु कल्याण कर्मचारिवृन्द

६८२. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रेलों में मातका तथा शिशु कल्याण कर्मचारिवृन्द रखा जाता है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि दक्षिण रेलवे में उन का संधारण कर्मचारिवृन्द हित-निधि में से किया जाता है ?

(ग) यदि ऐसा है तो क्या कारण है ?

(घ) क्या जहां तक वे रेलवे की सेवा कर रहे हैं उन्हें रेलवे की नियमित सेवा में लाने की कोई प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कर्मचारिवन्द हित निधि के उद्देश्यों में से एक कर्मचारियों के परिवारों को मातृका तथा बिमारी सम्बन्धी लाभ पहुंचाता है।

(घ) सरकार विषय पर विचार कर रही है।

उड़ीसा में प्रकृष्ट कृषिकार्य योजनाएं

६८३. **श्री संगण्णो** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने उड़ीसा सरकार को प्रकृष्ट कृषिकार्य योजनाओं

के लिए ११,४९,८३० रुपये की राशि की मंजूरी दी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उड़ीसा सरकार ने इस राशि के उपयोग के लिये कौन सी मुख्य योजनाएं दी हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) योजनाएं तथा उन में से प्रत्येक के लिए मंजूर किया गया अनुदान निम्न-लिखित है :

	रुपये
छोटे सिंचाई कार्य	१०,४१,६६७
शहरी खाद का उत्पादन तथा वितरण	४०,१६२
बन्दरों और गीदड़ों को नष्ट करना	६८,०००
कुल	११,४९,८३०

(लगभग आंकड़ों में)

'पावर सामस' मशीन

६८४. श्री गणपति राम : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीफोन राजस्व कार्यालय सिविल लाइन नई दिल्ली में कोई 'पावर सामस' मशीन आयात की गई है ?

(ख) मशीन का कुल मूल्य क्या है और यह कहां से आयात की गई है ?

(ग) मशीन पर कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है अथवा नहीं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग २,००,००० रुपये । ये मशीनें इंग्लैण्ड से आयात की गई हैं।

(ग) जी हां । उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ।

चावल की खेती का जापानी तरीका

६८५. श्री दशरथ देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में चावल की खेती के जापानी तरीके के प्रचार के लिए और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कोई पग उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां तो किन कर्मचारियों के द्वारा; और इस तरीके के विशेषज्ञ कितने हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) जी हां ।

(ख) इस काम के लिए कोई विशेष कर्मचारी या विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किये गये । राज्य के ८ वर्तमान कृषि कर्मचारी जो कि विभिन्न उप-विभागों में नियुक्त हैं इस आन्दोलन के बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं।

वार्धक्य प्राप्त विस्थापित कर्मचारी

६८६. श्री रामजी वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ये आदेश दिये हैं कि विस्थापित वार्धक्यप्राप्त अनुसचिवीय कर्मचारियों की सेवा की अवधि में वृद्धि की जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या ये आदेश रेलवे विभाग के विस्थापित कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, किन्तु यहां यह भेद किया जाता है कि सेवा की अवधि बढ़ाने की अपेक्षा सामान्यतया पुनः नियुक्ति कर दी जाती है ।

चीनी

६८७. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१, १९५१–५२ में और १९५२–५३ में ३० नवम्बर १९५३ तक भारत में चीनी की कितनी खपत हुई; तथा

(ख) ३० नवम्बर, १९५३ को मिलों के पास चीनी का कितना संग्रह था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५०-५१, १९५१–५२ और १९५२-५३ में चीनी की आन्तरिक खपत इस प्रकार थी :

(आंकड़े लाख टनों में हैं)

१९५०–५१	१०.७९
१९५१–५२	११.६३
१९५२–५३	१६.५६

(ख) ३० नवम्बर, १९५३ को मिलों के पास चीनी का संग्रह १.३६ लाख टन था।

गन्ना

६८८. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में मिलों को कितना गन्ना दिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १९५०–५१, १९५१-५२ और १९५२–५३ में चीनी मिलों द्वारा उपयुक्त गन्ने के आंकड़े ये थे .

(आंकड़ लाख टनों में हैं)

१९५०–५१	१०९.७
१९५१–५२	१५४.९
१९५२–५३	१३१.७

नल-कूप

६८९. **श्री एस० सी० सिंघल** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में मंत्रालय ने नल-कूप लगाने के लिए कितने ठेके दिये हैं और उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें ठेके दिये गये हैं ?

(ख) इन में से कितनी फ़र्में भारतीय हैं और कितनी गैर-भारतीय।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने किसी फर्म को कोई ठेका नहीं दिया। किन्तु उक्त अवधि में उ० प्र०, बिहार, पंजाब, पैप्सू और बम्बई की सरकारों ने निम्न फर्मों को नौ ठेके दिये थे :

(१) मैसर्ज एसोसियेटेड ट्यूब वैलस लि० —४ ठेके

(२) मैसर्ज हेरल्ड टी० स्मिथ इन-कारपोरेटिड—३ ठेके

(३) मैसर्ज जर्मन वाटर डिवैलपमेंट कारपोरेशन—१ ठेका

(४) मैसर्ज नैशनल ट्यूबवैल लि० —१ ठेका

(ख) पहली तीन फर्में गैर-भारतीय और चौथी भारतीय है।

डाक घर निरीक्षक

६९०. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हैदराबाद उप-सर्कल में डाक घर निरीक्षक के पद के लिए १९५२ या १९५३ में आयोजित पदोन्नति की परीक्षा में जो उम्मीदवार फेल हो गये थे, उन्हें अपेक्षित अंकों में कमी कर के उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या थे ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) जी हां।

(ख) चुनाव सर्कल के आधार पर किया जाता है और हैदराबाद में योग्यता प्राप्त डाकघर निरीक्षकों की कमी थी। नियमित स्तर के अनुसार पर्याप्त उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं हो सके थे। इसलिए कमी इस तरह पूरी की गई है।

रेलों में चोरियां

६९१. पंडित एस० सी० मिश्र : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी से नवम्बर, १९५३ तक पूर्वी रेलवे के मोकामह और कियूल जंकशनों के बीच चोरी की कितनी घटनायें हुई हैं?

(ख) क्या पूर्वी रेलवे के अन्य विभागों में इसी फासले में हुई घटनाएं औसत से कम है या अधिक?

(ग) क्या इस विभाग में वाच एंड वार्ड कर्मचारी बढ़ा दिये गये हैं और चोरियों को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किये गये हैं?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जनवरी से नवम्बर, १९५३ तक पूर्वी रेलवे के मोकामह और कियूल जंकशनों के बीच चलती गाड़ियां में चोरी की ३६ घटनाएं हुई हैं।

(ख) पूर्वी रेलवे के अन्य विभागों में इसी फासले में हुई घटनाओं के औसत से ये अधिक हैं।

(ग) वाच एंड वार्ड कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई किन्तु प्रभावित क्षेत्रों में वाच एंड वार्ड सिपाही, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे रक्षक दल का संयुक्त पहरा बिठा दिया गया है और मोकामह और कियूल के बीच, टाल स्टेशन पर गाड़ियां वहां से गुज़ारने के लिए पहरेदार नियुक्त कर दिये गये हैं। अपराधियों को गाड़ियां पर चढ़ने से रोकने के लिए कभी कभी संयुक्त छापे मारे जाते हैं।

जमालपुर ईजन कारखाना

६९२. पंडित एस० सी० मिश्र : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जमालपुर के ईजन के कारखाने में अब तक कुल कितने ईजन जोड़े गये हैं;

(ख) चित्तरंजन के स्थापित हो जाने के बाद अब वहां मुख्यत: क्या काम होता है;

(ग) इस कारखाने में (१) श्रमिकों और (२) अन्य कर्मचारियों के वेतन पर प्रति मास कितना रुपया खर्च किया जाता है।

(घ) क्या १९५३ के पहले १० मासों में बीमार श्रमिकों को बोनस या उपदान देने के लिए कोई राशि खर्च की गई है; तथा

(ङ) यदि हां, तो यह राशि कितनी है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जमालपुर के ईजन कारखाने में कोई ईजन नहीं जोड़े जाते। तथापि १८८५–१९२३ के बीच २१४ ब्राड-गेज ईजन बनाये गये थे।

(ख) इस कारखाने का मुख्य काम अब ईजनों की समय समय पर मरम्मत करना है और चित्तरंजन के कारखाने के स्थापित होने से पहले इस का यही काम था।

(ग) **श्रम**	रुपये
वेतन	६७८,५९४
महंगाई भत्ता	४,३४,८७०
अन्य श्रेणियां	
वेतन	१०३,४४४
महंगाई भत्ता	२१,४३४

यह १९५३ के पहले १० मासों अर्थात जनवरी से अक्तूबर १९५३ तक के औसत आंकड़ों के आधार पर है।

(घ) रेलवे में बीमार श्रमिकों को बोनस या उपदान देने की कोई प्रक्रिया नहीं है। केवल उन मजूरों को, जो कि अपने कर्तव्य के

पालन में घायल हो जाते हैं और इस के फलस्वरूप बीमारों की सूची में रखे जाते हैं, अस्पताल अवकाश वेतन दिया जाता है ।

(ङ) १९५३ के पहले दस मासों में अर्थात जनवरी १९५३ से अक्तूबर १९५३ तक उपरोक्त पद (घ) के कारण बीमार श्रमिकों को कुल १४,१७१।४।– की राशि दी गई थी ।

माही के समीप सड़क-रेल पुल

६९३. **श्री एन० पी० दामोदरन** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फ्रेंच इण्डियन सैटलमेंट माही के समीप रेल के पुल को एक संयुक्त सड़क-रेल पुल में परिवर्तित करने और पश्चिम तट सड़क को माही से दूर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस समय यह प्रस्ताव किस अवस्था पर है ?

(ग) क्या कलाली चोकां सड़क पर माही के समीप पेरिगंडी पर एक फाटक बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो क्या कोई निर्णय किया गया है ?

(घ) क्या इन दो प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार को मद्रास सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार की सिफ़ारिशें बतला सकती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । श्रीमान् ।

(ख) काम जारी है ।

(ग) पेरिगंडी पर फाटक लगाने का काम भी जारी है ।

(घ) तथा (ङ). रेल मंत्रालय को इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

बीकानेर डिविजन में डाकघर

६९४. **श्री पी० एल० बारुपाल** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ तथा १९५३ में बीकानेर डिवीज़न में कितने नये डाकघर बनाये गये हैं;

(ख) उक्त कालावधि में कितने डाकघर खोले जाने की मांग की गई थी; तथा

(ग) १९५३–५४ में कितने डाकघर खोले जाने का विचार है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क)

वर्ष	बीकानेर डिवीज़न में खोले गये डाकघरों की संख्या
१९५२	६३
१९५३	१४

(ख)

वर्ष	प्राप्त प्रार्थनाओं की संख्या
१९५२	५४
१९५३	४७

(ग) २३.

बीकानेर डिवीजन में टेलीफून एक्सचेंज

६९२. **श्री पी० एल० बारुपाल** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में बीकानेर डिवीज़न में कितने टेलीफोन एक्सचेन्ज खोले जाने का विचार है और कहां कहां ।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : एक (श्री गंगानगर में) ।

बिहार में चावल की वसूली

६९६. **पंडित एस० सी० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२–५३ में बिहार में कितना चावल धान-उद्ग्रहण (पैडी लेवी) के अन्तर्गत वसूल किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : बिहार में किसानों से उद्ग्रहण द्वारा धान वसूल करने का काम १९५२ में बन्द कर दिया गया था । खरीफ़ वर्ष १९५२–५३ में यानी १–११–५२ से ३१–१०–१९५३ तक बिहार सरकार ने आधिक्य वाले कुछेक ज़िलों में एकाधिकार क्रय के आधार पर लगभग २१,००० टन चावल वसूल किया था ।

आन्ध्र में ग्राम सेवक केन्द्र

६९८. **श्री गौडिलिगन गौड़** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आंध्र में ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिये कौन कौन से केन्द्र खोले गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिये आंध्र राज्य के पूर्व गोदावरी ज़िले में पेडापुरम् में एक विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र ८–१२–५२ से चल रहा है ।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
२४ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

राज्य परिषद से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित चार संदेशों की सूचना देनी है :—

(१) "राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १६२ के उपनियम (६) के उपबंधों के अनुसार मुझे विनियोग(संख्या ५) विधेयक, १९५३ को, जो लोक-सभा द्वारा अपनी १९ दिसम्बर, १९५३ को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य परिषद् को उसकी सिपारिशों के लिये भेजा गया था, लौटाने और यह बताने का निदेश मिला है कि उक्त विधेयक के सम्बन्ध में राज्य-परिषद् को लोक-सभा से कोई सिपारिश नहीं करनी है ।"

(२) "राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १६२ के उपनियम (६) के उपबन्धों के अनुसार मुझे पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग संख्या

(३) विधेयक १९५३ को, जो लोक-सभा द्वारा अपनी १९ दिसम्बर १९५३ को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य-परिषद् को उसकी सिपारिशों के लिये भेजा गया था, लौटाने और यह बताने का निदेश मिला है कि उक्त विधेयक के सम्बन्ध में राज्य-परिषद् को लोक-सभा से कोई सिपारिश नहीं करनी है ।"

(३) "राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १०१ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य-परिशद् ने, अपनी १९ दिसम्बर, १९५३ को हुई बैठक में, छावनी (संशोधन) विधेयक, १९५३ में लोक-सभा द्वारा अपनी १० दिसम्बर, १९५३ की बैठक में किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कर लिया है :—

'पृष्ठ १, पंक्ति ३ में "१९५२" ("१९५२") के स्थान पर "१९५३" ("१९५३") आदिष्ट किया जाये' ।"

(४) "राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १०१ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य परिषद् ने अपनी १९ दिसम्बर, १९५३ को हुई बैठक में, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक १९५३ में लोक-सभा द्वारा अपनी ३ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में किये गये निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कर लिये हैं :—

'१. पृष्ठ १ में, ——

पंक्ति २१ के पश्चात् यह जोड़ा जाये—

"ASSAM STATE

District Sadiya Frontier Tract

1. The Stone Boundary pillar of the Ahom period...Sadiya"

"आसाम राज्य

जिला सादिया सीमान्त प्रदेश

१. अहोम काल का प्रस्तर सीमा स्तम्भ . . . . . सदिया"]

२. पृष्ठ २ में, ——

(१) पंक्ति ३ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये ——

"*District Bijapur*

1	Inscription	...	Almel
2	do	...	Indi
3	do	...	Tambe
4	do	...	Salotgi"

["जिला बीजापुर

१ शिलालेख . . . . अलमेल
२ " . . . इन्डी
३ " . . . ताम्बे
४ " . . . सलोतगी"]

(२) पंक्ति ५, ७, ८ और १० में संख्या १, २, ३ और ४ के स्थान पर संख्या ५, ६, ७ और ८ आदिष्ट की जायें ।

३. पृष्ट २ में, —

पंक्ति १७ के पश्चात्, यह निविष्ट किया जाये —

"ANDHRA STATE

District Kurnool

1. Umamahesvara swami Temple.....Yaganti
2. Old Cave Temple... Yaganti
3. Nandavaram Temple including the sculpture of subrahmanya..... Nandaaram"

"आन्ध्र राज्य

जिला कुरनूल

१. उमामहेश्वर स्वामी मन्दिर . . . यगन्ती

२. प्राचीन गुफा मन्दिर. . यगन्ती

३. नन्दवरम मन्दिर सुब्रह्मण्य की शिल्प-कृतियां. . नन्दवरम"]

४. पृष्ठ २ में, ——

पंक्ति २१ के पश्चात्, यह निविष्ट किया जाये—

"*District Muzaffarpur*

2. Jama Mosque...Hajipur"

["ज़िला मुज़फ्फरपुर

२. जामा मस्जिद. . . हाजीपुर"]

५. (१) पृष्ठ २ में, —

[१] पंक्ति ३० के पश्चात्, यह निविष्ट किया जाये—

6. Khadsamla Cave... Nenavali"

["६. खडसामला गुफा. . . नेनावली"]; और

[२] पंक्तियां ३१, ३२, ३४ और ३५ में संख्या '६, ७, ८ और ९, के स्थान पर संख्या, '७, ८, ९, और १०' आदिष्ट की जायें ।

(२) पृष्ठ ३, पंक्तियां ३ और १० में,—संख्या '१० और ११' के स्थान पर संख्या '११ और १२, आदिष्ट की जायें ।

६. पृष्ठ ३ में, —

पंक्ति ४ से ८ तक के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये —

(a) Ambarkhana
(b) Andra Vav
(c) Dharma Kothi
(d) Naikinicha Sajja
(e) Teen Darwaia
(f) Wagh Darwaja
(g) Tatbandi together with bastions."

["(क) अम्बरखाना
(ख) आन्द्र वाव
(ग) धर्म कोठी
(घ) नैकिनिचा सज्जा
(ङ) तीन दरवाजा
(च) वाघ दरवाजा
(छ) तटबन्दी, बुर्जों सहित"]

७. पृष्ठ ३ में,—

पंक्ति ११ और १२ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये –

District North Satara

13. Jhabreshwar Mahadeo Temple .. Phaltan."

["ज़िला उत्तर सतारा

१३. झवरेश्वर महादेव का मन्दिर. . . . . फल्टन"]

८. पृष्ठ ३ में, —

(१) पंक्ति २९ तथा ३० का लोप किया जाये ; तथा

(२) पंक्ति ३२ में, संख्या "२" के स्थान पर संख्या "१" आदिष्ट की जा ।

९. पृष्ट ३ में, —

(१) पंक्ति ४२ के पश्चात्, यह निविष्ट किया जाये ——

District Cuttak

1 Churangarh Fort locally known as Sarangarh, excluding the area acquired by the State Government . . Dadhpatna";

["जिला कटक

१. चुरनगढ़ का किला, जो स्थानीय रूप से सरनगढ़ के नाम से विख्यात है, राज्य सरकार द्वारा लिये गये क्षेत्र के अतिरिक्त .....दधपटना"] ;

(२) पंक्ति ४४ में, "१" के स्थान पर "२" आदिष्ट किया जाये ; तथा

(३) पंक्ति ४६ में, "२" के स्थान पर "३" आदिष्ट किया जाये ।

१. पृष्ठ ३ में, —

पंक्ति ४७ के पश्चात्, यह जोड़ा जाये ———

"4 Churangarh Fort, excluding the area acquired by the State Government...Churanga Bhalunka Krishna nagar."

["४. चुरनगढ़ का किला, राज्य सरकार द्वारा लिये गये क्षेत्र के अतिरिक्त . . . चुरनगा भलुंका कृष्णनगर"]

१२. (१) पृष्ठ ३ में, पंक्ति ५२ के पश्चात्, यह जोड़ा जाये—

"(c) in the entries under the heading 'Hyderabad State and under the sub-heading 'District Raichur' the following entries shall be added at the end namely:—

'19 A. Rock edicts of Asoka on two hillocks known as Gavimath and Palkigundhu... Kopbal

19 B. Rock edicts of Asoka ...Maski'."

["(ग) 'हैदराबाद राज्य' शीर्षक के अन्तर्गत विष्टियों में और 'जिला रायचूर' उपशीर्षक के अन्तर्गत यह प्रविष्टियां अंत में जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

'१९ क. गवीमठ और पाल्कीगुंदु नामक पहाड़ियों पर चट्टान पर लिखी हुई अशोक की राजाज्ञायें . . . . . कोपबल

१९ ख. चट्टान पर लिखी हुई अशोक की राजाज्ञायें. . . मसकी' ।"]

(२) पृष्ठ ४. पंक्ति १ में "(c)" [" (ग) "] के स्थान पर " (d) " [" (घ) "] आदिष्ट किया जाये ।

१३. पृष्ठ ४ में, —

पंक्ति २३ के पश्चात्, यह निविष्ट किया जाये —

"(e) in the entries under the heading 'Mysore State' and after the entries under the sub-heading 'District of Bangalore' and before the entries under 'District Chitaldrug' the following sub-heading and entry shall be inserted, namely:—

'District Bellary'

8A. Parvati and Kartikaya temples...Kumarswami Betta Sandur'. "

["(ङ)" 'मैसूर राज्य' शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों में और 'जिला बंगलौर' उपशीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् और 'जिला चितलद्रुग' के अन्तर्गत प्रविष्टियों के पूर्व यह उपशीर्षक तथा प्रविष्टि निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

'जिला बेल्लारी

८क. पार्वती तथा कार्तिकेय के मन्दिर. . . . कुमारस्वामी बेट्टा, सन्दूर' ।"]

१४. पृष्ठ ४ में, —

पंक्ति ३७ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये —

"(ii) entries 8, 10, 12,14, 17, 20, 22, 23 and 24 shall be omitted;

(iii) after existing entry 15, the following entry shall be inserted, namely:—

'15A. Old Parsvanath Temple . . . Miyani.' "

["(२) प्रविष्टि ८, १०,१२,१४,१७, २०,२२,२३ और २४ का लोप किया जायेगा ;

(३) वर्तमान प्रविष्ट १५ के पश्चात् यह प्रविष्टि निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

'१५ क. प्राचीन पार्श्वनाथ मन्दिर .. . . . . मियानी।' "]

१५. पृष्ठ ५ में,—

पंक्ति १९ के पश्चात्, यह निविष्ट किया जाये—

"ORISSA STATE
District Mayurbhanj

1. Prehistoric sites...Baidyapur
2. —do— . . . Kuchai
3. —do— . . . Kuliana
4. —do— . . . Haripur". ' "

[" उड़ीसा राज्य

जिला मयूरभंज

१. प्रागैतिहासिक स्थान. . . . बैद्यपुर
२. " कुचई
३. " कुलियाना
४. " हरीपुर ।' "]

समिति के लिए चुनाव

राष्ट्रीय छात्रसेना की केन्द्रीय मंत्रणा समिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि निम्नलिखित सदस्य राष्ट्रीय छात्रसेना दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति की सदस्यता के लिये निर्वाचित हुए हैं :—

(१) पंडित शिव नारायण फोतेदार

(२) श्री पी० एन० राजभोज

सदन पटल पर रखे गये पत्र

लोक लेखा समिति की हीराकुड बांध योजना सम्बन्धी रिपोर्ट पर ज्ञापन

योजना व सिचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं लोक लेखा समिति की हीराकुड बांध योजना सम्बन्धी छठी रिपोर्ट के ज्ञापन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस-२२२/५३]**

भाग ख राज्य (विशेष सहायता) जांच समिति की रिपोर्ट तथा उस पर सरकार का विनिश्चय

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :—

(१) भाग ख राज्य (विशेष सहायता) जांच समिति की रिपोर्ट । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिय संख्या एस–२२३/५३)**

(२) भाग ख राज्य (विशेष सहायता) जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा किया गया विनिश्चय दर्शाने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एस–२२४/५३.]**

खान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं खान अधिनियम की धारा ५९ की उपधारा

[श्री वी० वी० गिरि]

(७) के अन्तर्गत, श्रम मंत्रालय द्वारा निर्गमित निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७८७ दिनांक १७ सितम्बर, १९५३ **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–२२३/५३]**

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७८८ दिनांक १७ सितम्बर, १९५३ **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–२२५/५३]**

विभिन्न सत्रों में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों पर की गयी कार्यवाही

सांसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं सदन पटल पर निम्नलिखित विवरण रखता हूं जिनमें यह बताया गया है कि विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों पर तथा सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई :—

(१) संगृहीत विवरण : लोक-सभा का पंचम सत्र, १९५३ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४ लोक-सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ९ लोक-सभा का तृतीय सत्र, १९५३ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(४) अनुपूरक विवरण, संख्या १० लोक-सभा का द्वितीय सत्र, १९५२ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(५) अनुपूरक विवरण, संख्या १० लोक-सभा का प्रथम सत्र, १९५२ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(६) संगृहीत विवरण (सुझाव) लोक-सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४९]**

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का ज्ञापन तथा अन्तर्नियम, आदि

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :—

(१) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का ज्ञापन तथा अन्तर्नियम **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस–२२६/५३.]**

(२) भारत सरकार और 'जर्मन कम्बाइन' के बीच हुआ टैक्निकल परामर्श

सम्बन्धी करार। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एस–२२७/५३]**

(३) बौन में हस्तांतरित 'संवर्धक करार' (प्रोमोटर्स एग्रीमेंट) जो २१ दिसम्बर, १९५३ को पत्र-विनिमय द्वारा पूरा हुआ। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–२२८/५३]**

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय: अब सदन २३ दिसम्बर १९५३ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर विचार करेगा, अर्थात्

"वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उस के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये"।

श्री सैयद अहमद और श्री एस० वी० रामस्वामी ने अपने संशोधन वापिस लेना चाहा।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर): मुझे इस सदन की प्रक्रिया के विषय में कुछ भ्रम है, कि क्या वह कोई प्रस्ताव जो पिछले सत्र में रखा गया हो, उसे.....

अध्यक्ष महोदय : हम इस समय वैदेशिक कार्य के सम्बन्ध में हुए वाद-विवाद का प्रस्ताव ले रहे हैं, किन्तु सदस्य का निर्देश किसी दूसरे प्रस्ताव से है। मेरे यहां आने से पहले कुछ सदस्यों ने बोलने की अनुमत मांगी थी। परन्तु मैं ने उनसे कहा था कि वे अपनी बारी आन पर बोल सकेंगे। कल सभापति ने श्री वी० जी० देशपाण्डे से बोलने के लिये कहा था; जब वे बोलने लगे तो माननीय सदस्यों ने कहा कि साढे छः बज चुके हैं और सभा स्थगित होनी चाहिये। तब सभापति ने कहा था कि मैं सभा स्थगित करने को तैयार हूं, परन्तु ऐसा समझा जायेगा कि यह प्रस्ताव समाप्त हो चुका है, और कल मैं प्रधान मंत्री को उत्तर देने के लिए बुलाऊंगा। परन्तु श्री वी० जी० देशपाण्डे ने कहा था कि मुझे बुलाया गया था। परन्तु सभापति महोदय ने कहा था "सदन, माननीय सदस्य को सुनना नहीं चाहता है। अतः सभा की बैठक कल डेढ बजे तक के लिये स्थगित होती है" मैं वास्तव में नहीं समझ सकता कि सदन श्री देशपाण्डे को सुनना नहीं चाहता था, अथवा केवल प्रधान मंत्री को सुनना चाहता था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): कल जब मैं सभापति था, तो मैंने सदन की राय पूछी थी। बहुत से सदस्यों ने कहा था कि वे सभा की बैठक स्थगित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कोई और काम करना था इसलिये सभा स्थगित हो गई थी। सदन इस प्रस्ताव पर केवल आध घण्टे के लिये विचार करना चाहता था, इससे अधिक नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय प्रधान मंत्री को २-१५ पर बुलाऊंगा।

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्री वी० जी० देशपाण्डे का संशोधन पूर्णतया अनियमित और अनुचित है, मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह अपने संशोधन के सम्बन्ध में नहीं बोल रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: उपाध्यक्ष महोदय के मतानुसार यह अनियमित है; इसीलिये मैंने इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

मौलाना मसूदी (जम्मू तथा काश्मीर): श्री देशपाण्डे ने अमैण्डमेंट में तजवीज की है जाहिर है कि वह उनकी ताईद में ही तकरीर करेंगे इसलिये अगर आप इस अमैन्डमेन्ट को आउट आफ आर्डर करार देने वाले हैं तो इस पर अपना रूलिंग दें ताकि गैरमुनासिब

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण और संशोधन को मिला रहे हैं। जब सदस्य को बोलने के लिये बुलाया गया है, तो वे प्रस्ताव पर बोल सकते हैं, चाहे उनके संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिली हो। मैं तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति ूंगा, प्रत्येक को दस दस मिनट मिलेंगे। श्री वी० जी० देशपाण्डे।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना): मैं प्रधान मंत्री की विदेश नीति का प्रशंसक नहीं हूं, परन्तु उनके कल के भाषण में यह बात महत्व की थी कि उन्होंने कहा कि परिवर्तित प्रसंग में, पाकिस्तान के साथ हमारे करार और बातचीत भी बदलेगी। मैं आशा रखता हूं कि इस घोषणा के अनसार कार्य भी होगा, और मैं इसी सम्बन्ध में कुछ सुझाव दूंगा। उससे पहले, मैं कहूंगा कि मैं कुमारी एनी मस्करीन से सहमत नहीं हूं कि संसार में हमारी विदेश नीति और महान प्रधान मंत्री के कारण भारत की प्रसशा हो रही ह। समस्त संसार वैदेशिक कार्यों में हमारे विरुद्ध है, और हम उपहास का विषय बन रहे हैं। उदाहरण के लिये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का मामला है, जहां हमारी सेनाय हमारे महान पूर्वज अशोक के समान विजय श्री को प्राप्त करन के लिये अग्रसर हुई हैं। हमने सोचा था कि शान्ति नगर स्थापित हो जायगा और बाकी देश उसका अनुसरण करेंगे। मेरा अपना विचार यह है कि हमें इन बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। केवल अन्तर्राष्ट्रीय क्षत्र में अपने प्रधान मंत्री को एक महान राजनीतिज्ञ कहलवाने के लिय भारत न बहुत अधिक मूल्य चुकाया है।

कोरिया और चीन के विषय में हम प्रधान मंत्री को चेतावनी देते रहे कि उन्हें दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और उसका परिणाम यह हुआ है कि तीन महीनों में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। पंच तंत्र के बन्दर जैसी हमारी स्थिति है, जिसने दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हुये लकड़ी के दो भागों में अपनी पूंछ फंसा कर दुख उठाया था। मैं समझता हूं कि हमारी विदेशनीति असफल रही है। हम ने अमरीका और रूस को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किन्तु हुआ यह कि जब हम अमरीका से जब सहायता मांगने लगे, तो अमरीका ने पाकिस्तान का साथ दिया, और तब हमारे प्रधान मंत्री को चिन्ता हुई।

मैं अपने प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान को अमरीका यदि सैनिक सहायता दे रहा है, तो वे उद्विग्न क्यों हो रहे हैं। उन्होंन कल कहा था कि जब कोई सनिक सहायता मांगता है, तो वह युद्ध की अवश्यम्भाविता को स्वीकार करता है, मैं समझता हूं कि वे इस कारण उद्विग्न नहीं ह। चीन ने रूस की सहायता ली, कोरिया ने रूस की सहायता ली, और इस सिद्धान्त के कारण कि क्योंकि अमरीका के पास शस्त्र हैं, क्योंकि इंगलैंड अपनी सुरक्षा बल को बढा रहा है, हमारे प्रधान मंत्री कभी उद्विग्न नहीं हुए; इससे भी यह सिद्ध होता है कि युद्ध अवश्यम्भावी है। यदि पाकिस्तान न अमरीका से सैनिक सहायता ली, तो उसे युद्ध की अवश्यम्भाविता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है कि हमारे प्रधान मंत्री इसलिय उद्विग्न हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के हित एक से नहीं हैं। हम काश्मीर के कारण भयभीत हैं, क्योंकि इसी कारण भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा हो जाना सभव है। और हमें यह भय है कि अमरीका की सहायता

से काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में पाकिस्तान हिंसात्मक कार्यवाही करेगा। इसी लिये हम उद्विग्न हैं। हमें वास्तविकता को समझना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के साथ चाहे कितनी भी मित्रता और घनिष्टता क्यों न हो, परन्तु पाकिस्तान का इरादा अच्छा नहीं है। परन्तु मैं प्रधान मंत्री से इस बात में सहमत हूं कि इस सैनिक सहायता से पाकिस्तान को भी लाभ नहीं होगा. और नहीं अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे कर कोई नीतिज्ञता की बात की है। अमरीका जिन शक्तियों को एशिया में बदलना चाहता है, वे उल्टी इस सहायता से बलवती हो जायेंगी। अमरीका नवीन राष्ट्र होने के कारण कूटनीति में इतना पटु नहीं है तथा इंगलैंड जानता है कि हमारे प्रधान मंत्री चाहे जो कुछ कहें, वे वास्तव में राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं। इसी प्रकार अमरीका को भी जानना चाहिये था कि चाहे हम कितना भी निरपेक्ष होने की बात क्यों न करें, परन्तु हम भिखारी हैं। भारत अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति के नाते, तथा अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण अकेले ही साम्यवाद का मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान को सैनिक सहायता देते समय अमरीका इस बात को भूल गया है।

पाकिस्तान और अमरीका का सम्बन्ध निर्बल और शक्तिशाली का सम्बन्ध है, जिससे पाकिस्तान को लाभ नहीं होगा। हमारे प्रधान मंत्री की काश्मीर में जनमत ज्ञान करने की नीति के कारण काश्मीर पाकिस्तान के हाथ में जा सकता था, परन्तु अब सैनिक सहायता मिल जाने के कारण परिस्थिति में परिवर्तन हो चुका है। मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वे वास्तविकता को देखें। ऐसा कहने का कि "कुछ नहीं होगा, और संसार में नैतिकता सब से बड़ा बल है" कोई लाभ नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस भावना से काम नहीं चलता है, अपितु सशस्त्रीकरण और अपने सुरक्षा बल के भरोसे ही हम जीवित रह कर प्रगति कर सकते हैं। मुझे भी विशेष प्रकार की नैतिकता में विश्वास है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरपक्षता साम्यवाद या अमरीकी जनतंत्र का सिद्धान्त हमारे लिये हित कर नहीं है, बल्कि स्वहित हमारी विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत होना चाहिये।

मेरा यह विश्वास है कि यदि अमरीका मित्र नहीं रहता है, तो हमें जहां कहीं से सहायता मिले ले लेनी चाहिये, परन्तु दूसरों की सहायता के बल पर ही हम आश्रित नहीं रहना चाहिये।

छः वर्ष बीत गये हैं और हमने सुरक्षा सम्बन्धी कोई तैयारी नहीं की है। पंचवर्षीय योजना के लिये २००० करोड़ रुपये का खर्च मंजूर किया गया था, परन्तु उस योजना के अधीन शस्त्रास्त्र बनाने का कार्य नहीं किया गया है और अब भी रक्षा के लिये कोई तैयारी नहीं की जा रही है। गोवा और पांडीचरी में फ्रांस और पुर्तगाल अमरीका की सहायता करेंगे और अब भी पुर्तगाल के पास भारत से तीन गुनी सैना है। अमरीकन प्रचार संगठन भारत में पहले ही काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैं प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि हमें अपन देश की रक्षा के निमित्त विशाल कार्यक्रम बनाना चाहिये, और हमें युद्ध के लिये तैयार रहना चाहिये। देश के प्रत्येक नवयुवक को आवश्यक सनिक शिक्षा दी जानी चाहिय, ताकि आकस्मिकता के समय देशके सब नवयुवकों को सैना में भरती किया जा सके। देश में शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने भी स्थापित किये जाने चाहियें, ताकि हमारा देश युद्ध

[श्री वी० जी० देशपांडे]

की दृष्टि से स्वावलम्वी हो सके । हमें इनके अतिरिक्त और भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिये ।

माननीय प्रधान मंत्री मुझे अपने संशोधन पर बोलने देना चाहें या नहीं, परन्तु मेरा संशोधन सब तरह से नियमित है । मैंने एक महत्वपूर्ण सुझाव रखा है कि हमारे संविधान का संशोधन किया जाना चाहिये । इस सदन को यह सुझाव देने का अधिकार है कि संविधान का संशोधन किया जाय; इस बात पर विचार किया जाना चाहिये । यदि ऐसा किया जाता है, तो हम वह सभी तैयारी कर सकेंगे जो देश रक्षा के लिये आवश्यक होगी, और आकस्मिकता के समय भारत युद्ध का सामना कर सकेगा । हम सबको संगठित हो कर भारत की सुरक्षा को बनाये रखने के लिये सभी सम्भव सावधानी रखनी चाहिये ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : अध्यक्ष महोदय, वैदेशिक कार्य सम्बन्धी यह चर्चा कल आरम्भ हुई है तथा इसकी एक विशेषता यह है कि अब सरकार की नीति तथा अन्य राजनीतिक दलों में जो मतभेद था वह निरन्तर कम हो रहा है । जो थोड़ा सा समय मुझे मिला है उसमें मैं सदन का ध्यान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हिमालयवर्ती क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

इसके पूर्व कि मैं उस विषय की चर्चा करूं, मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस देश में विदेशी प्रचार को रोकने के लिये तत्काल तथा आवश्यक पग उठायें । आज मुझे दिल्ली से मुद्रित तथा प्रकाशित होने वाले 'अमेरिकन रिपोर्टर' की एक प्रति प्राप्त हुई जिसमें एक मानचित्र दिया गया है । इसमें दिखाया गया है कि काश्मीर पाकिस्तान का अंग है । एक दिन संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, श्री डगलस यहां आये । प्रधान मंत्री तथा समस्त देश ने सौहार्दतापूर्ण उनका अथिति सत्कार किया । परन्तु उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा: 'राजनैतिक दृष्टि से लद्दाख पाकिस्तान का अंग है ।' आज एक महान देश के राजदूत इस देश में भ्रमण कर रहे हैं तथा गावों में भी हमारे व्यक्तियों को बता रहे हैं कि उनका देश, भारत के विरोध करने पर भी, अपनी नीतियों पर चलता रहेगा । यही बात संसार के अन्य देश भी जो दूसरे शक्ति-गुट से सम्बद्ध हैं, कर रहे हैं ।

मैंने सम्बन्धित जानकारी रखने वाले कुछ व्यक्तियों की सहायता से अपने उत्तर सीमान्त प्रदेशों के दो मानचित्र बनाये हैं । इन प्रदेशों में जोजीला, निती, मना आदि दर्रे हैं । हमारे हिमालयवर्ती प्रदेशों की दूसरी ओर अब ६०,००० से १,००,००० तक चीनी सैनिक एकत्रित हो गये हैं । मैंने एक अन्य स्थान पर प्रधान मंत्री से पूछा था कि हम अपने दर्रों की सुरक्षा के लिये क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि सीमावर्ती टुकड़ी उनकी सुरक्षा कर रही है । मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब केवल भारत-पाकिस्तान सीमा की नहीं अपितु उत्तर-पश्चिम में हुंजा तथा गिलगिट क्षेत्र से लेकर पूर्व में उफलस तथा अनोर्स आदिम जाति क्षेत्र तक २,००० मील लम्बी हिमालय-वर्ती सीमा को यथोचित रूप से सुरक्षित रखना आवश्यक हो गया है । मेरा विचार है कि यदि देश का ध्यान हमारी सीमाओं को शक्ति-शाली बनाने की अनिवार्य आवश्यक्ता पर केन्द्रित किया जाता है, तो यह चर्चा से देश के प्रति हमारा कर्त्तव्य पूरा हो जायेगा ।

मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि उफलस आदि सम्बन्धी परिस्थिति बड़ी ही विस्फोट-जनक है, तथा मैं अपने देश की सुरक्षा के प्रश्न को विस्तार की बातों का अनुचित रूप से हवाला दे कर उलझाना नहीं चाहता हूं। परन्तु जिस विषय पर मैं सदन के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि चीन उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के कुछ क्षेत्रों पर प्रभुता का दावा कर रहा है, तथा मैं चाहता हूं कि "मैक महा लाइन" की उचित परिभाषा की जाये तथा हमारी सीमान्त सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाये अध्यक्ष महोदय, मेरे देश की सुरक्षा का प्रश्न सर्वोपरि है। हमारा ध्येय यही होना चाहिये तथा मुझे विश्वास है कि मेरा यह संक्षिप्त हस्तक्षेप भारत सरकार को शीघ्र कार्यवाही करने की प्रेरणा देगा। मैं यह कह सकता हूं कि पीकिंग में इन तथा अन्य विषयों पर, जैसे कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर में हमारे प्रवेश के प्रश्न पर, पहिले ही वार्ता आरम्भ हो गई है। सिकियांग से लेकर गरतोक तक हमारे राजदूतालय, एक एक करके बंद हो रहे, तथा मैं सदन का ध्यान इन विषयों की ओर इस कारण आकर्षित करना चाहता हूं कि हम विश्व शक्तियों से सब ओर से घिर गए हैं जो हमारी सीमाओं पर पैर जमा रही हैं। एक तो पाकिस्तानी खतरा है जिसमें अमरीका का सैनिक समझौता सम्मिलित है। इन सब बातों के परिणाम-स्वरूप स्थिति यह है कि हमें अपनी रक्षा व्यवस्था सुदृढ बनानी है।

श्रीमान्, मेरा एक संशोधन है जिसमें "राष्ट्रीय प्रति रक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने, मुख्य कर हमारे रक्षा उद्योगों को स्थापित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने; तथा राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करने" का वर्णन है। यदि यह चर्चा परसों आरम्भ हुई होती तो इस सदन को विदित होता कि हम केवल अपने आयुध कारखानों के उत्पादन को ही नहीं घटा रहे हैं अपितु काम करने वालों की भारी छंटनी कर रहे हैं। देश भर में, चाहे यह खमरिया कारखाना हो, चाहे अम्बरनाथ कारखाना हो, कुछ झगड़ा है। मैं प्रधान मंत्री से, देश के रक्षा मंत्री के रूप में, यह आश्वासन चाहता हूं कि इन रक्षा उद्योगों में कोई ढील न होगी। हमें अपनी रक्षा-सामग्री के लिये विदेशों पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिये, यदि हम अपनी विदेश नीति का उचित रूप में पालन करना चाहते हैं।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि २० विभिन्न संशोधनों का सारे देश की एकता तथा रक्षा को दृढ़ बनाना है। सम्पूर्ण देश राष्ट्रीय एकता चाहता है। देश प्रधान मंत्री का समर्थक है। यह उन पर निर्भर है कि वह नीति को कार्यान्वित करें। मैंने कल तथा आज विभिन्न दलों के सदस्यों के भाषण सुने हैं। वे सब रक्षा के प्रश्न पर एकमत हैं। यदि प्रधान मंत्री की अपील, जो उन्होंने देहरादून तथा कलकत्ता में तथा कल यहां सभा में भी की थी, कार्यान्वित की जाये, तो मुझे विश्वास है कि, दुनिया को यह दिखाने के लिये कि देश एक है, प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चा उनकी नीति का समर्थन करेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का सन्तोष है कि सदन ने कल मेरे लम्बे भाषण को धैर्य से सुनने की कृपा की थी। परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि मेरे लिए सदन का और अधिक समय लेना उचित नहीं है। यह इस सत्र का अन्तिम दिन है तथा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिर भी मैं कुछेक शब्द कहना चाहता हूं विशेष कर माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों के सम्बन्ध में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है, वास्तव में, अधिकांश सदस्यों ने मुझे चुनौती नहीं दी है । हो सकता है कि उन्होंने इसके किसी न किसी पहलू पर अधिक जोर दिया है । मुझे इस बात का संतोष है । फिर भी मुझे यह मानना पड़ेगा कि जब श्री वी० जी० देशपाण्डे ने कहा था कि उन्हें भी मेरी नीति में आशा की झलक दिखाई दे रही थी तो मुझे अपने काम के बारे में संदेह उत्पन्न होने लगा है क्योंकि सामान्यतः हमारा आपस में मतभेद है तथा जिस बात को वह ठीक समझते हैं मैं उसे गलत समझता हूं और जिसे मैं ठीक समझता हूं उसे वह गलत समझते हैं । फिर भी इस नीति की मुख्य बातों के सम्बन्ध में अधिकांशतः सहमति रही है, तथा वास्तव में जो भी आलोचना हुई है वह अधिकांश रूप से उन विषयों से अतिरिक्त विषयों पर हुई है जिन पर कल चर्चा हो रही थी । सम्भवतः कुछ माननीय सदस्यों ने यह अनुभव किया कि उनकी शैली संकुचित हो गई है क्योंकि मैं ने उन से प्रार्थना की थी कि वह अपनी टिप्पणी दो अथवा तीन विषयों तक ही सीमित रखें । सामान्यतः जब यह वाद-विवाद होता है तो माननीय सदस्य कई विषयों पर बोलते हैं—समस्त विश्व से सम्बन्धित समस्याओं पर बोलते हैं । चूंकि हमें अधिकांश रूप से कुछ विशिष्ट विषयों पर बोलना था इसलिये यहां भी कुछ बाधा तथा संकोच का अनुभव किया गया ।

मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपलानी भी, जिनकी बातें सदैव ध्यानपूर्वक सुनी जाती हैं, इस बात को भूल गये कि हम विदेशी मामलों पर चर्चा कर रहे थे । उन्होंने निवारक निरोध अधिनियम आदि पर चर्चा करनी शुरू की । मेरी कठिनाई यह है कि इस बदलते संसार में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य परिस्थितियों के साथ साथ नहीं चलते हैं । वह भूत काल की बातें करते हैं तथा वर्तमान समस्याओं का सामना करने का प्रयत्न नहीं करते हैं । कल के नारे, कल की भाषा अथवा कल के तर्क आज लागू नहीं होते हैं ; यह एक स्पष्ट बात है । किन्तु फिर भी वह पुरानी बातें दुहराई जाती हैं चाहे वह संगत हों अथवा नहीं । एक बात जो साधारणतया उठाई जाती हैं राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों की है । वह इनकी ओर निर्देश किये बिना नहीं रह सकते हैं ।

यदि वह इसकी ओर निर्देश करने की अपेक्षा इन सम्बन्धों को समझने की कोशिश करते तो हमारा पथ तथा उनका पथ भी निष्कण्टक हो जाता । दुर्भाग्यवश, जो भी कोई बुरी बात होती है उसका कारण हमारे राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध बताये जाते हैं । राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध अच्छे हों अथवा बुरे हों, मेरे विचार से वह अत्यन्त ही हितकर हैं तथा मैं इनके पक्ष में हूं । किसी राष्ट्रमंडलीय देश की नीति से सहमत अथवा असहमत होते हुए भी मैं इसका पक्षपाती हूं । केवल यही बात नहीं है । यह बताया जाता है कि राष्ट्रमंडल में रहने से ही अमुक बात हुई । इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई संगति नहीं है । राष्ट्रमंडल में न रह कर भी वह बातें हो सकती थीं । आप स्वतन्त्र रूप से इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या यह अच्छा है या बुरा; परन्तु यह न कहिये कि कोई विशिष्ट बात इसी के कारण हुई है ।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुखर्जी गीता का अध्ययन कर रहे हैं । मुझे आशा है कि वह इसका अध्ययन करते रहेंगे तथा उस श्लोक पर पहुंचेंगे जहां अर्जुन प्रश्न पूछता है तथा कृष्ण गौरवशाली

स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ।।

मुझे आशा है कि हम सब इन गौरवमय शब्दों को जीवन भर याद रखेंगे तथा यथा शक्ति उन पर चलने का प्रयत्न करेंगे ।

मैं बड़े बड़े विषयों के सम्बन्ध में, जिन पर कि हम कल विचार कर चुके हैं, कुछ कहने का विचार नहीं रखता हूं । मैं इन पर काफी बोल चुका हूं । परन्तु मैं उन कुछेक बातों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जिनका कि यहां उल्लेख किया गया है ।

आचार्य कृपलानी ने शिकायत की कि हम विदेशी मामलों के सम्बन्ध में दूसरी पार्टियों से परामर्श नहीं करते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि अन्य देशों में विदेशी नीति एक राष्ट्रीय नीति होती है जिससे कि सभी पक्ष बड़ी हद तक सहमत होते हैं । मुझे ऐसे किसी देश की जानकारी नहीं है सिवाय उन देशों के जहां दूसरी पार्टियों को ज़िन्दा ही नहीं रहने दिया जाता है, जहां कि विदेशी नीति के सम्बन्ध में सभी पक्ष सहमत होते हों, सामान्यत: दृष्टिकोण में बहुत अन्तर रहता है । भूतकाल में जबकि विदेश नीति पर संकुचित दृष्टि से विचार किया जाता था, ऐसा करना ठीक ही था; परन्तु आजकल के समय में जबकि किसी देश की विदेश नीति आर्थिक मामलों तथा अन्य मामलों से सम्बद्ध होती है, सभी पार्टियां इस विषय पर सहमत नहीं होती हैं । चाहे यह यूरोप का कोई देश हो अथवा इंग्लैण्ड हो जो कि ऐसे मामलों में काफी अनुशासन प्रदर्शित करता है, वहां पार्टियों के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर रहता है तथा सरकार बदल जाने पर नीति भी बदल जाती है । कभी कभी विदेश मंत्री बदल जाने पर भी नीति बदल जाती है । शायद माननीय सदस्य संयुक्त राज्य अमरीका की दोनों पार्टियों की 'संयुक्त विदेश नीति' की बात सोच रहे हैं । कभी कभी मुझे उसे समझने में कठिनाई होती है । परन्तु वहां भी एक सरकार तथा दूसरी सरकार की नीतियों में भारी अन्तर रहता है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह कहना कि एक राष्ट्र की तथा इसकी विभिन्न पार्टियों की आवश्यक रूप से एक ही विदेश नीति होनी चाहिये ठीक नहीं है । बात यह नहीं है कि मैं इसके विरुद्ध हूं, परन्तु मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या वह आपस में एक ही नीति के सम्बन्ध में सहमत हैं ? कई पार्टियां हैं तथा उनके नेता हैं, क्या वह स्वयं एक ही विदेश नीति के सम्बन्ध में सहमत हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह सहमत नहीं है । कुछ मामलों में वह सहमत हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते हैं । अधिकांश रूप से उनकी एक ही नीति नहीं है । मैं परामर्श करने के पक्ष में हूं तथा परामर्श करना ठीक भी है विशेषकर संकटकाल में तथा कठिनाइयो के समय । ऐसे समय में सारे राष्ट्र को संगठित रहना चाहिये तथा हमें आपस में परामर्श करते रहना चाहिये । मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं, परन्तु यह कहना कि विदेश नीति निर्धारित करते समय हमें विभिन्न विचारधाराओं को ध्यान में रख कर काम करना चाहिये, ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह से तो हम विदेश नीति के विषय को विभिन्न पार्टियों में एक वाद विवाद का एक विषय बना देंगे । जहां इस तरह की नीति संकट काल में सफल नहीं होगी वहां इससे कठिनाइयां भी उत्पन्न होंगी । यदि युद्ध को एक संकटकाल माना जाये तो जैसा कि 'मैकाले' ने कहा है कि कभी कभी खराब सेनापति भी युद्ध में विजयी हुए हैं, परन्तु लड़ाइयां कभी किसी वाद विवाद गोष्ठी में नहीं जीती गई हैं ।

अब सुझाव यह दिया जाता है कि हमें विदेश नीति से सम्बन्धित मामलों को वाद विवाद तथा आपसी परामर्श का विषय बनाना

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

चाहिये। मैं परामर्श के पक्ष में हूं परन्तु किसी एक व्यक्ति को उस नीति की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिये। अन्यथा इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। इसमें कोई समनुकूलता नहीं होगी। इससे अच्छा यह होगा कि कोई समनुकूल नीति हो, क्योंकि बिना समनुकूलता के कोई नीति नहीं चल सकती है।

आचार्य कृपालानी (भागलपूर व पूर्निया): श्रीमान्, मुझे बहुत खेद है। मैं अपना सुझाव वापस लेता हूं। राष्ट्र की विदेश नीति एक व्यक्ति की नीति हो।

श्री जवाहरलाल नेहरू: आचार्य कृपालानी ने कहा कि वह किसी गुट में शामिल न होने की नीति के पूर्ण समर्थक हैं परन्तु हम जो कि इसका दावा करते थे उनके कथनानुसार इसे भूल गये हैं। मुझे मालूम नहीं कि उनका आशय क्या था। यह एक तथ्य है कि हम इस संसार में रह रहे हैं तथा हमें अपने पड़ौसियों से सहयोग करना है। एक राष्ट्र अथवा एक सरकार के रूप में हमने अभी सन्यास नहीं लिया है। हमें संसार के देशों से सहयोग करना है। उनसे कुछ लेना है कुछ देना है। हमें कई ऐसी बातें माननी हैं जो हमें पसन्द नहीं हैं, तथा इसी तरह से दूसरों को भी हमारी बहुत सी ऐसी बातें माननी हैं जो उन्हें पसन्द नहीं हैं। तो फिर यह कहना कि हम अपने को अनिन्दनीय तथा निर्दोष समझते हैं तथा हमें किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमारे आदर्शों पर न चलता हो हाथ भी नहीं लगाना चाहिये कोई यथार्थवादी नीति नहीं होगी। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं; वहां कई देशों के प्रतिनिधि हैं। उनमें से हम कई लोगों को दूसरों की अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं, हम वहां कई पक्षों के साथ परामर्श करते हैं, बातचीत होती है तथा समझौते होते हैं। हम वहां यह नहीं कहते हैं कि 'आप हमारी बात मान जाइये नहीं तो हम जाते हैं।' देशों का आपसी व्यवहार ऐसा नहीं होता है, व्यक्तियों का भी सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे मामलों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में अथवा उनके बाहर कोई समझौता करना होता है, यह ठीक है कि जब हम आपसी समझौते की आदेशिका का समर्थन करते हैं तो इस बात का डर रहता है कि कहीं हम अपने सिद्धान्तों से दूर तो नहीं जा रहे हैं अथवा फिसलने का तो कहीं डर नहीं है; ऐसी बात हो सकती है। परन्तु इसका कोई उपाय नहीं है, आपको इसका सामना करना ही होगा तथा सावधान रहना होगा। आप यह नहीं कह सकते हैं कि "हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करेंगे जो हमारी बात नहीं मानेगा।" मैं इस तर्क को कुछ स्थूल रूप में पेश करूंगा। मैं यह कहूंगा कि मैं केवल ऐसे लोगों से बात करूंगा जो कि मेरी भाषा हिन्दी बोलते हों। कुछ समय के लिए इसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु ऐसा करने से मेरे सम्बन्ध शेष संसार से विच्छेद हो जायेंगे। विचारों तथा विचारधाराओं के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात हो सकती है। मान लीजिये कि मैं कहूं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करूंगा जो मेरे विचारों को न मानता हो तो यहां भी मैं अलग थलग हो जाऊंगा। विचारों का सामंजस्य, आदान प्रदान तथा इस बदलते संसार की सूझ बूझ यह सारी बातें होनी चाहियें। संसार को छोड़ दीजिये, अपने देश को ही लीजिये। भारत की जनता पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण में सारवत् एक ही सी है। सारे देश में बड़ी दृढ़ समनुरूपता तथा एकरूपता है परन्तु फिर भी यहां तरह तरह की विचित्रतायें हैं जो कि एक बड़ी बात है। हम इस विचित्रता का स्वागत करते हैं। हम सब लोगों को एक ही लकड़ी से नहीं हांक सकते हैं। हमें अपने आपको एक दूसरे के अनुकूल बनाना है तथा जनता को उस जिस तरह से वह चाहे काम करने की स्वतंत्रता देना है। इसलिये अन्त-

र्राष्ट्रीय मामलों में हमारा रवैया यह नहीं हो सकता है कि 'आप मेरी बात मान जायें। अन्यथा मेरा आप से कोई वास्ता नहीं है।' इसका परिणाम यह हो सकता है कि आप दूसरों से अलग थलग रहेंगे। परन्तु यह सम्भव नहीं है। यदि हम ऐसा करना भी चाहें तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। जिस युग में हम रह रहे हैं वह अणु युग का आरम्भ है आज ज़ेट-वायुयानों का युग है जो कि पल भर में कई मीलों की उड़ान करते हैं। तो यदि हम किसी ऐसी प्रस्थापना से जो कि हमारी पसन्द की न हो, सहमत होने की बात करते हैं तो दूसरे भी हमारी कई ऐसी बातों से सहमत होते हैं जो कि उनको पसन्द नहीं होती हैं। काम निभाने का यही ढंग होता है। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम किसी ऐसी बात को तो नहीं मानते हैं जो कि मूलतः ख़राब हो अथवा जो हमारी मूल नीति में व्यवधान उत्पन्न करती हो आदि। गौण बातों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी हमें देखना होता है, वैदेशिक मामलों के सम्बन्ध में मख्य बातों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। पूर्ववर्तिताओं का महत्व है तथा यह भी आवश्यक है कि आप किस विशिष्ट बात को पहला स्थान देते हैं, किसे दूसरा स्थान देते हैं तथा किसे तीसरा देते हैं। यदि आप हर बात को तीसरा स्थान देने की ही सोचेंगे तो प्रथम स्थान तथा द्वितीय स्थान स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिये पहिली बात को प्रारम्भ करने के लिए, जो कि सबसे अधिक महत्व की हो, आपको दूसरी तथा तीसरी बात को उठा रखना ही होगा, चाहे इससे आपको कुछ तकलीफ ही क्यों न हो।

आचार्य कृपालानी ने कहा कि हमें कोरिया में नहीं जाना चाहिये था तथा काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं निर्दिष्ट करना चाहिये था। मैं देखता हूं कि हमारे अनेक विरोधी मित्रों की नीतियां सामान्यतया नकारात्मक हैं—कि हमें क्या नहीं करना चाहिये। तो क्या मैं सन् १९५३ में इस बात पर तर्क प्रस्तुत करूं कि सन् १९४७ में हमें क्या करना चाहिये था और क्या नहीं करना चाहिये था? इस तरह क्या हम उन समस्याओं को उनकी वर्तमान स्थिति में समझ सकते हैं? सन् १९४७ में जो कुछ किया गया था, मैं उस के सम्बन्ध में तर्क दे सकता हूं। किन्तु हम उन समस्याओं पर विचार कर रहे हैं जो आज हमारे सामने हैं, और मेरी कठिनाई यह है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य वर्त्तमान में नहीं आते हैं। वे विगत घटनाओं के ताने-बाने में भी उलझे हुए हैं। एक क्षण के लिए मान लीजिये कि हमने एक नहीं सौ गलतियां २ या ५ या ७ वर्ष पूर्व की थीं। तो फिर उनका किया क्या जाये? हमें तो आज की परिस्थिति का सामना करना है, वर्तमान में आना है।

विरोधी माननीय सदस्यों ने कोरिया के विषय में पूछा। हम कोरिया क्यों गये? क्या आदर, सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम वहां गये हैं? हम कोरिया में इसलिये गये कि यदि हम वहां न जाते तो वहां शान्ति न हुई होती तथा विनाशकारी युद्ध, विस्तार की सम्भावनाओं के साथ, चलता रहता। जैसा हमने समस्याओं को उस समय देखा—और जैसा कि बाद की घटनाओं ने प्रमाणित कर दिया है—उस संकल्प को पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर दोनों कमानों के मध्य मान्यता प्रदान कराना भारत के लिये एक खाई को पाटना था, जिसे कोई और नहीं कर सकता था। कोई अन्य देश उसके लिये तैयार नहीं था। यदि यह समझौता न होता तो युद्धबन्दी नहीं होती तथा भयानक लड़ाई जारी रहती। इसलिये अत्यन्त संकोच के साथ हमें समस्या का सामना करना ही पड़ा। हमने यह कार्य स्वीकार किया, और मैं इसे एक बार नहीं सौ बार स्वीकार करूंगा,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

क्योंकि अपने ही देश के प्रति नहीं, अन्य देशों के प्रति भी मेरा कुछ कर्त्तव्य है। मुझे बहुत अचम्भा हुआ जब मैंने देखा कि, केवल इस सदन में ही नहीं, एक दो मास से कुछ अखबारों में भी लोग कहते तथा लिखते हैं कि "कोरिया से हमारी सेनाओं को तत्काल वापस बुला लो।" मुझे ऐसी बात सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है, वह व्यक्ति इस प्रश्न पर ज़रा भी उत्तरदायित्वपूर्ण तरीक़े से विचार नहीं करते हैं। हमारा देश कोई बड़ा सैनिक राष्ट्र नहीं है, न ही कोई बड़ा धनिक राष्ट्र है; किन्तु हमारे कुछ मापदण्ड हैं जिनसे कि हम एक राष्ट्र के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, चूंकि प्रेसीडेंट री ने कोई ऐसी बात कह दी जिसे हम पसन्द नहीं करते हैं, तो क्या इस कारण वहां से हमें अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिये ? यह तो गैर-जिम्मेदारी की पराकाष्ठा होगी। जब तक इन मामलों के प्रति हमारा उत्तर-दायित्व है, तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता के साथ अपना कर्त्तव्य-पालन कर रहे हैं। हमारी सामर्थ्य और योग्यता सीमित हो सकती है किन्तु जहां तक हम यह कार्य कर सकते हैं, हम निष्पक्षता और सचाई के साथ इसे करेंगे।

श्री मुकर्जी का विचार है कि अधिकतर बुराइयां राष्ट्रमंडल से हमारे सम्बन्ध के परिणामस्वरूप हैं। उनकी धारणा है कि हमारे देश से मोनाज़ाइट भेजे जाने का राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध है। विदेशी विशेषज्ञ भी यहां इसीलिये आते हैं और गुरखाओं को खुखरी भी इसीलिये दी जाती हैं। हमें इन आरोपों पर विचार करना चाहिये।

श्री मुकर्जी ने कहा कि "मोनाज़ाइट बाहर जाता है तथा बमों के रूप में वापस आता है।" श्री मुकर्जी के लिए मेरे हृदय में सम्मान है, किन्तु उनकी बातें बहुधा तथ्यों के विरुद्ध जाती हैं। हमारे पास काफी मोनाज़ाइट है और हमने इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया है। किन्तु ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, जिनकी कि हमें अत्यधिक आवश्यकता है और जो हमारे पास नहीं हैं—जैसे आणु-विक शक्ति के सम्बन्ध में कोई चीज़—हम अवश्य ही इसका विक्रय करते हैं, अथवा वस्तु विनिमय करते हैं। कोई भी देश इस प्रकार प्रगति नहीं करता है। इस डर से कि कहीं कोई उस को काम में न ले आये यदि हम अपनी चीज़ का विक्रय बन्द कर दें तो हमें वह वस्तु नहीं मिलेगी जिसकी कि हमको आवश्यकता है। इसलिये ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमें निर्णय करना होता है कि हम अपनी क्या चीज़ दें, किसे दें, किस मूल्य पर दें और कितनी मात्रा में दें। हमने लगभग आधे दर्जन देशों को बहुत थोड़ी मात्राओं में मोनाज़ाइट दिया है, कभी-कभी ऐसी ही वस्तुओं के बदले में जिनकी हमको स्वयं मोनाज़ाइट को विकसित करने के लिए आवश्यकता है। किन्तु यह सोचना कि किसी दबाव में आकर हम ऐसा कर रहे हैं, एक दम असत्य है। हमने त्रावनकोर-कोचीन सरकार के साथ मिलकर मोनाज़ाइट को इसीलिये अपने कब्ज़े में ले लिया है जिससे कि यह प्राइवेट हाथों में पड़ कर अनियंत्रित रूप से परिचालित न हो। यह निर्यात किया जाता है, लेकिन उन वस्तुओं के बदले में जिनकी हमको बहुत ज़रूरत है।

आणुविक बम बनाने की या उसके सम्बन्ध में प्रयोग करने की न तो हमारी इच्छा है और न सामर्थ्य ही है। किन्तु हम नागरिक प्रयोग के लिए आणुविक शक्ति के विकास में अवश्य अभिरुचि रखते हैं, और यह नितान्त सम्भव है कि १० या १५ वर्ष में आणुविक शक्ति, शक्ति के एक विशाल तथा सरल साधन के रूप में नागरिक प्रयोजनों के

लिए उपलब्ध हो जाये । जब ऐसा सम्भव होगा, तो तत्काल तो नहीं अपितु यथासमय शक्ति-प्रदाय का समस्त प्रश्न ही एकदम बदल जायेगा । अब तनिक कल्पना कीजिये कि इससे देश में कितना महान् अन्तर आ जायेगा । अमरीका जैसे देश में नागरिक कार्यों के लिए इसकी अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्युत् शक्ति वहां बहुतायत से उपलब्ध है । किन्तु हमारे देश में तथा अन्य अल्प-विकसित देशों में इससे बड़ा अन्तर पड़ेगा । विद्युत् शक्ति के विकास के साथ, लगभग १५० वर्ष पूर्व औद्योगिक क्रान्ति हुई थी । अब हम उससे भी बड़ी क्रान्ति के निकट हैं जो कि संसार को बदल देगी, बशर्ते कि युद्ध ही संसार को नष्ट न कर दें, किन्तु यह एक भिन्न बात है । हमारा राष्ट्र उन चुने हुए कुछ राष्ट्रों में है जहां आणुविक शक्ति के प्राथमिक प्रक्रमों में अच्छी प्रगति हो चुकी है । एशिया में हमारा ही एक ऐसा देश है जो कुछ आगे बढ़ा है । इस काम में हम मोनाज़ाइट का प्रयोग करते हैं, हम इसे सुरक्षित रखते हैं और इसे ऐसे व्यक्तियों को देते हैं जो हमें इसके प्रयोग का तरीका बतलाते हैं । हमने फैक्टरियां स्थापित की हैं; वह भी मोनाज़ाइट लेती हैं और उसका परिशोधन करती हैं । अगला प्रक्रम यह है कि हम स्वयं इसका परिशोधन करें । इसलिये किसी के दबाव में आकर किसी को दे देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

फिर, श्री मुकर्जी ने विदेशी विशेषज्ञों के विषय में कहा । किन्तु मेरी यह समझ में नहीं आता कि उन्हें एक राष्ट्र विशेष के विशेषज्ञों पर आपत्ति है, विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने के सिद्धान्त पर आपत्ति नहीं है । यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने उद्योगों, टेकनीक विज्ञान को विकसित करना चाहते हैं । इसके लिये हम विशेषज्ञ पथ-प्रदर्शन चाहते हैं । विशेषज्ञों के बिना भी हम विकास कर सकते हैं, लेकिन इसमें दस गुना अधिक समय लगेगा । प्रत्येक देश ने दूसरे देशों से विशेषज्ञ प्रविधिक (टेकनीकल) परामर्श लिया है । हम सर्वोत्तम उपलब्ध प्रविधिक परामर्श चाहते हैं और यदि इसके लिए हमें यदि बाहर से व्यक्ति बुलाने पड़ें तो बुलाने चाहियें । इन विशेषज्ञों का काम यह भी होता है कि हमारे कर्मचारियों को उस काम में प्रशिक्षित करें । हम इस देश में कुछ बड़े विशाल कार्य कर रहे हैं जिनकी तुलना विश्व में अन्य स्थानों पर किये जा रहे किन्हीं भी विशाल कार्यों से की जा सकती है । हमने नदी घाटी परियोजनायें प्रारम्भ की हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने उन्हें देखा है और बहुधा उन्होंने उनकी आलोचना की है । किसी विशिष्ट बात के बारे में आलोचना सही या गलत हो सकती है, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे उत्कृष्ट कार्य हैं और सर्वोत्तम रूप से किये गये हैं । जो भी उन्हें देखता है, यही अनुभव करता है, चाहे वह देखने वाला भारत के किसी भी भाग से आया हो अथवा चीन से आया हो या रूस से । गलतियां जो भी हुई हों, उनके अनपेक्ष भी यह उत्कृष्ट कार्य हैं और सर्वोत्तम रूप से किए गये हैं ।

यह याद रखना चाहिये कि यह एक विशाल कार्य है । इसे प्रारम्भ करने के लिए साहस की आवश्यकता है । इसे हम ऐसे व्यक्तियों के सुपुर्द नहीं कर सकते जो चोटी के व्यक्ति न हों । इस विशिष्ट पहलू को देखते हुए, वर्तमान पीढ़ी में भी हमारे इंजीनियर बहुत अच्छे हैं और प्रगति कर रहे हैं तथा इन बड़े-बड़े कार्यों से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि कुछ वर्षों में वे बड़े से बड़े कार्य सम्भाल सकेंगे । किन्तु अभी तो हमें बाहर के विशेषज्ञों से सहायता लेना लाभ-दायक होगा । आर्थिक रूप से यह प्रश्न कुछ अनावश्यक सा है कि हम उन्हें पारि-श्रमिक क्या देते हैं । क्योंकि वे हमारा इतना

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

काम करते हैं इसलिये विदेशी विशेषज्ञों का प्रश्न इस दृष्टि से देखा जाना चाहिये।

गुरखों तथा खुखरियों की बात इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये हथियार युद्ध के हथियार नहीं रह गये हैं। आज का युग अणु और बमों का युग है। यह सत्य है कि मलाया में गुरखों के लिए हमने बहुत सी खुखरियों के निर्यात किये जाने की अनुमति दी। किन्तु वह इसलिये दी क्योंकि जिस प्रकार कृपाण सिक्खों का एक धार्मिक पहनावा बन गया है उसी प्रकार खुखरी गुरखों का धार्मिक चिह्न है।

डा० लंका सुन्दरम् ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें सुन कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ है। मुझे विदित नहीं कि भारत-तिब्बत सीमा पर हुई दुर्घटनाओं से सम्बन्धित यह जानकारी उनको किस सूत्र से मिली है। उन्होंने कहा कि एक लाख—या शायद मैं भूल रहा हूं, ५० हजार—फ़ौज वहां इकट्ठी है। मेरे पास भी जानकारी प्राप्त करने के कुछ साधन हैं, पर ऐसी सूचना मुझे नहीं मिली है। मुझे प्रसन्नता होगी, यदि डा० लंका सुन्दरम् उस विषय में मुझे कुछ सूचना दें, जिस से कि मैं उसकी जांच कर सकूं। मैं सीमा के दोनों ओर से निकट सम्पर्क में रहता हूं, और जहां तक मेरा सम्बन्ध है, उनके द्वारा बताई गई संख्या बिल्कुल ग़लत है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक रूप में—उस रूप में जिसमें डा० लंका सुन्दरम् इसे रखेंगे—पेकिंग में अगले सप्ताह चीन के साथ होने वाली हमारी बातचीत का पाकिस्तान की संयुक्त राज्य अमरीका से मिलने वाली सैन्य-सहायता से सम्बन्ध प्रतीत हो सकता है।

डा० लंका सुन्दरम : मेरा अभिप्राय यह नहीं था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जानता हूं कि आपका अभिप्राय यह नहीं था, पर सदस्यों ने यह सोचा अवश्य होगा। वस्तुतः इस पेकिंग-वार्ता को ले कर महीनों से पत्र-व्यवहार चल रहा था और अन्त में लगभग तीन महीने पहले हम नें चीन सरकार को यह सुझाव दिया था कि हम दिल्ली या पेकिंग में उसके साथ कुछ बातचीत करना चाहेंगे। उस पर वे पेकिंग के लिए तैयार हो गई। हमने अपने राजदूत को यहां बुलाया। हमने उस से बातें कीं, और अब वह वापस चला गया है और हमारे वैदेशिक कार्यालय के एक-दो पदाधिकारी भी वहां जा रहे हैं। मेरे विचार से इस वर्ष के समाप्त होने से पहले ही बातचीत शुरू हो जायेगी। परन्तु उसका सम्बन्ध तिब्बत से होने वाले व्यापार और यात्रा आदि समस्याओं को छोड़ किसी अन्य समस्या से नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् ने कुछ नकशों, मैकमोहन लाइन और तिब्बत के ऊपर चीन के अधिराज्य सम्बन्धी दावों आदि का भी निर्देश किया है। वस्तुतः मैं चीन सरकार की ओर से कोई बात नहीं कह सकता कि उसके मन में क्या है या क्या नहीं है। पर मुझे ज्ञात है कि विगत दो-तीन वर्षों में क्या हुआ है। इन समस्याओं पर विशेषतः तिब्बत के विषय में हमने उससे बार-बार बात की है, क्योंकि तिब्बत में भारतीय व्यापार, यात्रा आदि के विशेष हित हैं। कभी भी उसके द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा सीमान्त समस्याओं के विषय में कोई बात छेड़ी नहीं गई है। इस सदन को अच्छी तरह ज्ञात है कि प्रश्नों के उत्तर में अथवा विदेश-समस्या विषयक चर्चाओं में मैं बारम्बार बता चुका हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है सीमान्त सम्बन्धी चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं है। सीमा यथापूर्व है और मैकमोहन लाइन भी यथापूर्व है, और हमें

इसके विषय में चीन सरकार या किसी अन्य सरकार से कोई बात नहीं करनी है । अतः बात यहीं समाप्त हो जाती है । यह प्रश्न ही नहीं उठता है । अतः हमारे अधिकारी वहां सीमान्त-समस्या पर बातचीत करने नहीं गये हैं । यह बातचीत का विषय नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम् ने वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की किसी पुस्तिका का निर्देश किया था, जिसमें अनिर्दिष्ट सीमा के विषय में कुछ कहा गया है । मैं स्मृति के बल पर यह बात कह रहा हूं, पर जहां तक मुझे याद है, उसका सम्बन्ध ब्रह्मा की सीमा से है । विशेषतः नागा प्रदेश में एक क्षेत्र वस्तुतः सुनिर्दिष्ट नहीं है, और उसके विषय में ब्रह्मा सरकार से अस्पष्ट बातें हुई हैं । जहां तक मैकमोहन लाइन का सम्बन्ध है, यह बहुत पहले निश्चित की गई थी । यह ठीक है कि यह नकशे में ही निश्चित की गई है और खंभे आदि लगा कर इसे निश्चित नहीं किया गया है, अतः कभी-कभी कुछ सन्देह हो सकता है ।

डा० लंका सुन्दरम : मेरे द्वारा उद्धृत ज्ञापन श्री रामाध्यानी द्वारा निर्दिष्ट किया गया था और उस पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय की टिप्पणियां थीं । इसका सम्बन्ध तिब्बत, आसाम और ब्रह्मा से था, तथा इसकी प्रति पुस्तकालय में है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता । यह सम्भव है ।

संविधान सभा के बाद से हमारे ऐतिहासिक विभाग ने इस पर बहुत विचार किया है और इसके विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो गई है । पर जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मा और भारत के बीच कुछ अनिर्दिष्ट क्षेत्र था और उसे स्पष्ट करने के लिए ही नहीं, अपितु उचित समन्वय के लिये थोड़े बहुत प्रदेश की अदला बदली के भी कुछ प्रस्ताव रखे गये थे । पर बात वहीं की वहीं रह गई ।

कई माननीय सदस्यों ने रक्षा-उद्योगों की गति को तेज करने की बात कही है । उसकी गति को तेज करने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी । वस्तुतः रक्षा-उद्योगों के विषय में हमने जो प्रगति की है, या हम जो प्रगति कर रहे हैं, वह बहुत काफ़ी है । इन बड़े उद्योगों की स्थापना में कुछ वर्ष लग जाते हैं, पर वह कोई विशेष बात नहीं है । कुछ उद्योग चल रहे हैं, कुछ स्थापित किये जा रहे हैं, और कुछ की नींव रखी जा रही है । मैं तीव्र गति से प्रगति करना पसन्द करूंगा । यह केवल धन की बात ही नहीं है, यद्यपि वह भी एक विचारणीय प्रश्न है । प्राविधिक प्रशिक्षण का भी प्रश्न है । वह मांगते ही नहीं मिल जाता है । वह धीरे-धीरे ही मिलेगा । हम औरों की अपेक्षा तेज़ी से प्रगति कर सकते हैं, पर फिर भी हमें विकसित तो होना ही होगा । अन्त में यह देश के औद्योगिक विकास का एक अंग बन जाता है ।

मैं उन माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । वस्तुतः कोई भी पूरा-पूरा शत-प्रतिशत आत्मनिर्भर या स्वतन्त्र नहीं हो सकता है । कुछ न कुछ पर-निर्भरता किसी न किसी बात के लिए रहती ही है, और रहनी भी चाहिये, इसमें कोई हानि नहीं है । पर किसी को इस सीमा तक पर-निर्भर नहीं हो जाना चाहिये कि वह दुर्बल हो जाये तथा उचित रूप से कार्य कर सकने में असमर्थ हो जाये उद्योग आदि स्थापित करने में समय लगता है । यदि आप दूसरे देशों की ओर देखें तो पता चलेगा कि उनको इस सशक्त स्थिति में पहुंचने में बहुत समय लगा है और मेरे विचार से गत छः वर्षों में हमने जो प्रगति की है उसे नगण्य नहीं कहा जा सकता है ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा । श्री देशपांडे ने हमारे अमरीका या कुछ अन्य देशों

[श्री जवाहरलाल नेहरू:]

के पास भिक्षा-पात्र लेकर सहायता के लिए जाने की बात का बारम्बार निर्देश किया था। म यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कभी भी हमारे यहां से कोई भी भिक्षा-पात्र लेकर कहीं नहीं गया और न कभी भविष्य में ही हम ऐसा करना चाहते हैं। सम्मानपूर्ण शर्तों पर मिलने वाली सहायता का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे हमें अपनी औद्योगीकरण की प्रगति को तेज करने में सहायता मिलती है। पर साधारणत: सहायता हमें मिली है; और बातचीत का प्रारम्भ तक दूसरी ओर से किया गया है। हमने उसका स्वागत किया है। हमने उस पर बातचीत चलाई है और हमने उसके लिए अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट की है। "भिक्षा पात्र" लेकर जाने का कोई प्रश्न नहीं है; वह न तो देने वाले के लिए अच्छा है और न लेने वाले के लिए ही।

मैंने यह भी नहीं कहा कि यदि पाकिस्तान सहायता स्वीकार करता है, तो उससे युद्ध अवश्यम्भावी हो जाता है। मैंने ऐसा सुझाव कभी नहीं दिया। मैंने यही कहा था कि इस प्रकार की बातों से शान्ति में बाधा पहुंचती है। यह शान्ति के आड़े आती है; यह शान्ति को नष्ट करने वाला एक कारण है। यह स्वयं इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इससे ही युद्ध छिड़ जाये या शान्ति स्थापित हो जाये; और भी बहुत सी बातें हैं, जो अन्त में सारी घटनाओं पर प्रभाव डालती हैं।

श्रीमान्, अपनी समझ से मैं इस चर्चा में उठाई गई सभी महत्वपूर्ण बातों का उत्तर दे चुका हूं। कई माननीय सदस्यों द्वारा देश की एकता और संगठन के विषय में व्यक्त की गई आशा से मैं सर्वथा सहमत हूं। यह प्रत्यक्ष है। वही हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। किसी संकट के पैदा होने की सम्भावना हो या न हो, हमें ऐसा करना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि इस सदन में या देश में इन चर्चाओं को लेकर कुछ सनसनी फैले। हमें सतर्क और सावधान रहना होगा और हमें इकट्ठे होकर साथ-साथ काम करना होगा, और ऐक्यपूर्वक कार्य करने पर अन्त में सशस्त्र सैनिकों की संख्या को ही सब कुछ नहीं कहा जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनिवार्य सैन्य सेवा सम्बन्धी संशोधन रखे हैं। देश को दुर्बल बनाने का यदि कोई विशेष तरीका हो सकता है, तो वह अनिवार्य सैन्य सेवा ही है। अनिवार्य सैन्य सेवा का अर्थ क्या है? मैं सिद्धान्तत: या व्यवहारत: इसके विरोध में नहीं हूं। तनिक इस पर ध्यान दीजिये। यदि हम अपनी सारी शक्ति अनिवार्य सैन्य सेवा में लगा दें तो इससे बहुत से लोगों को निस्संदेह शारीरिक दृष्टि से लाभ पहुंचेगा। पर इसमें व्यय होने वाले धन को किसी न किसी मद से लाना होगा। अन्तत: यह उन आर्थिक-सुधार के उपक्रमों में से लाया जायेगा, जिनको हम चलाने की चेष्टा कर रहे हैं। अन्तत: देश की शक्ति, आर्थिक प्रगति पर तथा अन्य चीज़ों पर अधिक निर्भर होगी। यदि हम आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हैं, तो बहुत से लोगों के फौजी प्रशिक्षण पा लेने से ही देश का कुछ लाभ नहीं होगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या आप दोनों को मिलां नहीं सकते हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू : दो ही नहीं और भी बहुत सी बातें हैं। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि राष्ट्रीय योजना का यही लक्ष्य है कि बहुत सी चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाये और उन में प्राथमिकता निर्धारित की जाये। योजना में कमी हो, यह पृथक् बात है। पर सारी योजना इसी पर आधारित है।

राष्ट्र की सुरक्षा कई तत्वों पर निर्भर होती है और पहला स्थान सेना का है । यह बात प्रत्यक्ष है । दूसरा स्थान देश की औद्योगिक क्षमता है, जो सेना का संधारण करती है । अन्यथा सेना बेकार है । तीसरी बात देश की आर्थिक सामर्थ्य है और चौथी बात है देशवासियों का साहस । देश की सुरक्षा के लिए ये सब बातें समान रूप से आवश्यक हैं, और पिछली दो-तीन पहली की अपेक्षा भी अधिक आवश्यक हैं, यद्यपि पहली का होना भी अपेक्षित है ।

मेरे प्रस्ताव पर सदन ने जो अनुग्रह प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं उसका कृतज्ञ हूं ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अभी सवाल पूछने का समय नहीं है । शान्ति, शान्ति ।

श्री पी० एन० राजभोज : यह हमारे ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को लूंगा । माननीय सदस्य बता दें कि वे अपने संशोधन वापस लेना चाहते हैं या उन पर आग्रह करना चाहते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम्, श्री सैय्यद अहमद, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री एन० सोमना, श्री जेठालाल जोशी, डा० राम सुभग सिंह और पंडित के० सी० शर्मा द्वारा अपने संशोधन वापस लिये गये । श्री रघुरामय्या, श्री पी० एन० राजभोज, श्री सारंगधर दास, श्री टी० के० चौधरी और श्री एन० श्रीकान्तन नायर द्वारा अपने संशोधनों पर आग्रह किया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन के खंड (घ), छ (२) और छ (४) अनियमित ठहराय गये तथा श्री यू० सी० पटनायक का समूचा संशोधन अनियमित ठहराया गया ।

श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन के अवशिष्ट अंश, तथा सर्व श्री पी० एन० राजभोज, श्री सारंगधर दास, श्री टी० के० चौधरी और श्री एन० श्रीकान्तन नायर के संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रघुरामय्या का ही संशोधन शेष है ।

प्रश्न यह है कि :

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"और उस पर विचार करने के बाद यह सदन उस नीति का समर्थन करता है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को संशोधित रूप में सदन के समक्ष रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

"वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत-सरकार की नीति पर विचार किया जाये और उस पर विचार करने के बाद यह सदन उस नीति का समर्थन करता है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक लेखा समिति में राज्य परिषद के सदस्य सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सदन १२ मई, १९५३ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित लोक लेखा समिति में राज्य परिषद् के सदस्य सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मेरा निवेदन यह है कि यह प्रस्ताव गत १२ मई को प्रस्तुत किया गया था । वह स खत्म

[श्री एस० एस० मोरे]

हो गया। उसके बाद अगस्त-सितम्बर में एक और सत्र हुआ और वह भी खत्म हो गया। उसके बाद यह अगला सत्र है। प्रक्रिया नियमों के नियम २३८ के अनुसार इसके लिये नई सूचना दी जानी चाहिये। संविधान के अनुच्छेद १०७ के उप-खण्ड (३) के अनुसार भी विचाराधीन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव इन दोनों उपबन्धों के विपरीत है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना विनिर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने अनुच्छेद १०७ तथा नियम २३८ का गलत मतलब निकाला है। अनुच्छेद १०७ के अनुसार कुछ विशेष विधेयक कालातीत नहीं समझे जायेंगे और जो विधेयक इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे वे कालातीत समझ जायेंगे। किन्तु यह एक दूसरी बात है। नयम २३८ में सूचना देने के सम्बन्ध में बातें दी हुई हैं। इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी थी और इस पर आंशिक रूप से विचार किया जा चुका था तथा वह चर्चा स्थगित कर दी गई थी। अब यह सदन की इच्छा के अनुसार स्तुत किया गया है। इसमें नई सूचना देन का कोई प्रश्न नहीं है।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उस समय सदन के सदस्यों ने यह सन्देह प्रकट किया था कि क्या इस प्रकार के लोक लेखाओं के लिये कोई संयुक्त समिति बनाई जा सकती है। मैं इस प्रश्न पर लोक सभा की प्रतिष्ठा की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहता हूं। किन्तु इस प्रस्ताव के कारण बहुत महत्वपूर्ण बात उत्पन्न होती है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

राज्य परिषद् को लोक लेखा समिति में प्रतिनिधित्व दिय जान के सम्बन्ध में यह तर्क दिया जाता है कि अनच्छेद १५१ के अन्तर्गत वित्तीय नियंत्रण करन तथा जांच करने वाले निकायों में राज्य परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित होने का अधिकार है। मेरा विचार यह है कि इस अनच्छेद से राज्य परिषद् को वित्तीय जांच करने का अधिकार नहीं मिलता है। इस अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय मामलों की रिपोर्ट दोनों सदनों में सदन पटल पर रख दी जायगी और उन पर चर्चा की जा सकती है। किन्तु हमें इन पर चर्चा करने तथा इन मामलों की जांच करने के अधिकारों में अन्तर करना है मैं यह नहीं समझ पाता कि यह तर्क किस प्रकार दिया जा सकता है कि दोनों सदनों ो वित्तीय मामलों की ,रपोर्टों पर चर्चा करने का अधिकार है इसलिये लोक लेखा समिति में राज्य परिषद् के सदस्य भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। यहां यह भी कहा गया था कि दोनों सदन अनुच्छेद ११८ के अनुसार अपनी अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। किन्तु इससे वह अप अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। लोक सभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। राज्य परिषद अपन प्रक्रिया नियमों में ऐसा उपबन्ध नहीं रख सकती कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री हटाये जा सकते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि पूरी प्रक्रिया का सम्बन्ध उन अधिकारों से होना चाहिये जो अधिकार प्रत्येक सदन को जनता से मिले हैं।

लोक लेखा समिति को वित्तीय मामलों की जांच करन तथा उनकी आलोचना करने का अधिकार ह और नियम १९६ (४) के अन्तगत निर्धारित व्यय से अधिक अतिरिक्त व्यय को नियमानकल ठहरान का भी अधिकार है। यह सबसे महत्वपूण उपबन्ध है जिससे लोक सभा को वित्तीय मामलों को

जांच करने का पूर्ण अधिकार मिलता है। सदन ने अपने अधिकार एक उप-समिति को दे रखे हैं।

मैं ये इसलिये कह रहा हूं कि दोनों सदनों में सामंजस्य बना रहे। मेरी प्रधान मंत्री से, जो कि इस सदन के नेता भी हैं, यह अपील है कि वह इस सदन के हितों पर विचार करें। यदि वह यह समझें कि सामंजस्य बनाये रखने के लिये हम ऐसी प्रक्रिया अपनायें जिससे इस सदन को पर्याप्त अधिकार मिलें और उसके साथ ही राज्य परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित करने में कोई बाधा न हो तो हम एक प्रकार का समझौता कर सकते हैं। यदि सामंजस्य स्थापित करने के लिये हमें एक संयुक्त समिति बनानी है तो हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि राज्य परिषद् के सदस्यों के विशेषाधिकार और अधिकार क्या होंगे। इस सदन में से बनने वाली संयुक्त वित्तीय समिति ऐसी हो जिसमें इस सदन की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को प्रक्रिया निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार हो। अतिरिक्त अनुदानों से सम्बन्धित मामलों के बारे में यह नियम होना चाहिये कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को प्रक्रिया नियमित करने का अधिकार होगा जिससे इस सदन के सदस्यों को पर्याप्त अधिकार मिल सके। वित्तीय मामलों में राज्य परिषद् के सदस्यों को चर्चा करने का तो अधिकार हो किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिये।

चूंकि हमने राज्य परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया है इसलिये प्रक्रिया नियम निर्धारित किये जा सकते हैं। दो सप्ताह पूर्व हमने राज्य परिषद् की संयुक्त प्रवर समिति में सह सदस्य होना स्वीकार किया था। इसी प्रकार जब हमारी एक संयुक्त लोक लेखा समिति है और उसमें वे सह सदस्य होंगे तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के हमें सहायता देंगे। हमें आशा है कि इस मामले में सदन के नेता इसे नहीं भूलेंगे कि वह लोक सभा के नेता हैं। हमारा यह कार्य उन अन्य देशों के लिये, जिनमें द्विसदनीय विधान मण्डल है, एक उदाहरण होगा।

इसके पश्चात् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कतिपय लाभ-पदों के बारे में यह घोषणा करने के लिये कि कथित पद धारण करने वाले संसद् या किन्हीं भाग 'ग' राज्यों की किसी विधान सभा के, जैसी भी दशा हो, सदस्य चुने जाने के लिये या सदस्य होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे, एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उपबन्धों को भली प्रकार से देखा होगा। सदस्य संविधान के अनुच्छेद १०२ (१) (क) को जानते हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार संसद् को उस में उल्लिखित अर्हताओं के सामान्य नियमों में अपवाद रखने का अधिकार है और उसी के अनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उस अनुच्छेद में यह दिया हुआ है कि संसद् के सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दिये बिना सरकार के अधीन किसी लाभप्रद पद पर नियुक्त नहीं हो सकते।

अनर्हता सम्बन्धी यह नियम अंग्रेजी परम्परा पर आधारित है। इंग्लैण्ड में यह अनर्हता बहुत सी बातों का विचार रख कर निर्धारित की गई थी। पहिले वहां यह समझा

[श्री बिस्वास]

जाता था कि वहां की पार्लियामेंट का सदस्यों की सेवाओं पर प्रथम अधिकार था और यदि कोई सदस्य किसी पद पर नियुक्त हो जाता था तो पार्लियामेंट इसे अपने प्रति अपमान तथा अपने विशेषाधिकारों की अवहेलना समझती थी।

इस के बाद वहां "भ्रष्टाचार अवस्था" की बात आई। उस समय यह समझा गया कि यदि कोई सदस्य किसी लाभ-प्रद पद को स्वीकार करेगा तो इस बात की सम्भावना है कि वह सदस्य पार्लियामेंट के प्रति पूर्ण रूप से वफादार नहीं रह सकेगा। यह उस समय की बात है जब कि इंग्लैण्ड में वहां के सम्राट तथा पार्लियामेंट के बीच झगड़ा था। इसलिये यह अनर्हता का नियम निर्धारित किया गया था। इस के अन्तर्गत इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट का कोई सदस्य कोई सरकारी लाभ-प्रद पद स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि वह ऐसा करता था तो वह पार्लियामेंट का सदस्य नहीं रह सकता था। बाद में यह मालूम हुआ कि कभी यह नियम उन्हीं लोगों के विरुद्ध भी लग सकता है जिन्होंने इसे बनाया था। पार्लियामेंट का कार्यपालिका पर प्रभावोत्पादक नियंत्रण रह सके इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि पार्लियामेंट में कार्यपालिका के सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व हो। इसीलिये आप देखते हैं कि मंत्रिपद को इस अनर्हता से अलग रखा गया था।

यूनाइटेड किंग्डम में हुई इन ऐतिहासिक घटनाओं को अलग रखते हुए अब हमें उस सिद्धान्त को लेना चाहिये जो हम ने स्वीकार कर लिया है तथा जो हमारे संविधान में सन्निहित है, अर्थात् अनुच्छेद १०२ (१) (क) जो इस प्रकार है :

"कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है"।

इस अनुच्छेद में अनर्हता के अन्य कारण भी दिए हुए हैं। इस समय हमारा उन से सम्बन्ध नहीं है। हमारा सम्बन्ध इस समय केवल अनुच्छेद १०२ (१) (क) में उल्लिखित अनर्हता से है, जिस को संसद् अपने अधिकार का प्रयोग कर के हटा सकती है तथा स्वयं संविधान में इस प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद १०२ (१) में अनेक खण्ड हैं, (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ)। खण्ड (क) में उस अनर्हता का निर्देश है जो सरकार के अन्तर्गत लाभ का पद धारण करने से उत्पन्न होती है। केवल इसी अनर्हता के सम्बन्ध में संसद् को कानूनन यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन में से कुछ पदों को धारण करने वालों के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि वे अनर्ह न होंगे।

आप को याद होगा कि यह पहली बार नहीं है जब कि इस प्रकार का विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले १९५० में संसद् अनर्हता निवारण विधेयक (१९५० का १९ वां अधिनियम) लाया गया था जिस में कुछ पदों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि उन को धारण करने वाले अनर्ह न होंगे, अर्थात् राज्य-मंत्री, उपमंत्री, सभा-सचिव तथा सभा-अवर-सचिव के पद। इस के बाद संसद् अनर्हता निवारण विधेयक, १९५१ (१९५१ का

६८ वां) · लाया गया जिस के अन्तर्गत विमुक्ति भूतलक्षी कर दी गई । यद्यपि यह अधिनियम संविधान के लागू हो जाने के पश्चात् पारित किया गया था, फिर भी यह समझा गया था कि यह उसी तिथि से लागू किया गया है जिस तिथि से संविधान लागू हुआ था । उस अधिनियम की यह योजना थी । सरकार द्वारा नियुक्त की गई कुछ कमेटियों का उस में उल्लेख किया गया था तथा यह प्रावधान किया गया था कि इन कमेटियों में से किसी का सदस्य या सभापति होना ऐसे पदधारी के लिये संसद् का सदस्य बने रहने में बाधक न होगा । इन कमेटियों के सम्बन्ध में सामान्य खण्ड में उल्लेख करने के पश्चात् यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई किसी और कमेटी का सदस्य या सभापति होना अनर्हता न होगी । परन्तु यह अनर्हताएं केवल एक निश्चित तिथि तक के लिये हटाई गई थीं अर्थात् ३१ मार्च, १९५२ तक के लिये और आगे नहीं ।

संविधान के अनुच्छेद १०२ (१) (क) में निर्दिष्ट अनर्हताओं से कुछ पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को मुक्त करने के लिये बनाये गये इस अनर्हता निवारण अधिनियम के पारित होने से पहले ही किसी तरह यह भुला दिया गया कि ऐसा अनुच्छेद भी वर्तमान है । इस बात को बिना ध्यान में रखे हुए कि ऐसी कमेटियों का सदस्य होना अनर्हता होगी सरकार द्वारा नियुक्त की गई अनेक कमेटियों में व्यक्तियों को रख दिया गया । जब इस बात का पता लगा तो ग़लती तो सुधारनी ही थी । एक ओर तो सदस्यों ने यह जाने बिना कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत वे अनर्हता के भागी हो रहे हैं ऐसे पदों को धारण करना स्वीकार कर लिया, दूसरी ओर सरकार ने इस बात का बिना ध्यान रखते हुए कि वह इस प्रकार इन सदस्यों को इस संकट में डाल रही है, उन्हें इन पदों पर नियक्त कर दिया । अतः इस कानून को बना कर सरकार सीमित तिथि को आगे बढ़ाना चाहती थी । यह बात सदस्यों तथा सरकार पर छोड़ दी गई थी कि वे इस तिथि के अन्दर क्या करें । या तो यह सदस्य उन कमेटियों या परिनियत निकायों से अपना त्यागपत्र दे सकते थे या उस तिथि के बाद वे उन पदों पर बने रह सकते थे यदि उन अधिनियमों में जिन के अन्तर्गत यह कमेटियां या परिनियत निकाय बनाये गये थे, समुचित संशोधन कर दिया जाता जिस से कि उन का सदस्य बना रहना अनर्हता न समझी जाती । यह छूट केवल ३१ मार्च १९५२ तक के लिये दी गई थी । परन्तु तब से अब तक सरकार ने अनेक निकाय बना कर इन पर व्यक्तियों को नियुक्त भी कर दिया है । संसद् द्वारा पारित किये गये अधिनियमों के अन्तर्गत अनेक परिनियत निकाय बना दिये गये हैं तथा उन पर संसद् के सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया है । अतः यह प्रश्न उठता है कि वे अनर्हत हो गये हैं अथवा नहीं और यदि वे अनर्हत हो गये हैं तो इलाज क्या है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ समय पहले विन्ध्य प्रदेश की धारासभा के कुछ सदस्यों के अनर्हत होने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था ।

वे भी ऐसे ही सामान्य अनर्हता खण्डों के अन्तर्गत अनर्हताओं के भागी हुए थे पर यह खण्ड संविधान में नहीं थे बल्कि भाग 'ग' राज्य अधिनियम में थे । प्रश्न यह उठा था कि क्या वे सदस्य जो कुछ ज़िला सलाहकार परिषदों पर नियुक्त कर दिये गये थे और जिस में वेतन भी दिया जाता था, धारासभा के सदस्य बने रह सकते थे· अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत जारी किये गये एक आदेश के अनुसार इस प्रश्न का निदश राष्ट्रपति को किया गया था और राष्ट्रपति ने उसे निर्वाचन आयोग को भेज दिया था ।

[श्री बिस्वास]

निर्वाचन आयोगने यह दृष्टिकोण अपनाया—निर्वाचन आयोग का निर्णय इस सम्बन्ध में लगभग अन्तिम शब्द था—कि यद्यपि वे केवल १० रुपये भत्ता लेते थे लेकिन वह केवल जेब खर्च के लिये था। वह इस को भी टाल देने के लिये तैयार था। परन्तु कुछ ऐसे भी सदस्य थे जो वहीं के रहने वाले थे और उन के सम्बन्ध में कोई भत्ते का प्रश्न ही नहीं उठता था। यदि उन्हें पांच रुपये भी दिये जाते तो वे अनर्हता के भागी हो जाते। निर्वाचन आयोग की यही राय थी। इस प्रकार इन में से १० या ११ सदस्य बिना किसी अपनी ग़लती के अनर्हत हो गये थे। इस पर सरकार को यहां एक विधेयक पुरःस्थापित करना पड़ा था जिस से उन की यह पहली अनर्हताएं दूर हो जायें। परन्तु यह एक ऐसा मामला था जो संविधान के अन्तर्गत न उठ कर भाग 'ग' राज्य अधिनियम के अन्तर्गत उठा था जिस में ऐसे ही उपबन्धों की व्यवस्था थी। यह प्रश्न तो स्वयं संविधान के अन्तर्गत उठा है तथा हम उस के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली अनर्हताओं को दूर करने के सम्बन्ध में कानून बना रहे हैं।

यदि आप वर्तमान विधेयक पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि विधेयक में कमेटियों और परिनियत निकायों का निर्देश किया गया है। "कमेटियों" में सरकार द्वारा नियुक्त की गई कमेटियां, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय, चाहे वे परिनियत निकाय हों या नहीं, आ जाते हैं। मुख्य बात यह है कि निकाय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। हो सकता है उसे किसी परिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया हो या न किया गया हो परन्तु यह आवश्यक है कि वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। यह ज़रूरी नहीं है कि परिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया निकाय हमेशा सरकार द्वारा ही नियुक्त किया गया हो।

"परिनियत निकाय" की परिभाषा इस प्रकार की गई है—कोई भी निगम, बोर्ड, कम्पनी, समाज या व्यक्तियों का और कोई निकाय, चाहे वह संस्थापित हो या नहीं, जिसे किसी वर्तमान लागू कानून के अन्तर्गत या ऐसे कानून के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्थापित पंजीकृत या संगठित किया गया हो।

क्योंकि यह अनर्हता मुख्यतः इस लिये उत्पन्न होती है कि यह लाभ का पद है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम ठीक ठीक समझ लें कि लाभ का क्या अर्थ होता है। जब तक कि पद स्वयं लाभ का पद न हो तब तक सरकार द्वारा नियुक्त की गई किसी तदर्थ निकाय या परिनियत निकाय का सदस्य होना स्वयं में अनर्हता नहीं है। इस पद को धारण करने के कारण जो अनर्हता उत्पन्न होती है उस की पहली जरूरी बात यह है कि वह पद सरकार के अन्तर्गत होना चाहिये तथा साथ ही लाभ का पद होना चाहिये। यह दोनों ही बातें पूरी होनी चाहियें। अब, जहां तक लाभ का सम्बन्ध है, साधारणतः लाभ का अर्थ रुपये, आने, पाइयों में ही लगाया जाता है—अर्थात धन सम्बन्धी लाभ परन्तु कुछ मामलों में यह राय दी गई है कि पद में और बातें भी शामिल हैं। यहां तक कि जहां धन सम्बन्धी लाभ नहीं होता अन्य प्रकार का लाभ होता है उसे भी 'लाभ' में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई पद ऐसा है जिस के धारण करने से कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं या संरक्षण प्राप्त हो जाता है या कार्यकारी कृत्य करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है या उस से मानमर्यादा बढ़ जाती है तो उसे भी लाभ का पद समझा जा सकता है उद्देश्य

यह है कि सरकार संसद् के किसी सदस्य को ऐसी परिस्थिति में रखने की स्थिति में न हो जाये कि वह सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय यह अनुभव करने लगे कि वह कोई महत्वपूण व्यक्ति है चाहे उसे धन सम्बन्धी कोई लाभ न होता हो। समस्त प्रकार के प्रलोभन, चाहे धन सम्बन्धी हों या अन्य प्रकार के, दूर किये जाने चाहियें। जब यह उद्देश्य है तो कभी कभी 'लाभ' को ऐसी दृष्टि से देखा गया है। हम ने इसी दृष्टि-कोण को अपनाया है जिस से समस्त सम्भावी अनर्हताएं दूर की जा सकें चाहे वह धन लेने से या अन्य प्रकार के लाभ उठाने से---चाहे उन का मूल्य धन के रूप में न निकाला जा सके---उत्पन्न होती हों।

जहां तक लाभ का सम्बन्ध है हमें परेशानी इस बात से नहीं है कि पद के साथ वेतन भी दिया जाता है। यदि किसी पद को धारण करने के लिए वेतन प्राप्त होता है तो इस में तो कोई सन्देह ही नहीं है कि वह लाभ का पद है। परन्तु भत्तों के कारण कठिनाई उत्पन्न हो गई है। हर एक मामले में जिस में किसी सदस्य को कमेटी पर नियुक्त किया गया है उसे कुछ न कुछ भत्ता भी दिया जाता रहा ह। जहां तक इन भत्तों का सम्बन्ध है---इंग्लैंड या अन्य देशों में जहां कहीं भी यह नियम लागू है---यदि आप अपनी जरूरत के लिये जेब खर्च ले लेते हैं तो यह अनर्हता नहीं समझी जायेगी। जहां तक मकान किराया भत्ते का सवाल है इस के सम्बन्ध में कोई कठिनाई है ही नहीं; यात्रा-भत्ते के सम्बन्ध में भी कोई विशेष कठिनाई नहीं है तथा सवारी-भत्ते के सम्बन्ध में भी यही बात है। मुख्य कठिनाई दैनिक भत्ते के सम्बन्ध में है। आखिरकार दैनिक भत्ते के सम्बन्ध में क्या सीमा रखी जाये ? इस सम्बन्ध में समस्त सन्देहों को दूर करने के लिये पहली बार दैनिक भत्ते की दर सन्तोषजनक रूप से निश्चित की जा रही है। पहले तो वित्त मंत्रालय द्वारा एक ज्ञापन जारी कर दिया गया था कि यदि २० रुपये से अधिक नहीं दिया जाता है तो यह पर्याप्त जेब खर्च समझा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न होगी।

नहीं, इस में कोई कानूनी पाबन्दी नहीं है। फिर भी इस नियम का पालन किया जा रहा है। अब प्रश्न इस नियम को वैधानिक आधार प्रदान करने का है। हमारा कहना है कि यदि २० रुपये से अधिक न दिया जाये तो इस में कोई हर्ज न होगा। परन्तु कुछ सदस्यों का कहना है कि इस प्रकार उन सदस्यों को हानि उठानी पड़ेगी जो किसी समिति के सदस्य हैं तथा जो उस की बैठकों में भाग लेने के लिये कभी कभी दिल्ली के बाहर भी जाते हैं, क्योंकि यदि वे सत्र में भाग लेते तो उन्हें दिल्ली में रहने पर भी ४०) रु० प्रति दिन पाने का अधिकार होता। परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें दिल्ली से बाहर जाने के कारण व्यय भी अधिक करना पड़ता है तथा प्रति दिन मिलने वाली धनराशि भी कम हो जाती है। इस विधेयक में हम ने सुझाव दिया है कि जब किसी सदस्य को ऐसे समय में किसी समिति का कार्य करना पड़े, जब संसद सत्र में हो, तो उसे ४०) रुपये प्रति दिन दिया जायगा, अन्यथा २०) रुपये प्रति दिन।

इस के पश्चात आप को दो खण्ड मिलेंगे खण्ड ३ तथा ४। खण्ड ३ में स्थायी विमुक्ति का उपबन्ध किया गया है तथा खण्ड ४ में एक निश्चित समय के लिये विमुक्ति का उपबन्ध किया गया है। दूसरे सदन में रक्खे गये तथा सरकार के द्वारा स्वीकार किये गये एक संशोधन के अनुसार अब यह काल विस्तार ३० अप्रैल १९५४ तक के लिये निश्चित कर दिया गया है। परन्तु यह विमुक्ति केवल

[श्री बिस्वास]

उन समितियों के सम्बन्ध में दी जायेगी जो परामर्शदायी कार्य के लिये बनाई गई ह न कि कार्यपालिका सम्बन्धी समितियों के लिये । परन्तु ऐसी समितियों की सदस्यता उसी दशा में अनर्हता नहीं समझी जायेगी जब उन के सदस्यों को मिलने वाला भत्ता उच्चतम सीमा के अन्दर हो ।

खण्ड ४ (क) में उन समितियों की ओर निर्देश किया गया है जो खण्ड ३ (क) में निर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त है । यदि आप खण्ड ३ (क) के अन्तर्गत आते हैं तो आप स्थायी विमुक्ति के अधिकारी होंगे तथा यदि आप खण्ड ४ (क) के अन्तर्गत आते हैं तो आप को केवल सीमित काल-प्रसार के लिय ही विमुक्ति मिलेगी। खण्ड ४ (ख) में निर्दिष्ट वैधानिक संस्थाओं के सभापति तथा सदस्यों को मिलने वाली विमुक्ति अस्थायी होगी ।

खण्ड ४ (ख) के सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूंगा । इन संस्थाओं के पदों का जहां तक लाभ के पद होने का सम्बन्ध है इस में कोई संदेह नहीं है कि इन पदों पर आसीन व्यक्तियों को आर्थिक लाभ होता है। उदाहरण के लिये किसी विश्व विद्यालय के उपकुलपति को ही लीजिये । उपकुलपति की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है परन्तु उस को जो पारिश्रमिक मिलता है वह सरकारी निधि से नहीं वरन् विश्वविद्यालय की निधी से मिलता है । इस सम्बन्ध में प्रतिपादित मत यह है कि यह हो सकता है कि विश्वविद्यालय को सरकार से अनुदान दिया जाता है परन्तु वह रुपया जैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है वह विश्वविद्यालय निधि का एक अंश हो जाता है । इस लिये उसे सरकार के अधीनस्थ लाभ का पद नहीं समझना चाहिये तथा इस पद पर आरुढ़ व्यक्ति के लिये इसे अनर्हता का विषय नहीं समझना चाहिये ।

परन्तु निर्वाचन आयोग ने अभी श्रीमती हंसा मेहता के मामले पर निर्णय देते हुए कहा है कि पारिश्रमिक गैर सरकारी निधि से प्राप्त होने पर भी यदि उस पद की नियुक्ति करने तथा वापस लेने का अधिकार सरकार को प्राप्त है तो उस को सरकार के अधीनस्थ लाभ का पद ही समझा जायेगा। इस की प्रक्रिया इस प्रकार है कि यदि लोक सभा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में कहा जाये कि वह उपकुलपति होने के कारण सदस्यता का पात्र नहीं है तो उस का निर्देश राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है । राष्ट्रपति उस का निदश निर्वाचन आयोग के पास भेज देता है । फिर निर्वाचन आयोग की इच्छा पर निर्भर है जैसा उचित समझें निर्णय करें ।

यद्यपि ऐसी वैधानिक संस्थाओं के पदा-रूढ़ व्यक्तियों को अस्थायी विमुक्ति प्रदान की जा चुकी है फिर भी हम ने इस विधेयक में कुछ अपवाद भी निश्चित किये है । इस प्रकार खण्ड ३ के अनुसार उपकुलपति को हम ने स्थायी विमुक्त प्रदान किया है । उपखण्ड (ग) में हम ने संसद के उप प्रधान सचेतक का नाम दर्ज कर दिया है । राष्ट्रीय क्षात्र सैनिक दल तथा प्रादेशिक सेना के पद.....

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उप प्रधान सचेतक का पद भी वैधानिक संस्था का पद समझा जाता है ? यह तो वास्तव में किसी दल विशेष के पदों में से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण समाप्त होने दीजिये । बाद में मैं प्रश्न करने की अनुमति दूंगा ।

श्री बिस्वास : आज इस विधेयक को पास करना बहुत आवश्यक है। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि समय बहुत ही अपर्याप्त है। सब से अच्छा तो यह होता कि एक विधेयक में ऐसे सारे पदों को तालिकाबद्ध कर दिया जाता तथा यह घोषित कर दिया जाता कि इन स्थानों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति अनर्ह नहीं समझे जायेंगे। हम ने अनेक मंत्रालयों से तथा उन समितियों से जिन में संसद के सदस्य लिये गये हैं ऐसे पदों के पता लगाने का प्रयत्न किया। परन्तु हम ने देखा कि यह तालिकायें अपूर्ण हैं। कितनी ही वैधानिक संस्थायें हैं, हो सकता है कि कुछ रह गई हों।

४ म० प०

श्री वी० पी० नायर : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री बिस्वास : जहां तक वैधानिक संस्थाओं का सम्बन्ध है सरकार का विचार है कि इसका उपबन्ध उन अधिनियमों में कर दिया जाये जिन के अनुसार यह बनाई गई हैं। ऐसे एक दो अधिनियमों में इस प्रकार का उपबन्ध रक्खा गया है कि उक्त संस्था की सदस्यता संसद् की सदस्यता के लिये अनर्हता नहीं समझी जायेगी।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से बार बार कह चुका हूं कि अब बाधा न उत्पन्न करें।

श्री बिस्वास : उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में हमने इस का उल्लेख किया है। हमारा विचार यह है कि ऐसे विभिन्न अधिनियमों की जांच करें जिन के अनुसार उन वैधानिक संस्थाओं की रचना की गई है जिनमें संसद के सदस्यों को नियुक्त किया गया है। हम ऐसे अधिनियमों का संशोधन करेंगे तथा उनमें इसके लिये समुचित उपबन्ध निविष्ट कर देंगे। यदि आप यह विधेयक पास कर देंगे तो इससे आपके हाथ किसी प्रकार बंध नहीं जायेंगे। ३० अप्रैल १९५४ तक हम सभी को विमुक्ति प्रदान कर रहे हैं। उस समय तक हम इस पर विचार कर लेंगे कि स्थायी विमुक्ति प्रदान की जाये या न की जाये। दूसरे सदन में विदेशी शिष्ट मंडल की सदस्यता का प्रश्न उठाया गया था। मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि यह प्रश्न हमें सूझा ही नहीं था और न हमने इस पर विचार ही किया है। हमने विमुक्ति प्रदान करने का इस विधेयक में जो प्रबन्ध किया है उसमें यह भी आ जायेगा। जब राज्य परिषद् में इस विधेयक पर वाद विवाद हुआ तब हमें ध्यान आया कि इस विधेयक को प्रस्तावित करने के पूर्व मुझे दोनों सदनों के सदस्यों की एक संसद समिति बनाना चाहिये थी तब इस विषय पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता था। ३० अप्रैल तक मैं और सब प्रकार के पदों के सम्बन्ध में विचार करूंगा तथा यदि सम्भव हो सका तो अन्य सुझावों पर विचार करने के लिये दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति बना कर एक और अच्छा विधेयक तय्यार किया जायेगा। इस विधेयक के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शंकायें हो सकती हैं परन्तु यदि आप आज यह विधेयक पास नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल कोई राष्ट्रपति को लिख दे कि अमुक सदस्य अमुक संस्था का सदस्य है तथा संसद् की सदस्यता का पात्र नहीं है। राष्ट्रपति उसका निर्देश निर्वाचन आयोग के पास भेज देंगे तब निर्वाचन आयोग उस पर विचार करेगा। इस लिये ज़्यादा अच्छा यह होगा कि यह विधेयक जैसा भी है

[श्री बिस्वास]

बिना वाद विवाद के पास कर दिया जाये। हम इस विषय पर फिर से विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री एस० एस० मोरे : खण्ड २ के अन्तर्गत पृष्ठ २ पर व्याख्या में दिया हुआ है।

"संसद के किसी भी सदन के सदस्य के मामले में जबकि सदन की बैठक हो रही हो, उसको चालीस रुपये प्रतिदिन से अधिक मिलता है।"

मेरी समझ में यह विभेदात्मक जान पड़ता है और वास्तव में है भी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता था कि आप सदन के सम्मुख प्रस्ताव रखें, जिससे माननीय सदस्य संशय होने पर उस को स्पष्ट कर सकें।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री ने बताया था कि राष्ट्रपति ने संसद् के उप-प्रधान सचेतक को न केवल सरकारी कर्मचारी ही नियुक्त किया है वरन् संसद् का पदाधिकारी भी बना दिया है।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं उपप्रधान सचेतक का वेतन जानना चाहता हूं।

श्री एन० एम० लिंगम : माननीय मंत्री ने कहा था कि संविधि में विशेष उपबन्ध के द्वारा उस अनर्हता को हटा दिया जायेगा, जो सदन के सदस्यों के लिये उन उन संस्थाओं में कार्य करने की व्यवस्था करता है। मैं उन सदस्यों के विषय में जानना चाहता हूं जो सरकारी विज्ञप्ति द्वारा बनाई गई संस्थाओं में कार्य करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिये तो इसको यहां पर रखा गया है।

श्री बिस्वास : मैं प्रश्न को भली प्रकार नहीं समझ सका।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि संविधि के अन्तर्गत जब माननीय सदस्य किन्हीं विशेष समितियों आदि के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं, तो संविधि स्वयं अधिकतर मामलों में ऐसे खण्ड की व्यवस्था करती है कि यह विधान सभा की सदस्यता के लिये एक अनर्हता समझी जायेगी। यदि ऐसा है, तो उन विधान सभाओं तथा संसद् के सदस्यों के मामले में क्या होगा, जो सरकार की विज्ञप्ति से समितियों में नियुक्त किये जाते हैं तथा उन्हें पैसा मिलता है क्या ऐसी कुछ व्यवस्था इस विधेयक में की जाने वाली है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्षतिपूरक भत्ते के विषय में क्या माननीय मंत्री का विचार यह है कि जहां कहीं व्यय किया गया है केवल वही क्षतिपूरक भत्ता दिया जायेगा?

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : खण्ड ३ के अनुसार यदि इसमें शुल्क (fee) होगा, तो वे उपस्थिति शुल्क पाने के अधिकारी हैं। अतः यदि शुल्क होगा, तो सरकार का विचार अनर्हता को हटाने के लिये अवश्य रहेगा। मैंने दो संशोधन दिये हैं एक परिभाषा के लिये और दूसरा खण्ड ३ के संबंध में।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (गया-पश्चिम) : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जो सूची हम लोगों में परिचालित की गई है वह पूर्ण है, अथवा नहीं क्योंकि उसमें बहुत से आयोगों का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या उनके सदस्य भी इस विधेयक से मुक्त समझे जायेंगे।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : इसका उल्लेख खण्ड २ (ख) में

किया गया है किन्तु यह वाक्य कि अन्य कोई सदस्य किसी भी किये गए व्यय को ले सकता है। यह बड़ा सन्देहात्मक वाक्य है। इसके द्वारा अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं। कभी कभी किसी सदस्य को समिति में उपस्थित होने के लिये ३० रु०, ४० रु० अथवा उस से भी अधिक व्यय करना पड़ सकता है। साधारणतः भत्ते का तात्पर्य मजदूरी में हानि हो सकता है। अतः क्या सरकार का तात्पर्य यह है कि सदस्य व्यय का पूरा हिसाब दिया करे ? मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को उप-प्रधान सचेतक नियुक्त किया जाता है। जब तक वह संसद् में रहता है, वह संसद् सदस्य रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान सचेतक की नियुक्ति सरकार करती है। वह संसद् कार्य मंत्री होता है। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जब दोनों की नियुक्ति कर सकती है तो उनका नाम भी सरकारी रजिस्टर पर आना चाहिये एक इस सदन के लिये और दूसरा उस सदन के लिये।

श्री सिंहासन सिंह : उप प्रधान सचेतक को सरकारी पद दिया जा सकता है यदि इस स्थान को वेतन भोगी पद बनाना हो तो। वह सांसद् कार्य मंत्री जैसा कुछ भी बनाया जा सकता है। जबकि प्रधान सचेतक लोक-सभा का सांसद् कार्य मंत्री है तो उप-प्रधान सचेतक को राज्य-परिषद् का सांसद् कार्य उप-मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि उप प्रधान सचेतक की आवश्यकता ही क्या है ?

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उप-प्रधान सचेतक को सदन की सदस्यता के अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ता भी मिलेगा ?

श्री एस० एम० घोष (माल्दा) : खण्ड ३ में सभापति तथा सदस्य के लिये तो व्यवस्था है किन्तु समिति के सदस्य मंत्री के विषय में क्या होगा ? वह भी इसी श्रेणी में आता है अथवा नहीं ?

श्री बिस्वास : उप-प्रधान सचेतक के सम्बन्ध में सत्य यह है कि सांसद् कार्य विभाग ने २७ जनवरी, १९५३ को एक आदेश श्री अमोलक चन्द के सम्बन्ध में जारी किया था, जो राज्य परिषद् में उप-प्रधान सचेतक नियुक्त कर लिये गए थे और श्री देवकान्त बरूह के सम्बन्ध में, जो २० अगस्त १९५२ से लोक सभा के उप-प्रधान सचेतक नियुक्त हो गए थे। आदेश राष्ट्रपति के नाम था। इसी से उप-प्रधान सचेतकों को सरकारी अधिकारी कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उनको संसद् सदस्य के भत्ते के अतिरिक्त अन्य कुछ भत्ता भी मिलता है ?

श्री बिस्वास : वास्तव में सुझाव यह रखा गया था कि जब वे अधिवेशन के बाद कार्य करते हैं, तो उन्हें भत्ता मिलना चाहिये, और इसी से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अधिवेशन के अतिरिक्त समय का भी भत्ता मिलता है ?

श्री बिस्वास : उन्हें मिलना चाहिये। यह प्रश्न अधिवेशन के अतिरिक्त समय में उनके कार्य के लिये उनको कुछ पारिश्रमिक देने के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ था। उसी से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ।

यह प्रथम अवसर है जबकि सदन के सम्मुख उप-प्रधान सचेतकों को भुगतान करने का मामला लाया गया है। इस मामले पर और आगे की जांच किये बिना मैं नहीं बता सकता कि इस बीच की अवधि में उन्हें पहले ही से भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

श्री एस० एस० मोरे : कितने उप-प्रधान सचेतकों की नियुक्ति की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक की इस सदन के लिये और दूसरे की राज्य परिषद् के लिये नियुक्ति की गई है ।

श्री बिस्वास : यह पार्टी द्वारा की गई नियुक्ति है । व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं, कि यदि इन दोनों महानुभावों को कोई ऐसा पद दे दिया जाता जिससे यह ज्ञात होता कि वे सरकारी अधिकारी हैं, तो अधिक अच्छा होता ।

एक माननीय सदस्य : यह संसद् के एक अधिनियम द्वारा किया जा सकता है ।

श्री बिस्वास : मैं इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहा हूं । सम्भवतः मामले को निबटाने के लिये वह अधिक अच्छा उपाय रहता ।

तत्पश्चात्, प्रश्न यह है, श्रीमान्, कि उप-प्रधान सचेतकों के परिलाभ क्या होने चाहियें । मैं नहीं कह सकता कि कोई दरें निश्चित की गई थीं, किन्तु यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो जितनी यहां निर्धारित की गई है, उच्चतम वही रख दी जायेंगी ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय के कानूनी पहलू की छानबीन करें । क्या मंत्री जी सदन पटल पर वे सब आदेश रखेंगे जो संसद् कार्य मंत्रालय ने पारित किये हैं ।

श्री बिस्वास : मैं नहीं जानता । यह विधि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता । श्री ठाकुरदास भार्गव ने पूछा था कि क्या क्षतिपूर्ति भत्ते वास्तव में इसलिये दिये जायें.....

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेरा प्रश्न यह था कि क्या क्षतिपूर्ति भत्तों के भुगतान के लिये उतना ही धन व्यय करना आवश्यक है । उदाहरण के लिये मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को यात्रा भत्ता दिया जाता है, किन्तु वास्तव में उतनी राशि वह व्यक्ति व्यय नहीं करता है तो क्या यह भी इसी उपबन्ध के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं ? "जितना खर्च किया हो" ये शब्द प्रयोग किए गए हैं ।

श्री बिस्वास : नियम यह है कि यदि कार्यालय से सम्बद्ध निर्धारित सीमा से अधिक भत्ता हो जाता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि सदस्य वास्तव में वह भत्ता लेता है अथवा नहीं । यदि सदस्य चाहे, तो उतना भत्ता ले सकता है, चाहे उसने उतना व्यय किया हो अथवा नहीं । यात्रा भत्तों के मामलों में सदस्य निर्धारित दरों पर ही भत्ता वसूल करते हैं । चाहे उन्होंने वास्तव में व्यय किया हो अथवा नहीं इस पर कोई विचार नहीं किया जाता है ऐसे बहुत से मामले हो चुके हैं जिनमें सदस्यों ने पैसा नहीं लिया है, किन्तु फिर भी उनको अनर्ह कर दिया गया है, क्योंकि उस पद के साथ राशि देने का विधान है । जब तक भत्ता देने का विधान उस पद के साथ रहता है, चाहे सदस्य वास्तव में उसे न ले तब तक वह पद लाभ का पद बना रहेगा, यदि भत्ता सीमा से अधिक है । सामान्य नियम के विरुद्ध कोई बात करने का कोई विचार इसमें नहीं है ।

इस अवस्था पर क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह कह कर कोई सिद्धान्त नहीं बना दिया है कि यह लाभ का पद है अथवा यह लाभ का पद नहीं है । यदि आप अनुच्छेद १०२ की भाषा देखें तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि अनर्ह व्यक्ति कौन से हैं । यदि वह व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है । मान लीजिये कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाता है, यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर

निर्भर होगा कि कोई पद विशेष सरकार के अधीन लाभ का पद है अथवा नहीं । यह न्याय योग्य मामला है ।

हमारे आगे बढ़ने का आधार यह है कि किसी भी लाभ के पद का धारणकर्ता संविधान के अन्तर्गत अनर्हता रखता है । संसद् को किन्हीं पदों के धारणकर्त्ताओं को ऐसी अनर्हता से मुक्ति दिलाने का अधिकार दिया गया है । अब हम कहते हैं कि ये वे पद हैं : चाहे वे लाभ के पद हों अथवा नहीं, हम कोई सम्मति नहीं देते हैं । यदि हम ऐसा करते भी हैं, कि वे अनर्हताओं वाले पद नहीं धारण करते हैं, इससे हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते । अतः हम कहते हैं: जहां कहीं यह सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि ये पद सरकार के अन्तर्गत लाभ के पद हैं अथवा नहीं, तो हम उन मामलों को छोड़ देते हैं । उन्हें इनमें सम्मिलित करने में कोई हानि नहीं है चाहे वे लाभ के पद हों तो भी । हम उनका उल्लेख किये बिना भी उनको अनर्हता नहीं कहेंगे । किन्तु अत्यधिक सावधानी के कारण हमने इन पदों को सम्मिलित कर लिया है, वास्तव में चाहे वे लाभ के पद हों अथवा नहीं :

कुछ उठाये प्रश्नों के सम्बन्ध में कि कुछ पद लाभ के पद हैं अथवा नहीं, इसका उत्तर सरकार दे सकती है । अपने कथन को आरम्भ करते समय कुछ सूचियों को परिचालित करने का कारण मैं बता चुका हूं । वास्तव में मैंने सभी मंत्रालयों में इसका परिचालन इसलिये करवा दिया था कि जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि उन मंत्रालयों की जानकारी में ऐसे कौन-कौन से पद हैं, जिन पर संसद् सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है, जिससे उसी आधार पर हम आगे बढ़ सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री दोनों सदनों के सदस्यों से ही यह पूछ सकते थे कि वे किन-किन समितियों अथवा संस्थाओं में नियुक्त किये गये हैं

श्री बिस्वास : यह सूची व्यापक नहीं होती । बहुत सी समितियां छट सकती थीं । अतः मैं नहीं कह सकता कि चूंकि एक समिति जो सूची में नहीं है, हम यह नहीं समझते कि अनर्हता उसके सदस्य होने के कारण हुई अथवा वह दूर नहीं की गई ।

तत्पश्चात् श्री घोष ने मंत्री के सम्बन्ध में प्रश्न का निर्देशन किया था । मंत्री वास्तव में समिति का एक सदस्य होता है । हमने मंत्रियों को अलग नहीं समझा है । भत्ते के रूप में ली गई धन राशि का कोई हिसाब लेने की आवश्यकता नहीं है । वास्तव में हम तो हिसाब रखने से बचने के लिये एक उच्चतम राशि निश्चित कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री रामस्वामी का एक प्रस्ताव इसको प्रवर समिति को सौंपने के सम्बन्ध में है । क्या वह इस प्रस्ताव को रख रहे हैं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं उसे रखूंगा और इस पर विचार के लिये माननीय मंत्री को समय भी दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ पद विशेष लाभ के पद हैं अथवा नहीं इस संशय को दूर करने के लिये यह विधेयक रखा गया है । प्रश्न यह है कि यदि संसद् सदस्य किन्हीं समितियों से सम्पर्क रखते हैं तो क्या इन पदों को छूट दी जाये अथवा नहीं । यदि संसद् इन समितियों पर नियन्त्रण रखने के लिये सदस्यों को भेजने का अधिकार नहीं रखना चाहती है, तो सदस्य इस पर विचार कर सकते हैं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : माननीय विधि मंत्री ने इस विधेयक के उपबन्धों के विषय में इंग्लैण्ड के इतिहास से एक सुन्दर उदाहरण दिया है, परन्तु वह हमारे साथ

[श्री साधन गप्त]

अधिक सम्बन्धित न होने के कारण प्रभावशाली उदाहरण नहीं है । हमने ब्रिटेन के उपबन्धों का अंधाधुंध अनुसरण किया है, और यह भी विचार नहीं किया, कि वे सदा ठीक नहीं हैं । हमने गलतियां अधिक की हैं, परन्तु संविधान तथा अन्य अनेक अधिनियमों में सदस्यों की अनर्हता के उपबन्धों के लिये हम ठीक थे, क्योंकि अंधाधुन्ध अनुसरण से कई बार हम ठीक कार्य भी कर बैठते हैं । सम्राट तथा संसद् के बीच के झगड़े इंग्लैण्ड अथवा संसद् की अपने विशेषाधिकारों सम्बन्धी जाग्रति के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । संविधान में तथा अन्य अधिनियमों में अनर्ह करने वाले खण्डों के आधारभूत सिद्धान्तों के विषय में ही मैं यहां कहना चाहता हूं । इस खण्ड का उद्देश्य संसद् सदस्यों की स्वतन्त्रता बनाए रखने से है, ताकि सरकार उनके कर्तव्य पालन के रास्ते में रुकावट न बन सके । यह सिद्धान्त होना चाहिये, परन्तु जन आवश्यकता के कारण कुछ अपवाद होना चाहिए । सरकार कुछ समितियों में संसद् के सदस्यों को नियुक्त करती है, अतः इन कारणों से उन अनर्हताओं को दूर करना चाहिये । परन्तु यहां भी हमें यह भ्रम है कि शक्ति का दुरुपयोग होगा । हमें पर्याप्त रुपया सदस्य होने के नाते मिलता है और जब सत्र नहीं होता, तो यदि हम समिति का काम करते हैं, तो भी हमें रुपया मिलता है । अतः दलबन्दी की बातों को दूर रखने के लिये ऐसा किया जाना चाहिए । नियुक्तियां करते समय व्यक्तियों की उपयुक्तता तथा जन सेवा की आवश्यकता का विचार करना चाहिये, न कि तत्वावधान का वितरण करने का विचार होना चाहिए । प्रत्येक समिति, आयोग और मण्डल के संस्थापन के सम्बन्ध में इसी सिद्धान्त का पालन होना चाहिये ।

परन्तु उपकुलपतियों और उपमुख्य सचेतकों के सम्बन्ध में यह अपवाद नहीं होना चाहिये । उप कुलपति सरकार द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं, चाहे उनको वेतन कहीं से भी मिले, इसलिये उनके लिये इस सिद्धान्त का अपवाद नहीं होना चाहिये । उपकुलपतियों को भारी वेतन मिलता है, और यदि सरकार किसी विशेष व्यक्ति की सहायता प्राप्त करना चाहती होगी, तो सरकार ऐसे पदों का वितरण करने में स्वतंत्र होगी । उपकुलपति चाहे किसी भी दल का सदस्य हो, ऐसा उपबन्ध करना अनुचित होगा । यदि वह सरकार के पक्ष का सदस्य होगा तो उसे उस की नौकरी का भय दिखला कर चुप कराया जा सकता है । यदि वह विरोधी दल का सदस्य होगा, तो उसे उपकुलपति के पद छूट जाने का भय रहेगा । इस बात का संरक्षण होना चाहिये । यह सदस्यों की ईमानदारी के लिये घातक है । हम प्रत्येक उपकुलपति अथवा उपकुलपति बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति की ईमानदारी पर भरोसा नहीं कर सकते । इसके साथ पारिश्रमिक मिलेगा, जो कई व्यक्तियों की ईमानदारी को दूर कर सकता है । और अनर्हता सम्बन्धी खण्ड को बनाते समय संविधान में इस विशेष तथ्य का विचार रखा गया है ।

उपमुख्यसचेतकों के विषय में यह उपबन्ध और अधिक भयानक है । सचेतक केवल दल के कार्यकर्ता हैं । ब्रिटिश संसद् में राजकीय दल के मुख्य सचेतक को संसदीय उपसचिव होने के नाते पारिश्रमिक मिलता है, सचेतक होने के नाते नहीं । हमारे उपमुख्य सचेतक को पारिश्रमिक क्यों मिलना चाहिये, तथा उसे सरकारी प्राधिकारी क्यों मानना चाहिये । यह युक्ति कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है, ठीक नहीं है । राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श से किसी व्यक्ति को

नियुक्त करते हैं, अथवा ऐसा कहा जा सकता है कि राजकीय दल के मंत्री ही राष्ट्रपति के नाम से किसी को नियुक्त करते हैं। यदि उपमुख्य सचेतक दल का कार्यकर्ता है, तो उसे दल अपने पास से पारिश्रमिक दे सकता है। परन्तु दल कार्य के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति को जनता से एकत्रित की गई निधि से वेतन नहीं मिलना चाहिये, तथा इसी कारण उसे अनर्हता से छूट क्यों मिलनी चाहिये। न माननीय मंत्री के भाषण में और न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी ऐसा कोई वर्णन किया गया, केवल यह बात कही गई है कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। यदि इसका केवल यही उत्तर है, तो मैं ऐसा सुझाव रखूंगा कि राष्ट्रपति को उसे सेवा से निकाल देना चाहिये तथा कांग्रेस दल उसे फिर से उपमुख्य सचेतक के रूप में चुने। इस लिये उपकुलपतियों और उपमुख्य सचेतकों के मामले में, हम इस उपबन्ध का विरोध करते हैं और यह चाहते हैं कि इसे निकाल दिया जाय।

श्री एस० एस० मोरे : अमरीका अथवा इंगलैंड के अतीत इतिहास को देखने से भी पता चलता है कि राजकीय दल अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिये अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं जब कोई दल सत्तारूढ़ होता है, तो सब महत्वपूर्ण पद उसके अपने व्यक्तियों के हाथ में आ जाते हैं, जो अपने दल के नेताओं का पूर्ण अनुसरण करते हैं। हम अपनी संसदीय लोकतंत्र की प्रारम्भिक अवस्था में हैं। हमारे संविधान में हमने इंगलैंड का अनुसरण किया है, और अपने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के बारे में अमरीका का अनुसरण करने लगे हैं। यह दल पद्धति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें यह देखना चाहिये कि क्या देश के भविष्य के लिये हम योग्य प्रथाओं और उचित दल पद्धति को स्थापित कर रहे हैं अथवा नहीं। धारा १०२ में विधान सभा के सदस्यों ने निर्णय किया था कि कोई लाभ वाला पद धारण करने वाले व्यक्ति को निर्वाचन में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके पश्चात लोकप्रतिनिधान अधिनियम पारित हुआ। उस विशेष श्रेणी के अधीन आने वाले कुछ व्यक्तियों को छूट देने की शक्ति संसद को दी गई थी। इसका यह आशय नहीं कि संसद उस सूची को निरन्तर बढ़ाती रहे। हमें संविधान की भावना को देखना चाहिये। ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में हम में से बहुत से लोग खरीदे जा सकते थे, अर्थात जब हमें कोई पद मिल जाता है, तो हम अपने निर्वाचकों के हितों का भी बलिदान कर देते हैं, इसलिये कहा गया था कि कोई लाभ वाला पद धारण करने वाला निर्वाचन में नहीं खड़ा हो सकता। मेरा निवेदन है कि यह विशेष प्रस्ताव संविधान की भावना को हानि पहुंचाता है। धारा १०२ को बनाने के पीछे यही मूल सिद्धान्त था।

कई उपमुख्य सचेतक संभवतया संसद से पारिश्रमिक प्राप्त करते हुये, सत्र के न होने की अवस्था में उन निर्वाचन-क्षेत्रों में चक्कर लगाते हैं, जहां निर्वाचन होने वाले होते हैं। क्या वे जनहित के लिये घूमते हैं? नहीं। वे कांग्रेस दल के लिये घूमते हैं, जो उचितानुचित ढंग से राज्यों में अपनी शक्ति बनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार कांग्रेस जनता के धन का उपयोग कांग्रेस दल को शक्तिशाली बनाने के लिये करती है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

यह बहुत तुच्छ उद्देश्य है, जिसके लिये जनता की निधि का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में कांग्रेस को इतना बड़ा महात्मा

[श्री एस० एस० मोरे]

गांधी जी ने बनाया और उनका सिद्धान्त था कि हमें अपना लोक जीवन तथा राजनीतिक जीवन शुद्धता, पवित्रता और नैतिकता के सिद्धान्तों पर बनाना चाहिये । परन्तु कांग्रेस मानव कमजोरी को दल को शक्तिशाली बनाने के लिये उपयोग में ला रही है, जब कि लाखों लोग अकाल तथा भूख और बेकारी से पीड़ित हो रहे हैं । मुझे कांग्रेस दल के लोगों से ऐसी आशा नहीं कि वे माननीय मंत्री को योग्य परामर्श देंगे । हमारे लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर रहेगा कि हम प्रारम्भिक अवस्था में इस लोकतंत्र व्यवस्था को किस ढंग से चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि उप-मुख्य सचेतक सम्बन्धी यह खण्ड निकाल देना चाहिये ।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के विषय में मैं अपने पूर्व वक्ता मित्र से सहमत हूं । माननीय मंत्री ने श्रीमती हंसा मेहता के मामले का निर्देश किया, जिसमें न्यायाधिकरण ने फ़ैसला दे दिया था । अब माननीय मंत्री जी उसी दिये गये सिद्धान्त को नहीं मानते । उप-कुलपति पूरे समय के काम पर लग हुये होते हैं, और उनको संसद के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवकाश देना उचित नहीं है । यदि कहा जाय कि हमारे पास योग्य व्यक्तियों की कमी है, और उपलब्ध योग्य व्यक्तियों को कई कई काम दिये जाते हैं, तो मेरा यह मत है कि उन की शक्ति कई स्थानों म बंट जाने के कारण कहीं भी प्रभावशाली कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकती । हमें चाहिये कि उनको एक विशेष कार्य का भार सौंप दिया जाय, उसकी पूर्ति के लिये उन को सब प्रकार की सुविधायें दी जायें, तभी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का स्तर निर्माण हो सकता है । संसद के कई सदस्य अनेकों समितियों और सभाओं के सदस्य होते हैं, उन्हें इसकी आज्ञा नहीं होनी चाहिये । ऐसे पद-लोलुप्त व्यक्ति मंत्रियों की झूठी प्रसंशा और खुशामद करते रहते हैं कि उन्हें कोई पद मिल जाए । उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए । संविधान में ऐसा विचार किया गया है कि पद लोलुप व्यक्तियों के साथ सख्ती की जानी चाहिये, परन्तु सत्तारूढ़ दल संविधान की भावना का अतिक्रमण कर रहा है । कांग्रेस की भलाई के लिये ही मैं कहूंगा कि १९३७ में जब यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या कांग्रस के व्यक्तियों को पद स्वीकार करने चाहियें अथवा नहीं तो कांग्रेस प्रधान श्री नेहरू जी ने कहा था कि यदि हम पद स्वीकार करेंगे तो पद लोलप व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जायेंगे । परन्तु कांग्रेस ने पद स्वीकार कर लिये और परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस में ही लाठियां और गोलियां खाने वाले लोगों की संख्या कम रह गई है, और पद लोलुप व्यक्ति अधिक संख्या में कांग्रेस पर अधिकार कर बैठे हैं । यह देश हित के लिये घातक है ।

इसलिये मैं इस विशेष विधान का विरोध करता हूं, क्योंकि इसके द्वारा पक्षपात और भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा ।

सरदार हुकमसिंह (कपूरथला-भटिंडा): मैं भी दी जाने वाली छूट का विरोध करता हूं, विशेषकर उपमुख्य सचेतक के पद का । हम सब ऐसा सोचते थे कि सचेतक दल प्रतिनिधि होने के नाते काम करते हैं, परन्तु ऐसा तो आज ही बतलाया गया कि राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति संसद के प्राधिकारी के नाते मंत्री के परामर्श से की है । हम ने प्रश्न किया

कि क्या उनको सत्र के न होने के समय वेतन मिलता है, परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया । इन प्राधिकारियों को छूट देने के मामले में हमारा मत लेने से पूर्व उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये था ।

ऐसा कहा जाता है कि वह संसद के प्राधिकारी के रूप में काम करता है और उसे सत्र के न होने की अवधि में भी वेतन मिलता है, अथवा वेतन देने का प्रस्ताव किया गया है, सिजसे कि वे उपमुख्य सचेतक बन सकें। और किसी प्रकार की अनर्हता से मुक्त हो सकें। मैं पेप्सू में भेजे गये उपमुख्य सचेतक का उदाहरण देता हूं जिसने बहुत सा समय वहां लगा दिया है, और उसे उस राज्य सम्बन्धी कांग्रेस कार्यों का विशेषज्ञ समझा जाता है, और अब वह निर्वाचन में भी कांग्रेस को पुनः शक्ति सम्पन्न बनाने का प्रयत्न करेगा । क्या यह उचित है कि उसे इस प्रकार का कार्य करते हुये सरकारी कोष से पारिश्रमिक दिया जाय ? क्या वह लाभ का पद धारण नहीं करता ? तो उसे छूट क्यों दी जानी चाहिये । यह संविधान की भावना के विरुद्ध है और उन सब सिद्धान्तों का अतिक्रमण करता है, जिनके आधार पर संविधान बनाया गया था ।

संसद के सदस्यों की स्वतंत्रता और ईमानदारी को बनाये रखने के लिये संविधान में ये उपबन्ध और आधारभूत सिद्धान्त अपनाये गये थे । कुछ ऐसे पद हो सकते हैं, जिनके लिये कुछ सदस्यों की सेवायें अनिवार्य हो सकती हैं, और वह भी केवल लोक सेवाओं के निमित्त । परन्तु भय यह है कि यह सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । और पक्षपात किया जा रहा है । पक्षपात की दृष्टि से ही यह अधिनियम बनाया जा रहा है ।

इसलिये इस विशेष के सम्बन्ध में मैं भी इसका विरोध करता हूं और इस पद को पदों की सूची में सम्मिलित करना कदापि उचित नहीं है, जिन्हें अनर्हता से मुक्ति दी जाने वाली है। मेरा यही निवेदन है।

श्री एन० एम० लिंगम : इस विधेयक से सदन का प्रत्येक सदस्य प्रभावित होता है अतः इसकी सूक्ष्म परीक्षा करनी आवश्यक है ।

श्री मोरे ने अपने भाषण में उप-प्रधान सचेतक का उपबन्ध इस विधेयक में किये जाने के विरुद्ध विष वमन किया है । मेरा निवेदन है कि प्रजातंत्र व्यवस्था में प्रधान सचेतक और उप-प्रधान सचेतक के पद एक समान होते हैं । अतः उक्त सदस्य द्वारा उप-प्रधान सचेतक के प्रति इस भावना को प्रकट करना उचित नहीं था । यदि यह सदन यह स्वीकार करता है कि उप-प्रधान सचेतक का पद आवश्यक ह तो उसके लिए कोई उपबन्ध किया जाना आवश्यक है । उप-प्रधान सचेतक का कार्य प्रवर समितियों से सम्बन्ध रखता है । उसका कार्य जनता के समक्ष नहीं आता ह, वह परोक्ष रूप से कार्य करता ह । प्रजातन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए ऐसे कर्मचारियों का नियुक्त किया जाना आवश्यक है ।

माननीय मंत्री ने बताया है कि इस विधेयक के मुख्य उपबन्ध हमारे संविधान के अनुच्छेद १०२ (१) पर आधारित हैं । मेरे विचार से सदन को यह निश्चित करना है कि क्या संसद् किन्हीं पदाधिकारियों को अनर्हताओं से विमुक्त देगी अथवा नहीं और क्या इस विमुक्ति का क्षेत्र विस्तृत होगा या सीमित । विमुक्ति का क्षेत्र विस्तृत करने से संविधान की भावना का अतिक्रमण होगा क्योंकि उसके अनुसार तो संसद् सदस्यों को सरकारी प्रभाव अथवा कथित प्रभाव से मुक्त रहना आवश्यक ह । अतः संविधान की

[श्री एन० एम० लिंगम]

भावना का आदर करने के हेतु यह आवश्यक है कि हम सदस्यों द्वारा किन्हीं पदों के स्वीकार किये जाने सम्बन्धी जितनी कम विमुक्तियां दें उतना ही उत्तम है।

खंड ३ इस कारण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वह अनर्हता से स्थायी रूप से विमुक्ति प्राप्त पदों का वर्गीकरण नहीं करता है। परन्तु इस प्रकार के पदों की सूची तैयार करना भी तो कठिन है। खंड ३ (क) स्पष्टतः परामर्शक प्रकार का है, और उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु खंड (३) (ख) के विषय में मैं माननीय मंत्री से सहमत नहीं हूं। खंड (३) (ख) में उप-कुलपतियों को विमुक्ति दी गई है। यदि यह निश्चित किया जाये कि संविधान के उपबन्ध अलंघ्य हैं तो हमें यह देखना होगा कि विमुक्तियां देने के विषय में संसद् अपने अधिकारों का समुचित रीति से पालन करे। संसद् को अपने सदस्यों को संसदीय कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति देने का अधिकार है, परन्तु यदि हम उप-कुलपतियों को अनर्हता सम्बन्धी खंड से बचायेंगे तो हम संविधान की भावना के प्रतिकूल कार्य करेंगे। उप-कुलपतियों को मोटी तनख्वाहें मिलती हैं और साथ ही उप-कुलपति के कार्यों को करते समय उनको संसद् के सदस्य के नाते कार्य करने का अवसर मिलने की सम्भावना नहीं है। माननीय मंत्री ने यह कहा था कि उनको सरकार में कोई लाभप्रद पद धारण करने वाला समझना ठीक नहीं था। मेरे विचार से यह उक्त अधिनियम के उपबन्धों का बहुत ही संकीर्ण निर्वचन है।

श्री बिस्वास : मैंने यह कहा था कि क्योंकि कोई व्यक्ति उस धन-निधि से वेतन प्राप्त कर रहा था जिसमें सरकार ने भी अंशदान दिया हो, तो इसका यह अर्थ नहीं था कि वह किसी सरकारी पद पर कार्य कर रहा था। निस्संदेह यह लाभप्रद पद है, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह पद सरकार के अन्तर्गत लाभप्रद पद है। वह वेतन भोगी है इससे इंकार नहीं है और यह बात कि उसे एक प्रकार से सरकारी निधि से वेतन दिया जाता है कोई महत्व नहीं रखती है। परन्तु वह एक सरकारी पदाधिकारी है क्योंकि उसकी नियुक्ति अथवा सेवामुक्त करने का अधिकार सरकार को प्राप्त है। इसीलिये हमने खंड ४ (ख) में इस पद को सरकार के अन्तर्गत अनुविहित पद निश्चित किया है।

श्री एन० एम० लिंगम : माननीय मंत्री के स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, परन्तु उप-कुलपतियों को विमुक्ति देने के उपबन्ध से मैं अभी तक सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं। यह मैं स्वीकार करता हूं कि एक क्षेत्र विशेष में वह श्रेष्ठ व्यक्ति हैं; परन्तु अन्य क्षेत्रों में भी तो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। संसद् का चुनाव कृत्य-सम्बन्धी प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होता है। यदि हम इस श्रेणी के व्यक्तियों को विमुक्ति देंगे तो मुझे आशंका है कि इस प्रस्थापना की मूल भावना ही नष्ट हो जायेगी। संसद् सदस्यों को अनुविहित निकायों में पद धारण करने से विमुक्ति दिये जाने की बात तो समझ में आती है परन्तु उप-कुलपतियों को विमुक्ति देना अवांछनीय है।

खंड ४ में भी कुछ विमुक्तियां दी गई हैं। परामर्शदात्री निकायों तथा अनुविहित निकायों के मध्य बहुत सूक्ष्म अन्तर है और यह बताना, कि किसी पद का परामर्शक आकार कहां समाप्त होकर कार्यपालिका आकार प्रारम्भ हो जाता है, बहुत कठिन है।

इसी प्रकार कुछ अन्य उपबन्ध भी हैं जो संदिग्ध हैं। इस में यह स्पष्ट नहीं है कि

सरकारी अधिसूचना के अन्तर्गत स्थापित किये गये निकायों में कार्य करने वाले सदस्यों को विमुक्ति प्राप्त होगी अथवा नहीं । मेरा मुख्य तर्क इन निकायों को स्थापित करने वाली अनुविधियों के किसी अनुविहित पद से संलग्न अनर्हताओं के निवारण के सम्बन्ध में है । उदाहरण के लिए, चाय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया केन्द्रीय चाय पर्षद है । इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस अनुविहित निकाय में संसद का प्रतिनिधित्व अनर्हता हैं अथवा नहीं हैं । संसद् इस पर्षद में दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करती है । इन आक्षेपों का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : हमारे पास समय थोड़ा है अतः माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसे आज समाप्त कर दिया जाये । मैं नहीं चाहता कि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये । साथ ही माननीय सदस्यों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि माननीय मंत्री दोनों सदनों के सदस्यों से परामर्श करके बाद को एक अन्य व्यापक विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की गई अनेकों समितियां हैं जिनमें माननीय सदस्य कार्य कर रहे हैं, यह विधेयक उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है । अतः इस पर हो रही चर्चा को स्थगित कर देने से कोई हानि नहीं होगी ।

सभापति महोदय : यह विधेयक संसद तथा भाग 'ग' में के राज्यों की विधान सभाओं के सम्बन्ध में है ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की गई समितियों के सदस्य भी अनर्हता के भागी हैं ।

श्री बिस्वास : यह बात शब्द 'सरकार' में आ जाती है । सामान्य खंड अधिनियम (जनरल क्लाज़ेज ऐक्ट) के अनुसार शब्द 'सरकार' से आशय केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों से है । अतः यह बात इसमें आ जाती है ।

श्री एन० एम० लिंगम : मेरी इच्छा थी कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती परन्तु क्योंकि सरकार इसे शीघ्रता से समाप्त करना चाहती है अतः मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़) : सभापति महोदय, हमारे विधि मंत्री ने जो बिल सदन के सम्मुख उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । उन्होंने जो प्रीवेन्शन आफ़ डिसक्वाली फिकेशन (पार्लियामेंट एण्ड पार्ट सी स्टेट्स लैजिस्लेचर) बिल पेश किया है उसमें उन्होंने सी पार्ट स्टेटों को भी शामिल किया है । इस सम्बन्ध में मैं उन से यह प्रार्थना करता हूं कि सी पार्ट स्टेट के नाते मंत्री महोदय ने विन्ध्य प्रदेश का ख्याल नहीं रखा है । विन्ध्य प्रदेश पहले बी पार्ट स्टेट था, फिर बाद में किसी कारणवश सी पार्ट में आ गया था । विन्ध्य प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है कि जो कई राज्यों से मिला कर बनाया गया है । दूसरे राज्य एक ही तरह के हैं, जैसे दिल्ली हैं । पहले भी वह अकेला दिल्ली प्रान्त था और आज भी अकेला दिल्ली ही प्रान्त है । अजमेर भी पहले अकेला अजमेर प्रान्त था और आज भी अकेला अजमेर राज्य हैं । भोपाल आदि इसी प्रकार से अन्य सी पार्ट में जो रियासतें हैं उनकी स्थिति साफ़ है । लेकिन विन्ध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश कई रियासतों के मिलने से बने हैं । वहां की हालत भिन्न भिन्न प्रकार की है । दो दो गांव और चार चार गांव की अधिकारी रियासतें थीं, इन सब राज्यों को विन्ध्य प्रदेश में मिलाया

[श्री आर० एस० तिवारी]

गया है। वहां प्रत्येक राज्य का रैवेन्यू क़ानून अलग अलग था, ढंग अलग अलग था। आज भी वहां रैवेन्यू क़ानून कई तरह के ढंग के चलते हैं और उसी भांति फैसले किये जाते हैं।

इसलिये इस बिल में जो आप ने वाइस चान्सलर, मैम्बर सलाहकार कमेटी, आदि जितने प्रकार के आदमी अनर्हता के बचाव के लिए रखे हैं वे बहुत से विन्ध्य प्रदेश में आप को नहीं मिलेंगे। आप को मालूम है कि सरकार द्वारा बनाई गई सलाहकार कमेटी में शामिल होने पर पिछली बार आप के ११ आदमी डिसक्वालिफिकेशन में आ गये थे और आज भी इसलिये कि जमींदारों ने उनका साथ दिया और चुनाव में पोलिंग एजेन्ट रहे इसलिये उनको पदस्थ कर दिया गया है यह फ़ैसला उन जजों जो ट्रिब्यूनल विन्ध्य प्रदेश में नियुक्त हुए थे। इसलिये मैंने अपना एक संशोधन भी आपकी सेवा में दिया है और मेरी प्रार्थना है कि आप उसे स्वीकार कर लें तो विन्ध्य प्रदेश की अधिकतर समस्या हल हो जाती है। जो पृष्ठ २ धारा ३ की पंक्ति २९ के अन्त में जोड़ना चाहता हूं वह संशोधन यह है :

"ज़मींदार मुखिया या पटेल जैसे ग्राम अधिकारियों के पद जो लगान वसूल करने अथवा उस राज्य में लागू किसी क़ानून के अन्तर्गत कोई अन्य कार्य करने के लिए कुछ प्रतिशत पूरक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हों।" मैं यह चाहता हूं कि आप मेरे इस संशोधन को इस बिल में शामिल कर लें। विन्ध्य प्रदेश में जमींदार ऐसे हैं कि जो दो या तीन रुपया सैंकड़ा अलाउंस पाते हैं और उस दो रुपये से साल में उन को मुश्किल से १५ या २० रुपये की आमदनी या मुनाफ़ा होता है। वह ज़मींदार सरकारी आदमी माने गये हैं। इस से वहां की परेशानी हर तरह से बढ़ती जाती है और समस्या हल नहीं होती। ३४, ३५ रियासतों के मिलने से वहां का क़ानून भी ३४,३५ प्रकार का है और उन सब रियासतों के मिलने से विन्ध्य प्रदेश बना है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस को आप अवश्य इस में जोड़ लें। अगर आज आप नहीं इस को मिलाते हैं तो कभी न कभी जोड़ना या अन्य भांति का बिल फिर लाना पड़ेगा। यही मेरी प्रार्थना है।

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधनों की सूचना दी है मैं उन को पहले बोलने का अवसर दूंगा। श्री वेंकटारमन।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : इस विधेयक के सम्बन्ध में जो एकमात्र बात विचार-योग्य है वह है प्रजातंत्र की दो विभिन्न सिद्धान्त-वादिताओं का समन्वय। एक सिद्धान्त यह है कि संसद् तथा विधान सभाओं के सदस्यों को सरकारी प्रभाव से मुक्त रखा जाये। दूसरा सिद्धान्त है कि संसद् तथा विधान सभाओं के सदस्यों को कार्यपालिका के प्रशासन में सहयोगी बनाया जाये। हमने इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की नक़ल की है पर हमने यह बात ध्यान में नहीं रखी है कि वहां निजी अर्थ व्यवस्था है और हमारे यहां एक प्रकार का लोक हितकारी राज्य है। और इसके लिए सरकारी संस्थाओं में जनता और जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग होना चाहिये। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भविष्य निधि अधिनियम समितियां लोक हितकारी संस्थायें हैं। अतः यह आवश्यक है कि इनमें जनता का प्रतिनिधित्व भी हो और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है।

उपप्रधान सचेतक के विषय में भी कुछ आलोचना की गई है। ब्रिटिश संसद में उसका पद सभा अवर सचिव के समान ही होता है। गत छः महीनों में उस के द्वारा जो कार्य किया

गया है उसके महत्व से माननीय सदस्य अनभिज्ञ नहीं हैं। उसने किसी दल विशेष के लिए दलबन्दी के आधार पर कोई कार्य नहीं किया है। उसने विभिन्न दलों के नेताओं से मिल कर सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाने में सहायता दी है। यह तो स्वयं सदन का ही कार्य है। अतः यह कहना कि उसे दिया गया पारिश्रमिक किसी दल विशेष का कार्य करने के लिए दिया गया है, ठीक नहीं है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राघवाचारी (पेनकोंडा) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा प्रथम आक्षेप सरकार द्वारा इस विधेयक को पारित करा लेने में अतिशय जल्दी किये जाने पर है। माननीय मंत्री ने कहा कि कोई ६० या ७० व्यक्ति अनर्ह हो जायेंगे। विभिन्न समितियों पर कार्य कर रहे इन सदस्यों की अनर्हता की बात महीनों पहले ही ज्ञात हो गई होगी और आज ही इस विधेयक को समाप्त कर देने के लिए जल्दी की जा रही है। इसके द्वारा आप इन व्यक्तियों की विद्यमानता को इस संसद् के प्रारम्भ होने के समय से न्यायसंगत ठहराना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि माननीय विधि मंत्री एक दूसरा अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखते हैं क्योंकि स्वयं उन्हें यह निश्चय नहीं है कि क्या सभी प्रकार की श्रेणियां इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह जल्दी में प्रस्तुत किया गया है और इस पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। वैसे तो आप अपने बहुमत से प्रारम्भ से ही न्यायसंगत ठहरा सकते हैं फिर संसद् से इसे इतनी शीघ्रता से पारित करा लेने को क्यों आतुर हैं।

इसके बाद प्रश्न उठता है सिद्धान्त का क्या संसद् सदस्यों को इन सभी अनर्हताओं से विमुक्त कर दिया जाये। निश्चय ही संविधान में यह उपबन्ध है कि संसद् को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो अनर्हता के हेतु किन्हीं पदों को लाभप्रद पदों की कोटि से प्रथक कर सकता है। दी गई सूची से ज्ञात होता है कि कोई ७० सदस्य किसी न किसी समिति में कार्य कर रहे हैं। जनता का यह विचार है कि यह सदस्य स्वयं ही किसी न किसी समिति में घुस बैठने का प्रयत्न करते हैं। चुनाव निस्संदेह होता है परन्तु अत्यधिक बहुमत होने के कारण चुनाव खेलमात्र बन कर रह जाता है। यद्यपि संविधान में इसका उपबन्ध है तथापि इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किये जाने के बाद ही कोई निश्चय किया जाना चाहिये। साथ ही यह अधिनियम अस्थायी प्रकार का न होकर स्थायी प्रकार का होना चाहिये।

जहां तक विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है उस में शब्द 'Recoup' ('परिपूर्ति') आया है। इसका अर्थ यह है कि पहले किसी को कुछ व्यय करना होगा और उसके पश्चात् वह 'परिपूर्ति' का अधिकारी होगा। इस व्यवस्था से बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना है। माननीय सदस्यों को कुछ न कुछ पारिश्रमिक मिलता है और खंड ३ के उपखंड (क) परादिक से इसका निराकरण हो जाता है। इस असंगतता को यहां स्पष्ट नहीं किया गया है।

जहां तक खंड ४ का सम्बन्ध है उसमें कोई समय सीमा निश्चित की गई है। माननीय मंत्री ने बताया था कि उपकुलपति खंड ४ (ख) के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि उसे उसकी नियुक्ति अवधि से पहले भी अपदस्थ किया जा सकता है। फिर उसे खंड ३ (ख) के अन्तर्गत भी लाने का प्रयास करने का कोई कारण नहीं है। खंड ४ (ख) के अनुसार वह ३० अप्रैल तक अनर्ह नहीं होंगे परन्तु खंड ३ (ख) के अन्तर्गत आने पर उनको स्थायी रूप से विमुक्ति प्राप्त हो जायेगी। इस प्रकार

[श्री राघवाचारी]

यह दोनों खंड एक दूसरे का खंडन करते हैं। अत: मेरा निवेदन है कि यह विधान शीघ्रता में प्रस्तुत किया गया है और पूर्णतया विचारित नहीं है। अत: मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री शास्त्री।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि) : आदरणीय सभापति जी सदन के समक्ष जो विधेयक रखा गया है वह वस्तुत: कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक की पृष्ठ-भूमि पर जब हम विचार करते हैं तो हमें सदन के सम्मुख घटित एक घटना याद आती है और वह घटना है विन्ध्य प्रदेश के १२ सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) की। सम्भवत: उस की छाया ले कर उसी की रूप रेखा पर इस विधेयक को तैयार किया गया है और सदन के समक्ष लाया गया है। पहली गड़बड़ी तो उस मंत्रिमंडल की थी कि जिसने एक ऐसा हास्यास्पद काम किया जिस से एक दो नहीं बारह बारह सदस्य डिस्क्वालि-फ़ाई (अनर्ह) हुए। फिर दूसरी गलती यहां के बहुमत ने इस आधार पर की कि ऐसे डिस्क्वालिफाइड सदस्यों को जो एक बार मृत से हो चके थे पुन: जीवित किया और यह समस्या महज़ इसलिये पैदा हुई कि यह तय नहीं हो पाया अब तक कि आखिर 'आफिस आफ प्राफिट' है क्या। 'आफिस आफ प्राफिट' 'या लाभ के पद' के इसी चित्र को निश्चित करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह है कि स्टैटुटरी बाड़ी (अनुविहित निकाय) में कारपोरेशन, बोर्ड, कम्पनी, सोसायटी और ऐसी चीजें ली गई हैं। अगर ऐसे कारपोरेशन, बोर्ड या कम्पनी के सदस्य आज तक इस सदन में या किसी पार्ट सी स्टेट की विधान सभा में थे तो क्या यह बताया जा सकता है कि वह उचित तरीक़े से थे या नहीं ? क्योंकि इस विधेयक के आधार पर पूर्ण आशंका है कि वे आफ़िस आफ़ प्राफिट होल्ड करते थे और अगर वे ऐसा करते थे तो इसके माने हैं कि आज तक वे सदन में अवैधा-निकता से रहे और इस अवैधानिकता के बावजूद इस विधेयक को इस सदन के समक्ष उपस्थित करने की क्षमता ली गई है। खैर, कुछ भी हो मैं उस पर नहीं जाता, किन्तु इतना कहूंगा कि यह बड़ा जटिल प्रश्न है। पहले तो विधान में यह साफ नहीं है कि वस्तुत: लाभ के पद हैं कौन से। उन में सिर्फ़ इतना है कि जो लाभ के पद स्वीकार करे वह डिस्क्वालिफाइड माना जाय।

अब लाभ के पद निश्चित करने के लिये विधि मंत्री ने इस विधेयक को सदन के सामने उपस्थित किया है। हम जब गम्भीरता से सोचते हैं तो लाभ के पद वस्तुत: बहुत अंध-कार में हैं और इस विधेयक से भी वह साफ़ नहीं होते। आज तक कितने ही पद ऐसे छिपे हुए हैं जिन को स्पष्ट करना होगा कि यह लाभ के पद हैं या नहीं। जैसा कि अभी हमारे एक सदस्य ने बताया कि सात आठ ऐसेम्बली के मेम्बर्स ऐसे हैं जिनके एलेक्शन को अवैध क़रार दिया गया है इस बिना पर कि वह एजेन्ट मुखिया वगैरह थे। ट्रिब्यूनल ने इस बात को स्वीकार किया है कि मुखिया भी आफ़िस आफ़ प्राफिट होल्ड करते हैं। मैं नहीं समझता कि मुखिया कोई भी आफ़िस आफ़ प्राफिट होल्ड करते हैं लेकिन चूंकि ट्रिब्यूनल ने जजमेन्ट दिया है कि मुखिया वगैरह आफ़िस आफ़ प्राफ़िट होल्ड करते हैं उनकी एलेक्शन के मामले में अयोग्यता है और इसलिये उन के एलेक्शन सेट ऐसाइड हों। कहने का आशय यह है कि यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसी तरह चुनाव हुए दो वर्ष हो गये। दो वर्ष के पहले जब रिटर्निंग आफिसर के सामने नामि-नेशन पेपर्स उपस्थित किये गये तो स्क्रुटनी के

दिन यह कठिनाई एक बड़े विचित्र अंधकार में थी और हम इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे । वकील अपनी अपनी तरफ से आर्गूमेन्ट्स कर रहे थे लेकिन रिटर्निंग आफिसर के मस्तिष्क में यह चीज़ नहीं आती थी कि आखिर आफ़िस आफ प्राफ़िट है क्या और हम किस आधार पर अपना निर्णय दें । ट्रिब्यूनल द्वारा अब तक कितने ही एलेक्शन सेट ऐसाइड हुए इसी आधार पर कि लोग आफ़िस आफ़ प्राफ़िट होल्ड करते थे । कहीं पर ऐसे निर्णयों में गलती हुई और कहीं पर सही निर्णय हुए । इस महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में यह चीज़ें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक कि पूर्ण विवरण के साथ इस चीज़ को विधेयक के रूप में नहीं लाया जायगा कि कितने क़िस्म के पद लाभ के पद माने जा सकते हैं । मैं तो कहूंगा कि अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग प्रश्न हैं । मुखिया लोगों को कौन कह सकता है कि वह लोग आफ़िस आफ़ प्राफ़िट होल्ड करते हैं ? लेकिन पार्ट सी स्टेट्स में ऐसे भी लोग हैं जिन के एलेक्शन सेट ऐसाइड हुए हैं । इसी तरह और प्रान्तों में भी ऐसे लोग हैं जो कि लाभ के पद स्वीकार करते हैं । इसी तरह प्रान्तों में असेसर होते हैं । बहुत से नामिनेशन पेपर इसी ग्राउन्ड पर रिजेक्ट हुए हैं कि असेसरों को एक वर्ष के अन्दर अधिक से अधिक दो मर्तबा सेशन जज के यह जाना पड़ता है और उन को एक रुपया इस के लिए मिलता है । इस पद को भी लाभ का पद माना गया है । तो अब तक लाभ के पदों का निर्णय नहीं हो पाया है । यह इतना गम्भीर प्रश्न है और इसमें न जाने केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को अपव्यय के साथ कितनी कठिनाई हुई है क्योंकि आज तक यह तय नहीं हो पाया कि आफ़िस आफ़ प्राफ़िट क्या हैं । इस तरह से कितने ही नामिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो चुके हैं और कितने ही एलेक्शन सेट ऐसाइड हुए । फलतः वहां पर फिर एलेक्शन हो फिर लोग आयें और केन्द्रीय सरकार का भी रुपया खर्च हो और प्रान्तीय सरकार का भी रुपया खर्च हो ।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को इतना पूर्ण बनाया जाय कि किसी प्रकार के संदेह का स्थान न रहे कि आफ़िस आफ़ प्राफ़िट क्या है और क्या नहीं है । अगर इस शंका और उलझन से रहित विधेयक बनाने का कोई रास्ता न हो तो मैं तो यही कहूंगा कि बेहतर होता कि एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती और उसमें ऐसे चार छः पार्लियामेन्ट के सदस्य होते जो न्याय और विधान को अच्छी तरह समझते हों और कुछ प्रान्तों के लोगों से भी सुझाव लिये जाते और उन को सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख उपस्थित किया जाता । इस ढंग से एक सुन्दर विधेयक तैयार किया जाता कि हम निश्शंक हो जाते और आफ़िस आफ़ प्राफ़िट का किसी को खतरा नहीं रहता । मुझ से पहले मेरे अतिरिक्त और भी वक्ताओं ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ।

चीफ व्हिप के बारे में कहा गया कि चीफ हिप्प वस्तुतः एक पार्टी का आर्गेनाइज़र होता है । वह पार्टियों का नियंत्रण करता है जिस में कि उसकी पार्टी का मेम्बर अपनी पार्टी के ही साथ रहे किसी दूसरी पार्टी को वोट न दे विरोधी पार्टी को वोट न दे । इस तरह से चीफ़ व्हिप महज़ एक पार्टी का आर्गेनाइज़र है और वह पार्टी को नियंत्रण में रखता है । पार्टी को नियंत्रण में रखने के लिये सरकार से उसको रुपया दिया जाय यह, जैसा कि और भी माननीय सदस्यों ने कहा, बिल्कुल गलत तरीक़ा होगा । अगर चीफ़ व्हिप को किसी तरह सरकार की ओर से रुपया देने की बात तय हुई तो यह उचित नहीं होगा ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री बिस्वास : श्रीमान्, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। जहां तक विधेयक के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। मेरे माननीय मित्र श्री साधन चन्द्र गुप्त ने यह प्रश्न उठाया है कि इससे संसद सदस्यों की निष्ठा बिगड़ जायेगी क्योंकि यह सारे लाभप्रद संसद सदस्यों को आश्रय देने के उद्देश्य से वितरित किये जाने की संभावना है। मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि काफी संख्या में संसद सदस्यों को सरकार द्वारा ऐसी समितियों अथवा निगमों में सम्मिलित किया गया है जिनका इस विधेयक में निर्देश है। मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि माननीय सदस्य एक भी ऐसा उदाहरण दें जिसमें यह पद आश्रय देने के उद्देश्य से बांटे गये हैं। यह केवल इस लिये किया गया है कि राष्ट्रीय कार्यों तथा राष्ट्रीय सेवाओं के काम में सदस्यों को भी साथ रखा जाय। यह भी कहा गया था कि संसद सदस्यों को लोभ दे कर अपने पक्ष में लेने के लिये सरकार इस विधेयक का प्रयोग करेगी। यह बिल्कुल गलत बात है। प्रश्न केवल देश में प्राप्त सर्वोत्तम योग्यता से लाभ उठाने का है। अगर संसद के कुछ एसे सदस्य हैं जिनकी सेवाओं से, देश के हित के लिये, इन समितियों में लाभ उठाया जा सकता है तो एसा क्यों न किया जाय जब तक कि समितियों में उनकी नियुक्ति से यह अभि प्राय नहीं कि उन्हें लोभ दे कर सरकार की कठपुतली बनाया जाय। प्रश्न तो केवल स्वतंत्र संसद और कार्य पालिका के बीच समन्वय का है। यही मुख्य कारण है कि संविधान में भी संसद् को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अनर्हता से विमुक्त करे। एसा कोई डर नहीं होना चाहिय कि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जायगा। या पहले कभी किया गया है।

श्रीमान्, विधेयक में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट दो श्रणियों के पदाधिकारियों के बारे में विशेष आपत्ति उठाई गई है। पहली है, संसद् के उपमुख्यसचेतकों के पद। उनकी काफी आलोचना की गई है। वे सरकारी पदाधिकारी हैं और उनको मुख्यसचेतक ने नियुक्त किया है। जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा, यदि उनका सभा-सचिव, सभा-अवरसचिव अथवा और कोई नाम रखा जाता तो वह १९५० के अधिनियम के अन्तर्गत अनर्हता से बच जाते। परन्तु हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते। मुझे पता नहीं था कि वे वास्तव में कोई भत्ता ले रहे थे या नहीं। अब मैंने पता लगाया है और सच यह है कि उन्होंने अब तक कोई भत्ता न लिया है और न ही मांगा है। यदि इस विधेयक को पारित किया जाय, तो भत्ता देने तथा भत्ते की राशि निश्चित करने के प्रश्न उठेंगे।

दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालयों के उपकुलपति। उनके बारे में इस रूप में तर्क दिया गया जैसे कि संसद् सदस्य इन पदों की खोज में रहते हों और उपकुलपति तथा संसद्-सदस्य, इन दोनों पदों पर रखे रहने की व्याकुलता के कारण दोनों पदों की जिम्मेवारियों की अधूरा छोड़ते हों। श्रीमान्, वास्तव में एसे उप-कुलपति जो संसद सदस्य भी हों बहुत थोड़ी संख्या में हैं।

श्री के० के० वसु : फिर क्यों यह लाभ पद विमुक्त हों ?

श्री बिस्वास : कोई आपत्ति नहीं। वास्तव में कोई महान नियम भंग नहीं होता। यदि आप ७५० सदस्यों में से दो या तीन को उप-कुलपति नियुक्त करें तो इस से किसी भी उचित नियम की इतनी अवहेलना नहीं होती कि आप घबरा उठें। यह कोई एसी बात नहीं है जैसे कि आप ९० सदस्यों को ९० पदों पर नियुक्त करें और कहें कि वे फिर

भी संसद् सदस्य बने रहें। हां, मैं यह कह सकता हूं कि यह आपत्ति युक्तियुक्त है कि उप-कुलपतियों को सारे समय के लिय विश्व-विद्यालयों में काम करना पड़ता है और वह इतने कार्यग्रस्त होते हैं कि वे कभी कभी ही सदन में उपस्थित होते हैं ।

एक माननीय सदस्य : तो क्यों इसकी अनुमति दी जाय ?

श्री बिस्वास : मेरा कथन है कि वे कई कारणों से उप-कुलपति नियुक्त होते हैं। और यदि शिक्षा अथवा विज्ञान के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति इस संसद् के भी सदस्य हों तो मैं समझता हूं कि वह इस संसद् की शोभा तथा मान बढ़ाते हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : श्रीमान् । एक औचित्य प्रश्न है । माननीय मंत्री ने इस सदन का अपमान किया हैं ...

सभापति महोदय : यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है । इस प्रकार चर्चा में अन्तर्बाधा नहीं होनी चाहिय ।

श्री बिस्वास : मुझे खेद है कि मुझे गलत समझा गया है । मैंने सदन का अपमान नहीं किया है । मैं अपनी राय दे रहा हूं । मैं अपमान क्यों करूं। यदि आप एसे व्यक्तियों को उप-कुलपति या तथा संसद सदस्य रहने दें तो आप संसद का मान कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि जो आपत्तियां उठाई गई हैं वे सारभूत नहीं हैं । मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

सभापति महोदय द्वारा विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(परिभाषायें)

श्री एस० सी० सामन्त द्वारा यह संशोधन रखा गया कि पृष्ठ १ की पंक्ति १२ में "Conveyance Allowance सवारी भत्ता) के पश्चात् "attendance Fee" उपस्थित होने का शुल्क) निविष्ट किया जाय ।

श्री बिस्वास : मेरे विचार में यह आवश्यक नहीं । विधेयक में यात्रा भत्ता सवारी भत्ता आदि जैसे भत्तों का वर्णन है । "शुल्क" का प्रश्न तो उठता ही नहीं । हम केवल भत्ते के बारे में अधिकतम मात्रा निश्चित कर रहे हैं । यदि "शुल्क" अथवा "वेतन" की बात हो तो वह अनर्हता का कारण बन जाता है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री के० के० बसु ने अपना संशोधन रखा जो सभापति महोदय द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अस्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३—(संसद की सदस्यता के लिये अनर्हता का हटाना या निवारण)

श्री एस० सी० सामन्त का संशोधन सभापति द्वारा प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री के० के० बसु ने अपना यह संशोधन कि उप-कुलपति सम्बन्धी खण्ड विधेयक में से निकाला जाय, सदन के समक्ष रखा उन्होंने कहा कि उप-कुलपति का पद ऐसा है कि उनको सारे समय के लिये विश्वविद्यालय में काम करना पड़ता है और इस पद को अनर्ह न करने वाले लाभ पदों में न रखना सैद्धान्तिक दृष्टि से ठीक है । इसमें सिद्धान्त का प्रश्न है कुछ एक व्यक्तियों की बात नहीं ।

डा० सुरेश चन्द्र ने भी इस खण्ड का विरोध किया ।

[श्री बिस्वास]

सभापति महोदय द्वारा श्री बसु का संशोधन प्रस्तुत किये जाने पर अस्वीकृत हुआ ।

श्री के० के० बसु: मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २ में २५वीं पंक्ति के बाद यह शर्त जोड़ दी जाये कि उन्हें सत्र के पहले एक सप्ताह के भत्ते के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के प्रति कुछ अधिक भत्ता न मिले ।

उप-मुख्य सचेतक के बारे में कई तर्क दिये गये और माननीय विधि मंत्री ने उनका उत्तर देने का प्रयत्न किया । मैं समझता हूं कि उप-मुख्य सचेतक अभी केवल सत्ताधारी दल का काम चलाने के लिये है । इस लिये यदि उन्हें अनर्हता से विमुक्त किया जाता है तो मैं यह नहीं समझता कि उन्हें संसद-कार्य मंत्री अथवा दल के मुख्य सचेतक की सहायता करने के लिये सत्र से पूर्व कुछ एक दिन के लिये मुआवजा भत्ता के अलावा और कुछ भत्ता क्यों दिया जाये ।

मैं श्री बरुआ को भली भांति जानता हूं । मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाता । परन्तु उन्होंने इस सदन का क्या काम किया है ? कदाचित वह केवल तीन या चार दिन इस छः साप्ताहिक सत्र में सदन में उपस्थित थे । निस्संदेह उन्होंने सत्ताधारी दल का काम किया होगा । परन्तु यदि सरकार उनको कुछ देती है तो यह मालूम करना संसद् का कर्तव्य है कि वह क्या काम करते हैं । यदि दल चाहता है कि २० सचेतक तथा उप-सचेतक रखे जायें तो वह उन्हें रखे, परन्तु सरकार क्यों उनको कुछ धन देगी ? यह बहुत खतरनाक चाल है कि उप-मुख्य सचेतक अनर्हता से विमुक्त किये जायें और उन्हें सरकार द्वारा पद नियुक्त किया गया समझा जाये, जब कि वे दल का काम करते हैं । यह खण्ड खतरनाक है और लोक-तंत्रात्मक कार्यवाही को जड़ से उखाड़ सकता है ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री दामी (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभाओं के कानूनों के अन्तर्गत स्थापित किये गये होम गार्ड आर्गेनाइजेशनों के अधिकारियों के पद भी विमुक्त लाभ पदों में सम्मिलित किये जायें ।

श्री बिस्वास : हमने ३० अप्रैल, १९५४ तक कानून के अन्तर्गत स्थापित किये गये निकायों के बारे में उपबन्ध रखा है । अभी इस संशोधन की आवश्यकता नहीं । कानून के अन्तर्गत स्थापित किय गये सब निकायों के मामलों का परीक्षण करने का हमारा विचार है । जिस किसी विषय में यह बात उचित हो, हम आवश्यक उपबन्ध आगे कर सकते हैं ।

श्री दामी ने अपना संशोधन वापिस लिया ।

सभापति महोदय: श्री एन० एम० लिंगम, श्री वल्लाथरास, श्री एस० वी० रामस्वामी सदन में उपस्थित नहीं हैं । श्री आर० एस० तिवारी तथा श्री हेमराज अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

श्री बी० डी० शास्त्री : मैं भी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ४ तथा ५ विधेयक के अंग बना लिये गये

खण्ड १, शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री बिवस्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारत के फौजी प्रतिष्ठापनों सम्बन्धी समस्याएं

सभापति महोदय : अब हम भारत के फौजी प्रतिष्ठापनों सम्बन्धी समस्याओं पर वाद विवाद करेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : इस विषय पर वाद विवाद करना बहुत महत्व पूर्ण है, विशेष कर के उस समय जबकि पाकिस्तान अमेरिका से सैनिक सहायता समझौता कर रहा है । इस समय मैं केवल तथ्य आपके सामने रखूंगा ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : वे मेरे पास भी क्यों न भेज दिये जाएं ।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : आपके विभाग की बातें भी आपके पास भेज दूंगा ।

युद्धकाल में फौजी प्रतिष्ठापनों में लगभग छः लाख असैनिक लोग थे । युद्ध के पश्चात् छंटनी के कारण वे केवल २,६४,००० बच रहे । यदि कुछ उपाय किये जाते तो इतनी छंटनी न होती ।

देश की २० आयुध फैक्टरियों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं । कानपुर की हारनेस सेडलरी की फैक्टरी में चमड़े और लकड़ी का सामान तथा कपड़ा बनाया जा सकता है, शाहजहांपुर की फैक्टरी में कपड़े सिलवाए जा सकते हैं कानपुर की शस्त्र बनाने वाली फैक्टरी में बंदूकें आदि बनाई जा सकती हैं । इनकी उत्पादन क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं किया गया । हाल ही में नागरिकों के उपयोग की कुछ वस्तुएं बनने लगी हैं पर यह भी कहा जा रहा है कि उत्पादन व्यय बहुत अधिक है अतएव पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्पर्धा करना कठिन है । बात यह है कि सरकार ने फैक्टरियों के लोगों पर विश्वास नहीं किया है तथा वह पूंजीपतियों का खेल खेल रही है । अम्बरनाथ की फैक्टरी में ग्राइनडिंग स्टोनों का उत्पादन किर्लोस्कर के कहने से बन्द कर दिया । बहाना यह हो गया कि उत्पादन व्यय अधिक है । यदि महानुमाप उत्पादन किया जाए तो उत्पादन व्यय कम हो जाएगा ।

फौजी प्रतिष्ठापनों में असैनिक लोगों की संख्या २,६४,००० है तथा अफ़सरों की संख्या आवश्यकता से अधिक २१०० है । इतने अधिक अफ़सरों की क्या आवश्यकता है ? सेना की स्टेंडिंग स्थापना समिति ने अफसरों की छंटनी का सुझाव नहीं दिया । सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये थी ।

असैनिक कर्मचारियों की छंटनी रोकी जा सकती है यदि सरकार इस बात का पता लगा ले कि आयुद्ध फैक्टरियों तथा आयुध डिपो में कितना काम किया जा सकता है । इसके लिये सरकार ने हाल ही में एक समिति नियुक्त की है परन्तु उसके सभापति सरदार बलदेव सिंह बना दिये गये हैं जिन्होंने कहा था कि आयुध फैक्टरियों आदि में नागरिकों के काम आने वाली वस्तुएं पैदा नहीं की जा सकतीं । यह अच्छा नहीं है ।

आयुध फैक्टरियों में विदेशी भी बहुत नियुक्त किये गये हैं । २० फैक्टरियों में से ९ अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित होती हैं जो अपने देश के व्यापार का ही भला चाहते हैं । दो फैक्टरियों में स्विटज़रलैण्ड के लोग हैं जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर भारत में मजे उड़ा रहे हैं । इन फ़ैक्टरियों में काम करने वाले कुछ अंग्रेज़ कर्मचारी सेवा निवृत होकर पाकिस्तान चले गये हैं और वहां हमारी गुप्त सूचना पाकिस्तान को दे रहे हैं । कुछ हथियार

[श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी]

बनाने के विषय की एक फाइल यहां से एक अंग्रेज अफसर ने पाकिस्तान भेज दी है । श्री सक्सेना वाले मामले में ऐसा हुआ है । और कई ऐसे मामले हैं । अन्य कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भी अंग्रेज अफसर हैं जिन्हें त्यागी जी को पूछे बिना ही अन्तिम आदेश देने की शक्ति है ।

फौजी प्रतिष्ठापनों में अन्य कई दोष हैं । करोड़ों रुपयों का माल नष्ट होने दिया जाता है । उसकी हिफ़ाज़त नहीं की जाती । कर्मचारियों के अभाव के कारण ऐसा होता है । अतएव लोगों की छंटनी नहीं करनी चाहिए । सामान की हिफ़ाज़त करके अन्य उपयोगी वस्तुएं बना लेनी चाहिएं ।

भ्रष्टाचार तथा पक्षपात का भी इनमें बोलबाला है । अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदाधिकारी बना दिया जाता है । श्री विलसन जो भारत में परिमाप के डायरेक्टर जनरल हैं वे अपने उस भाई को सूचनाएं भेजते रहते हैं जो पाकिस्तान में कर्मचारी हैं । त्यागी जी ने इस विषय की जांच नहीं की । जो लोग इन दोषों के विरुद्ध मुंह खोलते हैं उन्हें दण्डित किया जाता है ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि आयुध डिपो के पदाधिकारी विशेष कर वहां के इंजीनियर योग्य व्यक्ति हैं ? क्या मेजर जनरल विलियमस् तथा ब्रिगेडियर पिगट के पास विश्वविद्यालय की डिग्री है ?

श्री सतीश चन्द्र : सामान्यतया सदन में उन पदाधिकारियों पर दोषारोपण नहीं किया जाता जो जवाब देने के लिये उपस्थित नहीं रहते । माननीय सदस्य ने बहुत से पदाधिकारियों के नाम लिये तथा सामान्य रूप से उन पर दोषारोपण किया परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके ऊपर विशिष्ट आरोप क्या हैं । मैं उनका उत्तर नहीं देना चाहता । मेरा निवेदन है कि उन पदाधिकारियों ने अपना काम ईमानदारी से किया है । उन्होंने जो दोषारोपण किये हैं वे आधारहीन हैं ।

श्रीमान् जी मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ फैक्टरियों में नागरिकों के उपयोग की वस्तुएं पैदा की जा सकती हैं । ऐसी फैक्टरियों में इन वस्तुओं के उत्पादन को आरम्भ करने का कार्य किया जा रहा है । जहां पर ऐसी मशीनें हैं जिन से केवल विशेष प्रकार की वस्तुएं ही बनाई जा सकती हैं, वहां पर उन मशीनों से सामान्य वस्तुएं नहीं बनाई जा सकतीं । जहां उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता है वहां पर नागरिकों के उपयोग की वस्तुएं बनाने का काम आरम्भ किया जा रहा है विभिन्न मंत्रालयों से आर्डर प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । १९५३-५४ में हमने ११२ लाख रुपयों के आर्डरप्राप्त किये । १९५२-५३ में केवल ६६ लाख के आर्डर प्राप्त किये थे। अतएव स्पष्ट है कि जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिये हैं उनके अनुसार पहिले से ही काम किया जा रहा है । इन आर्डरों के प्राप्त होने से हम अतिरिक्त ४००० कर्मचारियों में से २८००की छंटनी रोक सके । शेष कर्मचारी भी नहीं निकाले गये हैं और आर्डर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । अभी तक आयुध फैक्टरियों में से किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की गई है । एक डिपो में से अवश्य ही ५३ कर्मचारी निकाले गये थे जिसे वेलूर के लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक से एक फैक्टरी ने ले लिया था । अब छटनी करने का विचार ही नहीं है । हम चाहते हैं कि हमारे कुशल कर्मचारी उत्पादी कार्यों में लगे रहें तथा अपनी योग्यता बनाये रखें । देश की रक्षा की

दृष्टि से भी इन लोगों की छंटनी करना उचित नहीं है ।

आयुध डिपो में द्वितीय महायुद्ध में बहुत सी सामग्री इकट्ठी हो गई थी । अब वहां पर वस्तुएं नहीं बनतीं, वे केवल संग्रहागार मात्र हैं । स्थान की कमी से समान नष्ट हो रहा है । वहां अब अदक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : ठेकेदारों को काम न दिया जाए और ये लोग इंजीनियरिंग कामों में लगाये जाएं ।

श्री त्यागी : फिर भी बेकारी की समस्या बनी रहेगी । आप पहले चाहते थे कि ये लोग आयुध फैक्टरियों में लगाये जाएं ।

सभापति महोदय : आपने पूछा कि अदक्ष कर्मचारियों को कैसे काम में लगाया जाए । उन्होंने अपना सुझाव दिया है ।

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, मैं बता रहा था कि हमारे युद्धास्त्र कारखानों में, जिनमें दक्ष कारीगरों की आवश्यकता है, साधारण मज़दूरों को रखने से कोई लाभ नहीं हो सकता । आयुध डिपो से लगभग २००० नियमित कर्मचारियों तथा एक हज़ार से अधिक सामयिक मज़दूरों को काम से अलग किया गया । सामयिक मज़दूरों को विशेष कार्यों तथा विशेष काल के लिये रखा जाता है जैसे माल आदि के पुनरीक्षण के लिये । ऐसे मज़दूरों को दैनिक मजूरी पर भर्ती किया जाता है । प्रायः उन्हें एक निश्चित समय अर्थात् ६ मास के पश्चात् हटा दिया जाता है । वास्तव में मैंने कहा था कि लगभग २००० तथा कुछ और नियमित रूप से काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी हमारे आयुध भंडारों से हटा दिये गये हैं--मुझे ठीक संख्या याद नहीं है तथा यह मैं स्मरण से कह रहा हूं --क्योंकि उन्हें और किसी अन्य कार्य पर लाभदायक ढंग से नहीं रखा जा सकता था । फिर भी, क्षेत्रीय व्यवस्था के अनुसार जहां कहीं सम्भव होता है वहां उन्हें वैकल्पिक काम देने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है । यदि किसी उद्योग में आधिक्य तथा अन्य में कमी होती है, तो आधिक्य तथा कमी का समायोजन किया जाता है तथा मज़दूरों को एक उद्योग से दूसरे उद्योग को भेजा जाता है । मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि उन्हें काम से हटाने में हम सर्वथा निर्दयता से काम नहीं लेते हैं । इन विषयों की मैं स्वयं जांच करता रहा हूं तथा मैं यह देखने का पूर्ण प्रयत्न किया है कि कोई भी मज़दूर काल्पनिक कारणों के आधार पर काम से नहीं हटाया जाये । फिर भी कम होते हुये काम के परिणामस्वरूप ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है ।

श्रीमान् माननीय सदस्य ने एक अन्य माननीय सदस्य--एक भूतपूर्व केबिनिट मंत्री के सम्बन्ध में जबकि वह सदन में उपस्थित न थे, कुछ कहा है । यदि वह यहां होते तो वे उपयुक्त उत्तर दे देते क्योंकि वे अपनी सफ़ाई स्वयं पेश कर सकते हैं । परन्तु मुझे दुख है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके विषय में कुछ टिप्पणी की गई है । मैं केवल यह कह सकता हूं कि समिति के सदस्य जिसका सभापतित्व सरदार बलदेव सिंह करेंगे उत्पादन इंजीनियरिंग तथा महत्वपूर्ण उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति होंगे । वे उन समस्याओं पर विचार करने में पूर्णतया समर्थ होंगे जिन पर उनका परामर्श लिया जायेगा ।

श्रीमान् माननीय सदस्य ने अप्रत्यक्ष ढंग से इस बात का भी उल्लेख किया है कि माल सन्तोषजनक ढंग से नहीं रखा जाता है तथा इस कार्य के लिये कोई भी यथोचित प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है । सामान्य आक्षेप करना सरल है । जब तक कि मुझे अधिक समय न दिया जाये या स्वयं माननीय सदस्य अपने जाने तथ्यों के सम्बन्ध में और अधिक

[श्री सतीश चन्द्र]

विशेष रूप से न बतायें मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता । श्रीमान् उन्होंने रेलों तथा हमारे रक्षा उद्योगों में मज़दूरों तथा अधिकारियों के अनुपात सम्बन्धी कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिये हैं । म एक दम आंकड़ों को सही नहीं मान सकता । आयुध कारखानों में लगभग ७०,००० मज़दूर हैं । अधिकतर मज़दूर डिपो एम० ई० एस० तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों में काम पर रखे जाते हैं । एक उद्योग से दूसरे उद्योग का कार्य भिन्न होता है । मज़दूरों को अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य करना पड़ता है । माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़ों तुलनात्मक नहीं हैं । आयुध कारखानों में पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता होतो है तथा अधिकारों का बड़ी संख्या में होना अनिवार्य है । जहां तक डिपो में अधिकारियों का सम्बन्ध है. उनमें अधिकतर सेना अधिकारी हैं । कुछ असैनिक अधिकारियों के अतिरिक्त जो सेना अधिकारियों की कमी के कारण नियुक्त किये गये हैं डिपो का प्रबन्ध मुख्यत: सेना अधिकारी करते हैं । ये अधिकारी युद्ध क्षेत्र में हमारी सेना का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं । माननीय सदस्य ने कदाचित इन सब अधिकारियों की गणना की है । फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि कुछ असैनिक अधिकारियों को भी काम से हटा दिया गया है ।

सभापति महोदय : चर्चा का समय समाप्त हुआ । यदि माननीय मन्त्री को कुछ और आंकड़े बताने हैं तो वह सदस्यों को एक विवरण भेज सकते हैं । मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि वह लगाये गये समस्त आरोपों पर ध्यान न दें ।

श्री त्यागी : आरोपों को वाद-विवाद के शासकीय वृतान्त में से हटाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : यदि माननीय मन्त्री उस समय आपत्ति करते तो मैं माननीय सदस्य को आरोप का उल्लेख करने की कभी अनुमति न देता । मेरा ख्याल था कि वह अर्हताओं आदि के विषय में बोल रहे हैं ।

राज्य परिषद से प्राप्त संदेश

सचिव : मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य परिषद् के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है कि राज्य परिषद् को नमक कर विधेयक, १९५३ पर जो २१ दिसम्बर १९५३ को लोक-सभा में पारित हुआ था कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

इसके पश्चात सदन की बठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई ।